



योजना

अप्रैल 2016

विकास को समर्पित मासिक

₹ 22

विकास के द्वितीय पर पूर्वोत्तर

समेकित विकास और शांति: क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के उदय का मार्ग

संजय हुजारिका

पूर्वोत्तर में शिक्षा व रोजगार: भावी रूपरेखा
नताली वेस्ट खारकोनगर

स्वास्थ्य: देश के औसत से बेहतर पूर्वोत्तर
आशुतोष कुमार सिंह

विशेष आलेख

पूर्वोत्तर में जनजातीय विकास
एन सी सक्सेना



केंद्रीय बजटः पूर्वोत्तर के लिए प्रावधान

जैविक मूल्य श्रृंखला विकास, संपर्क एवं कौशल विकास पर जोर

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के लिए बजट पिछले वर्ष के 2,334.50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2016-17 के केंद्रीय बजट में 2,400 करोड़ रुपये कर दिया गया है। पूर्वोत्तर के लिए आवंटित बजट का मुख्य जोर क्षेत्र के समग्र विकास पर है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में संपर्क बढ़ाने, कौशल विकास तथा जैविक श्रृंखला विकास के लिए प्रावधान किए गए हैं। लगभग 115 करोड़ रुपये की जैविक मूल्य श्रृंखला विकास योजना सर्वाधिक महत्वपूर्ण घोषणा है, जिससे पूरे क्षेत्र का कायापलट होने की संभावना है। इससे क्षेत्र में जैविक उद्यमिता की अनदेखी असीम संभावनाओं में वृद्धि ही नहीं होगी बल्कि पूरा क्षेत्र नए स्टार्ट अप का पसंदीदा ठिकाना भी बन जाएगा, जो पूरे देश से पूर्वोत्तर में आएंगे। सिक्किम को हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा भारत का पहला जैविक राज्य घोषित किए जाने के कारण पूर्वोत्तर महत्वपूर्ण स्थान बन गया है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 56 मंत्रालयों में कुल 33,097.02 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। यह पिछले वर्ष के 29,087.93 करोड़ रुपये के बजट अनुमान की तुलना में 14 प्रतिशत अधिक है। नॉन-लैप्सेबल सेंट्रल पूल रिजर्व के अंतर्गत बजट अनुमान को 90 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2016-17 में 200 करोड़ रुपये कर दिया गया है। पूर्वोत्तर परिषद की योजनाओं के लिए बजट आवंटन 700 करोड़ रुपये से बढ़ाकर इस वर्ष 795 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

नई पूर्वोत्तर क्षेत्र सङ्क विकास योजना के लिए 150 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं। यह योजना पूर्वोत्तर में अंतर-राज्य सङ्कों के विकास में सहायक होगी। इसके अतिरिक्त एशियाई विकास बैंक (एडीबी) पूर्वोत्तर क्षेत्र में सङ्कों के निर्माण एवं रखरखाव के लिए राशि उपलब्ध कराएगा।

पूर्वोत्तर विकास वित्त परिषद के लिए बजट आवंटन 30 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 75 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जिससे क्षेत्र में प्रधानमंत्री के स्टार्ट अप इंडिया कार्यक्रम को और प्रोत्साहन मिलेगा। इसी प्रकार कौशल विकास बजट को

16 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 56 करोड़ रुपये करने से स्टार्ट अप कार्यक्रम को और भी सहायता मिलेगी। तीन वर्ष के लिए कर छूट और 3 महीने में इकाई बंद करने जैसे प्रधानमंत्री द्वारा घोषित सभी पिछले प्रावधानों के अतिरिक्त पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय नए उद्यमियों को वैंचर कोष भी उपलब्ध कराएगा ताकि उनका वित्तीय बोझ कम हो सके। उपरोक्त प्रावधानों के अतिरिक्त पूर्वोत्तर में ग्रामीण आजीविका पर भी जोर दिया गया है और इसके लिए राशि इस वर्ष बढ़ाकर 150 करोड़ रुपये कर दी गई है।

शेष भारत का पूर्वोत्तर से मेलजोल बढ़ाना क्षेत्र के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस निमित्त बजट आवंटन को 10.50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर इस वर्ष 17 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो पिछले वर्ष के आवंटन से लगभग 60 प्रतिशत अधिक है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने 12 से 14 फरवरी, 2016 तक नई दिल्ली में डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2016 का आयोजन किया था। मंत्रालय इसी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करना चाहता है ताकि विशेषकर हस्तशिल्प/हथकरघा में पूर्वोत्तर की क्षमता एवं संभावना प्रदर्शित की जा सके एवं पूर्वोत्तर के उत्पादों की प्रदर्शनी/बिक्री की जा सके। 2016-17 की पहली तिमाही में मुंबई तथा बैंगलूरु में ऐसे ही कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बनाई गई है।

भारत-बांगलादेश रेल संपर्क के लिए धन उपलब्ध कराना एक ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय का प्रमुख कार्य है। भारत की ओर से इसमें खर्च की जाने वाली 587 करोड़ रुपये की राशि पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ही उपलब्ध कराएगा।

देश भर में उच्च शिक्षा संस्थानों के उन्नयन हेतु 10,000 करोड़ रुपये की विशेष राशि में पूर्वोत्तर क्षेत्र का विशेष हिस्सा होगा और इसके लिए पूर्वोत्तर को 1,623 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। सरकार द्वारा बोडोलैंड जनजातीय समुदाय हेतु भी 300 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में हाइवे परियोजनाएं

जापानी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी पूर्वोत्तर के कुछ राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा और समृद्ध करने के लिए 96,4570 लाख यैन (जापानी मुद्रा) का ऋण दो किस्तों में प्रदान करेगा। ये राजमार्ग हैं: एनएच-54 (मिजोरम राज्य में 8वें से 380वें किमी तक), एनएच-51 (मेघालय राज्य में 85वें से 90वें तथा 101वें से 145वें किमी तक)।

पूर्वोत्तर के लिए विशिष्ट त्वरित सङ्क विकास कार्यक्रम के तहत संपूर्ण क्षेत्र के बेहतर सङ्क संपर्क के लिए केंद्र ने इस क्षेत्र में विभिन्न सुधार परियोजनाएं शुरू की हैं तथा सङ्क निर्माण कार्य की गति तेज की है। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड की स्थापना भी की है ताकि निर्माण और विकास कार्य में लगी एजेंसियों की कार्यक्षमता बढ़ाई जा सके।



योजना

वर्ष: 60 • अंक 4 • अप्रैल 2016 • चैत्र-बैशाख, शक संवत् 1938 • कुल पृष्ठ: 60

हिंदी, असमिया, बांग्ला, अंग्रेजी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, मराठी, उडिया, पंजाबी तथा उर्दू में एक साथ प्रकाशित

प्रधान संपादक: दीपिका कच्छल

संपादक: ऋतेश पाठक

उपसंपादक: भुवनेश

संपादकीय कार्यालय

648, सूचना भवन, सीजीओ परिसर,
लोधी रोड, नयी दिल्ली-110 003
दूरभाष (प्रधान संपादक): 24362971

ईमेल: yojanahindi@gmail.com

वेबसाइट: www.yojana.gov.in

www.publicationsdivision.nic.in

<http://www.facebook.com/yojanahindi>

संयुक्त निदेशक (उत्पादन): वी.के. मीणा

सहायक निदेशक (प्रसार): पद्म सिंह
(प्रसार एवं विज्ञापन)

ईमेल: pdjucir@gmail.com

आवरण: जी. पी. धोपे

पत्रिका मंगवाने, सदस्यता, नवीकरण,
पुराने अंकों की प्राप्ति एवं एजेंसी आदि
के लिए मनीऑर्डर/डिमांड ड्राफ्ट/पोस्टल
आर्डर 'अपर महानिदेशक, प्रकाशन विभाग'
के नाम से बनवा कर निम्न पते पर भेजें:

सहायक निदेशक (प्रसार एवं विज्ञापन)

प्रकाशन विभाग, कमरा सं. 48-53

भूतल, सूचना भवन, सीजीओ परिसर

लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

दूरभाष: 011-24367453

सदस्य बनने अथवा पत्रिका मंगाने के
लिए हमारे निम्नलिखित विक्रय केंद्रों पर भी
संपर्क किया जा सकता है।

प्रकाशन विभाग के विक्रय केंद्र

शहर

नयी दिल्ली

नवी मुंबई

कोलकाता

चेन्नई

तिरुअनंतपुरम्

हैदराबाद

बांगलुरु

पटना

लखनऊ

अहमदाबाद

गुवाहाटी

पता

सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड

हाल सं. 196, पुराना सचिवालय

701, सी- विंग, सातवीं मैजिल, केंद्रीय सदन, बेलापुर

8, एसप्लानेड इस्ट

'ए' विंग, राजाजी भवन, बंसल नगर

प्रेस रोड नयी गवर्नरमेंट प्रेस के निकट

ब्लॉक सं-4, पहला तल, गृहकल्प, एमजी रोड, नामपल्ली

फर्स्ट फ्लोर, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला

बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ

हाल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज

अंबिका कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर

के. के. बी. रोड, नयी कॉलोनी, कमान संख्या-7, चेन्नैकुटी

पिनकोड

110003 24367260

110054 23890205

400614 27570686

700069 22488030

600090 24917673

695001 2330650

500001 24605383

560034 25537244

800004 2683407

226024 2225455

380007 26588669

781003 2665090

दूरभाष

24367260

23890205

27570686

22488030

24917673

2330650

24605383

25537244

2683407

2225455

26588669

2665090

इस अंक में

- संपादकीय 7
- समेकित विकास और शांति क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के उदय का मार्ग 9
- पूर्वोत्तर में शिक्षा व रोजगार: भावी रूपरेखा 11
- पूर्वोत्तर की ओर अग्रसर कौशल मिशन 13
- संजीव दुर्गल 17
- स्वास्थ्य: देश के औसत से बेहतर पूर्वोत्तर 21
- पूर्वोत्तर भारत में जलमार्ग विश्वपति त्रिवेदी 23
- पूर्वोत्तर में ऊर्जा: अवसर और चुनौतियां के रामनाथन 25
- विशेष आलेख 28
- पूर्वोत्तर भारत में जनजातीय विकास एन सी सक्सेना 31
- छठी अनुसूची: जनजातीय समुदाय की आवश्यकताओं की पूर्ति चिंतामणि रात 35
- पूर्वोत्तर: संभावनाएं अपार, निवेश का इंतजार हरिकिशन शर्मा 39
- पूर्वोत्तर की सांस्कृतिक विविधता और देशव्यापी तारतम्य निशांत जैन, प्रभांशु 41
- अद्भुत पारिस्थितिकी को चाहिए अचूक संरक्षण धीप्रज्ञ द्विवेदी 45
- पूर्वोत्तर भारत: विश्व पर्यटन का स्वर्ग सौरभ कुमार दीक्षित 47
- जैविक कृषि का अगुआ बनता पूर्वोत्तर भुवन भास्कर 51
- क्या आप जानते हैं? 53
- पूर्वोत्तर का बांस उद्योग: छोटी सी पहल से बदल सकती है तस्वीर अविनाश चंद्र 55
- दक्षेस खेतों की सफलता से जगी नई उम्मीद राजेश राय 57
- खबरों में कहां है पूर्वोत्तर आशीष कुमार अंशु 59

• योजना का लक्ष्य देश के आर्थिक विकास से संबंधित मुद्रों का सरकारी नीतियों के व्यापक संदर्भ में गहराई से विश्लेषण कर इन पर विमर्श के लिए एक जीवंत मंच उपलब्ध कराना है।

• योजना में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। जरूरी नहीं कि ये लेखक भारत सरकार के जिन मंत्रालयों, विभागों अथवा संगठनों से संबद्ध हैं, उनका भी यही दृष्टिकोण हो।

• प्रकाशित विज्ञापनों की विषयवस्तु के लिए योजना उत्तरदायी नहीं हैं।

दरें: वार्षिक: ₹ 230 द्विवार्षिक: ₹ 430, त्रिवार्षिक: ₹ 610



आपकी राय



उपयोगी अंक

यो जना का फरवरी 2016 का अंक प्राप्त हुआ स्वास्थ्य पर आधारित यह अंक बेहद उपयोगी है। किसी भी देश का विकास वहां विद्यमान मानव संसाधन पर निर्भर करता है। मनुष्य को मानव-संसाधन बनाने में जिन महत्वपूर्ण कारकों को उत्तरदायी माना जाता है उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य विशिष्ट हैं। स्वस्थ शरीर ही हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी जिम्मेदार है। देश में स्वास्थ्य सेवा बहाल करने की जिम्मेदारी भले ही सरकार की है, किंतु व्यक्तिगत स्वच्छता और बचाव हमारे हाथों में है। जिसका हमें पूरा ख्याल रखना चाहिए। ये अलग बात है कि देश के बजट का मात्र 1.2 प्रतिशत हिस्सा ही स्वास्थ्य सेवा पर खर्च होता है। जिसे बढ़ाने की जरूरत है।

योजना के इस अंक में अनेक व्यवहारिक व परीक्षोपयोगी सामग्री उपलब्ध थी। कई महत्वपूर्ण अंकड़े शामिल किए गए जो आलेखों को परिपूर्ण बनाते हैं। भारत सरकार की नवीन परियोजना 'मेंक इन इंडिया' के हरेक पहलू पर लिखा गया लेख भी ज्ञानवर्द्धक था। मैं योजना पत्रिका के माध्यम से अपना आलेख प्रकाशित करवाना चाहता हूं।

रवि रौशन कुमार
दरभंगा (बिहार)

स्वास्थ्य पर उत्कृष्ट सामग्री

भारत में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से पिछले 50 वर्षों से जागरूकता वर्तमान में बढ़ गई है, जिस तरह से सरकार तथा प्रशासन ने ग्रामीण स्तर से शहरों तक असाध्य बीमारियों को समूल उपमहाद्वाप से हटा दिया है। आंगनबाड़ी, प्राथमिक स्कूल, हाई स्कूल, अस्पताल आदि को भी केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य हेतु अपने परामर्श तथा टीका, दवाएं आदि हेतु उपयोग में लिया जिससे समाज में जागरूकता बढ़ गई है। बाल-स्वास्थ्य, बालिका प्रजनन, राष्ट्रीय आयुष मिशन, आपदाकालीन चिकित्सा प्रबंधन लेख योजना द्वारा उत्कृष्ट थे।

धन्यवाद।

राहुल पांडवी
नंदुरबार (महाराष्ट्र)

महिला स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण जानकारी

मैं ने अभी फरवरी माह 2016 का अंक पढ़ा। मीरा मिश्रा का आलेख कुपोषण की रोकथाम: महिला स्वास्थ्य की भूमिका मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इस आलेख में कुपोषण की रोकथाम के बारे में बताया गया है तथा इस आलेख में यह भी बताया गया

है कि यह (कुपोषण) विकासशील देशों में किस तरह से फैला हुआ है। इसमें यह भी बताया गया है कि बीमारियों और कुपोषण के बीच गहरा संबंध है तो इसके बचाव के बारे में बताया गया है।

मुझे इस आलेख को पढ़ने के बाद इस बात की हैरानी हुई कि आज विकासशील देशों में कुपोषण के कारण 10 लाख बच्चों की मृत्यु हो जाती है। इस आलेख में यह भी बताया गया है कि कुपोषण की रोकथाम में महिला स्वास्थ्य की अहम भूमिका है, क्योंकि अक्सर हम सभी देखते हैं जो महिला असर सीधा गर्भ में पल रहे बच्चे पर पड़ता है तो उनके बारे में भी बताया गया है कि एक गर्भवती महिला का स्वस्थ रहना अति आवश्यक है।

अंत: इस आलेख को पढ़ने से यह भी स्पष्ट हुआ कि कुपोषण को रोकने के लिए राज्य स्तर पर पहल शुरू की गई है जैसे कि इसका सबसे अच्छा उदाहरण उत्तराखण्ड है। जहां पर महिला संगठन होम राशन अर्थात राशन घर ले जाओ की आपूर्ति कर रहे हैं जिससे हर एक घर में पोषण युक्त भोजन प्राप्त हो सके जिससे सभी स्वस्थ रह सकें और यह एक ऐसा उदाहरण है जिसे शायद

पूरे देश में चलाया जाएगा, जिससे कुपोषण पर काबू हो सके।

हालांकि कुपोषण की रोकथाम के लिए प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। खासकर बच्चों की क्योंकि कभी-कभी बीमारियों के कारण में भी कुपोषण शामिल होता है। दूसरी ओर अगर हम देखें तो कई दशकों से स्वास्थ्य सेवाएं सेहत में सुधार पर ध्यान दे रही हैं तो इससे यह स्पष्ट है कि कुपोषण को हम या सरकार एकदम से नहीं समाप्त कर पाएंगे। इसमें थोड़ा समय लगेगा ही और इसमें काफी सफलता मिली है। हम सभी इसे समाप्त करें तो यह जल्द ही समाप्त हो सकता है। तभी हम स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत का सपना साकार कर सकेंगे।

**रिम्पी कुमारी
कालिंदी कॉलेज, दिल्ली**

सबके लिए शिक्षा

मैं ने जनवरी अंक की 'योजना' पत्रिका पढ़ी। 'शिक्षा' पर विशेष यह अंक काफी अच्छा लगा। इस अंक में सभी आलेख जानकारियों से भरपूर थे। यह अंक काफी सराहनीय और संग्रह करने योग्य है।

शिक्षा सभी के लिए जरूरी है क्या बच्चा, क्या गरीब, क्या अमीर लेकिन हमारे देश में अभी भी कई सारे लोग ऐसे हैं, जो अनपढ़ हैं। गरीबी के चलते कई बच्चे पढ़ाई से वर्चित रह जाते हैं। इसके लिए अभी और प्रयास किए जाने जरूरी हैं, जिससे कि हमारे देश में कोई भी अनपढ़ ना रहे। सभी को शिक्षा का अधिकार मिल सके। आज शिक्षा का भी बाजारीकरण हो गया है। सरकार को चाहिए कि निजी शिक्षण संस्थाओं की भी फीस निर्धारित करे ताकि ये मनमानी ना कर सकें। अब हम बात पहाड़ी क्षेत्रों की करें, तो उत्तराखण्ड के पहाड़ी क्षेत्रों में सरकारी शिक्षा व्यवस्था का हाल ज्यादा अच्छा नहीं है। दुर्गम क्षेत्रों में स्कूलों की दशा भी ज्यादा अच्छी नहीं है। बच्चे मीलों पैदल चलकर स्कूल जाते हैं। कहीं-कहीं तो जान जोखिम में डालकर भी बच्चे स्कूल जाने को मजबूर हैं, क्योंकि पुल ना होने के कारण नदी को पार करना जोखिम से भरा होता है। पता नहीं पहाड़ी क्षेत्रों की शिक्षा व्यवस्था कब पटरी पर आएगी?

**महेंद्र प्रताप सिंह
मेहरागांव, अल्मोड़ा (उत्तराखण्ड)**

नौकरी तक सिमट गई है दृष्टि

योजना का जनवरी (2016) शिक्षा सफलता का मंत्र अंक बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा। हमारी शिक्षा पद्धति पूरी तरह धन कमाने और नौकरी पाने पर केंद्रित है। बच्चों से बहुत कम उम्र से सवाल पूछा जाता है— बड़े होकर क्या बनोगे? इसके माने यही होता है कि शिक्षा का एकमात्र ध्येय है धनवान बनना। धनवान बनने के बाद लोगों में वैसे ही गरीबों के प्रति संवेदना घट जाती है तो धनवान केवल दूसरे धनवानों की मदद करते हैं। कोई आशर्च्य नहीं कि हमारे देश में स्कूल और कॉलेज की अच्छी शिक्षा पाने के लिए धनवान होना जरूरी है। इस विशेषाधिकार की एक झलक मिलती है हमारे देश में अंग्रेजी के रुटबे से। एक अंदाजा बताता है कि अंग्रेजी जानने वाले भारतीय भाषाओं को जानने वालों से एक-तिहाई ज्यादा कमाते हैं। मतलब और सभी योग्यताएं एक-सी होने पर भी अंग्रेजी जानने वाले की आमदानी ज्यादा होती है। अंग्रेजी में शिक्षा भी महंगी है। गांधीजी ने यही चेतावनी शिक्षा के संबंध में दी थी।

**खुशाल सिंह कोली
फतेहपुर सीकरी, उत्तर प्रदेश**

शांति के लिए शिक्षा जरूरी

देश की स्वतंत्रता के 68 वर्ष पूरे होने के बावजूद देश जिन मूलभूत समस्याओं के बीच पिस रहा है उनमें से प्रमुख हैं शिक्षा। तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालयों से विश्व को शिक्षा पद्धति से परिचय कराने वाले देश को आज जरूरत आ पड़ी है कि अपने गिरते हुए शिक्षा स्तर के बारे में चिंतन करे।

2011 की जनगणना के अनुसार देश की शैक्षिक दर 74.04% है, इसमें पुरुषों की 84.14% और महिलाओं की शैक्षिक दर 65.46% है। दोनों लिंगों की दरों में इस भारी अंतर से यह स्पष्ट है कि नारी शिक्षा की तमाम योजनाओं के बाद भी लोगों में आज भी जागरूकता की बहुत कमी है जिसके कारण शिक्षा क्षेत्र में महिलाओं की बराबर की भागीदारी नहीं हो पा रही है।

शिक्षा की लचर स्थिति के बावजूद भारत सरकार ने शिक्षा पर बजट को बढ़ाने के जगह इसमें कटौती करना बेहतर समझा। 2015-16 के शिक्षा बजट में 2.02% की कटौती कर

स्कूल तथा उच्च शिक्षा के लिए 69,074 करोड़ रुपयों की घोषणा की गई, जबकि 2014-15 के बजट में शिक्षा क्षेत्र में 70,505 करोड़ रुपयों की घोषणा थी।

शिक्षा क्षेत्र में सबसे कम बजट के साथ 63% शैक्षिक दर लिए पाकिस्तान के अंदर आंतरिक अशांति और आतंकवाद का कोई मूल कारण है तो वह है नागरिकों के बीच शिक्षा का अभाव। दूसरी तरफ आर्थिक रूप से सशक्त 100% शैक्षिक दर के साथ नीदरलैंड और फिनलैंड जैसे देशों का उदाहरण हमारे समाने हैं जिन्होंने अपनी जबरदस्त शिक्षा नीति से अपने पूरे राष्ट्र की काया पलट कर दी।

**शुभम श्रीवास्तव
गाजीपुर, उत्तर प्रदेश**

क्रांतिकारी परिवर्तन की आवश्यकता

कई वर्षों से योजना पत्रिका की नियमित पाठक हूं। सामाजिक दृष्टिकोण व्यापक करने हेतु यह पत्रिका अत्यंत उपयोगी है।

मैंने जनवरी 2016 का अंक पढ़ा। शिक्षा को समर्पित यह अंक देखकर ही मन प्रफुल्लित हो गया। सभी आलेख बहुत अच्छे हैं। विशेषकर विमला रामचंद्रन जी को धन्यवाद। आपने अपनी कलम से शिक्षा के वास्तविक स्वरूप को सामने रखा है। मुझे पूर्ण रूप से आशा है कि कभी-न-कभी शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन आएंगे। वर्तमान में कुछ समस्याएं समाप्त होंगी। सरकार इस ओर प्रयासरत है और ज्यादा प्रयास की आवश्यकता है। योजना पत्रिका के संपादन में सम्मिलित सभी व्यक्तियों को बहुत प्यार और सम्मान।

**आकांक्षा मरावी
भिलाई (छत्तीसगढ़)**

भूल सुधार

योजना हिंदी के मार्च (2016) अंक में पृष्ठ संख्या-12 पर प्रकाशित फार्म-4 की प्रविष्टि संख्या 5 में निम्नलिखित सुधार किया जाता है:

प्रविष्टि 5 में 'प्रकाशक का नाम: ऋतेश पाठक' के स्थान पर पढ़ें 'संपादक का नाम: ऋतेश पाठक'

शेष सभी सूचनाएं यथावत रहेंगी। असुविधा के लिए खेद है।

—संपादक



Most trusted & renowned institute among IAS aspirants

हिंदी माध्यम के IAS/PCS टॉपर्स क्या कहते हैं 'द्रष्टि करेंट अफेयर्स टुडे' पत्रिका के बारे में...



निशंत जैन (IAS - राजस्थान कैडर)

'द्रष्टि करेंट अफेयर्स टुडे' ख्वय में एक अनूठी और बहुआयामी पत्रिका है। इसका सभी विद्यार्थियों के लिये उपलब्ध होना प्रतियोगिता जगत की एक बड़ी ज़रूरत पूरी करता है। मैंने खुद इस पत्रिका का लाभ उठाया है।

सिविल सेवा परीक्षा पर ही पूरी तरह कनिष्ठ यह पत्रिका कई मायनों में विशिष्ट है। इंटरव्यू खंड, निबंध खंड, एथिक्स आदि पर विशेष ध्यान देना इस पत्रिका को बाकी पत्रिकाओं से अलग बनाता है। समसामयिक घटनाओं का सिविल सेवा परीक्षा के नजरिये से विश्लेषण और फिर उनकी विन्दुवार प्रस्तुति बेहद उपयोगी और प्रासारिक है।

'द्रष्टि करेंट अफेयर्स टुडे' आपकी सफलता में सार्थक भूमिका निभाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है।

राजेन्द्र पेंसिया (IAS - उत्तर प्रदेश कैडर)

हिंदी माध्यम के अध्यार्थियों के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि पत्रिका कौन सी पढ़ी जाए? इसके लिये सबसे अच्छा, श्रेष्ठ, प्रामाणिक और सारांशित स्रोत 'द्रष्टि करेंट अफेयर्स टुडे' के माध्यम से मिलता है। इंटरेंट एंड ऑफिशल सेवा से तैयारी के लिये हिंदी माध्यम में ऐसी किसी पत्रिका का अभाव था जो प्रिलिम्स, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार की ज़रूरतों को पूरा कर सके। विकास सर के मार्गदर्शन में यह पत्रिका निश्चित ही इन सभी मानकों पर खरी उत्तरती है। हिंदी माध्यम के अध्यार्थी ग्राम ट्रांसलेटर ऐंटीरियल पड़ने की बजाय यह पत्रिका पढ़ें जो पूर्णतः मौलिक व अनुभवी टीम की मेहनत का परिणाम है। मुझे विश्वास है कि यह पत्रिका उनके लिये निश्चित रूप से वरदान साबित होगी। शुभकामनाएँ।



मनीष कुमार (IPS)

यह पत्रिका ('द्रष्टि करेंट अफेयर्स टुडे') हिन्दी माध्यम में उपलब्ध पाठ्य सामग्री की कमी को पूरा करने की एक गंभीर कोशिश है। इसके सभी खंडों का व्यवस्थित अध्ययन तैयारी को संपूर्णता प्रदान करता है। पत्रिका के 'समसामयिक मुद्दों पर संभावित प्रश्नोत्तर' खंड से मुझे मुख्य परीक्षा की तैयारी में विशेष मदद मिली थी।



अंकित तिवारी (IRS IT)

'द्रष्टि करेंट अफेयर्स टुडे' एक सारांशित एवं विविध आयामी पत्रिका है जो सिविल सेवा परीक्षा के तीनों चरणों— प्रिलिम्स, मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार के लिये आवश्यक पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराती है। हिंदी माध्यम के अध्यार्थियों के लिये सबसे बड़ी चुनौती समसामयिक मुद्दों पर प्रामाणिक कंटेंट की उपलब्धता की थी परंतु 'द्रष्टि करेंट अफेयर्स टुडे' ने इस चुनौती को स्वीकारते हुए उत्कृष्ट एवं प्रामाणिक अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई है, जो सिविल सेवा अध्यार्थियों के लिये वरदान साबित हो रही है। समसामयिक मुद्दों पर 'प्रश्नोत्तर खण्ड' तो मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु विशेष रूप से उपयोगी है। विकास सर का सम्पादकीय लेख अध्यार्थियों को निरंतर प्रोत्साहित करता रहता है।



विवेक यादव (UPPCS, I-Rank)

राज्य व संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की 'द्रष्टि' से यह पत्रिका मुझे बहुत उपयोगी लगी। यह पत्रिका समसामयिक घटनाचक्र के विषयों में आपकी समझ बढ़ाने के साथ ही साथ उस विषय पर बहुआयामी द्रष्टिकोण का सुनन करती है। इस पत्रिका का निवंध व मॉक इंटरव्यू खण्ड तमाम डाउट्स को लियायर करने में सहायक है।



ISSN 2455-6025
आई.ए.एस., पी.सी.एस. तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को समर्पित पत्रिका

पत्रिका 10 अक्टूबर 2016



करेंट अफेयर्स टुडे

महत्वपूर्ण लेख

- ❖ अल्पाल्प प्रदेश का जानकारीक संकट...
- ❖ आई आवादी के प्रवेश पर प्रतिवेद्य!
- ❖ स्मार्ट सिटीज निशान...
- ❖ ईरान-सऊदी अरब संबंधों में तनाव...
- ❖ युद्धोन्मासों से आप में कोरियाई प्रायदीप
- ❖ जीवी वायरस: मानव अस्तित्व के लिये चुनौती

प्रिलिम्स विशेष

- ❖ पी.टी. एक्सप्रेस : प्रारंभिक परीक्षा के लिये संभावित प्रश्नोत्तरों का संकलन
- ❖ सामाज्य अध्ययन प्रैक्टिस पेपर

सुपरफास्ट रिवीजन सीरीज़

पहली कड़ी : भारतीय इतिहास

❖ आई.ए.एस. प्रारंभिक परीक्षा हेतु प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक भारत के इतिहास पर बिद्युत एवं सारणीत सामग्री



और भी बहुत कुछ....



प्रतीप कुमार (IRS)

'द्रष्टि करेंट अफेयर्स टुडे' एक मानक पत्रिका है। पिछले दो अंकों में तो इसने 'गांगर में सागर' भर दिया है। वस्तुतः बाज़ार में उपलब्ध स्तरहीन सामग्री ने अध्यार्थियों को दिशा निर्दिष्ट ही किया है। ऐसे में 'द्रष्टि करेंट अफेयर्स टुडे' ने विद्यार्थियों की राह आसान कर दी है।



जय प्रकाश (IRTS)

विद्यार्थियों के समक्ष उच्च स्तर की पाठ्य सामग्री का संदर्भ अभाव रहा है जिसके कारण हिंदी भाषी छात्र हीन भावना का शिकार रहते हैं। यह पत्रिका ('द्रष्टि करेंट अफेयर्स टुडे') इस मानक पर खरी उत्तरती है। इसमें परीक्षा के अनुरूप बहुआयामी समसामयिक खंडों को विश्लेषित करने तथा रोचक ढंग से प्रस्तुत करने की क्षमता है। खास तौर पर निवंध, एथिक्स और इंटरव्यू के लिये किया गया प्रयास इसे अय पत्रिकाओं से बेहतर बनाता है जो अवश्य ही विद्यार्थियों की सफलता में निर्णायक सिद्ध होगा। मैं 'द्रष्टि पत्रिका' की अनुकरणीय पहल का आभार व्यक्त करता हूँ।



आदित्य प्रजापति (UPPCS, II-Rank)

मुख्य व प्रारंभिक परीक्षा के द्रष्टिकोण से यह पत्रिका मुझे बहुत उपयोगी लगी। पत्रिका के लेख, निवंध व एथिक्स खण्ड परीक्षार्थियों के लिये निश्चित रूप से बहुत लाभदायक सिद्ध होंगे।



641, 1st Floor, Dr. Mukherji Nagar, Delhi-9
E-mail:info@drishtiias.com, drishtiacademy@gmail.com

Contact : 87501 87501, 011-47532596


* Website: www.drishtiias.com

पूर्वोत्तर क्षेत्रः प्रगति के पथ पर

उ

न्हें प्यार से 'सात बहनें' कहा जाता है और उनकी यह उपाधि उनकी सांस्कृतिक तथा क्षेत्रीय निकटता की ओर संकेत करती है। पूर्वोत्तर के सात राज्य; असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर तथा हाल ही में जोड़ा गया सिक्किम मिलकर हमारे देश की पूर्वोत्तर सीमा का निर्माण करते हैं; रूपक में भी और भूगोल में भी। इसीलिए राजनीतिक एवं रक्षा की दृष्टि से वे बहुत महत्वपूर्ण घटक तैयार करते हैं। इस क्षेत्र की सीमाएं तीन अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं: म्यांमार, बांग्लादेश और उभरती हुई महाशक्ति चीन से मिलती हैं। इस प्रमुख कारण से ही इस क्षेत्र का विकास और भी महत्वपूर्ण हो जाता है।

यद्यपि सात बहनों के प्रत्येक क्षेत्र में विविधता है। जातीय रूप से, भौगोलिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और भाषायी रूप से। एक असमिया व्यक्ति एक नगा व्यक्ति से उतना ही अलग होता है, जितना कोई बिहारी किसी पंजाबी से और बोडो कभी खुद को गलती से भी गारो कहलाना पसंद नहीं करते! जनसंख्या का बड़ा अंश आदिवासी है, जो युगों से चली आ रही अपनी आदिवासी संस्कृति में अटूट आस्था रखता है।



अपनी सुरम्य भूमि एवं विस्तृत जैव-विविधता के साथ यह क्षेत्र वास्तव में पर्यटकों के लिए वरदान है। असम के राष्ट्रीय उद्यानों से लेकर मेघालय के झरनों तथा झीलों तक, कंचनजंगा की हिमाळ्यादित चोटियों से लेकर सिक्किम के मठों तक इस क्षेत्र में अकूत प्राकृतिक सौंदर्य एवं सांस्कृतिक विविधता है। इस क्षेत्र के नृत्य मंत्रमुग्ध कर देते हैं और यहां के हस्तशिल्प एवं वस्त्र विश्व भर में लोकप्रिय हैं।

किंतु ईश्वर के इस उद्यान में उग्रवाद का सांप भी है, जिसने इसे विकास के लाभ से वंचित कर दिया है। शैक्षिक सुविधाओं तथा रोजगार के अवसरों की इतनी कमी है कि शिक्षा तथा रोजगार तलाशने वाले युवाओं के साथ ही इस क्षेत्र की प्रतिभा कई वर्षों से देश के दूसरे भागों में जाती रही है। इस समाज में नशा एक अन्य बुराई है और युवा तथा वृद्ध उसके चंगुल में फंस जाते हैं। कृषि यहां महत्वपूर्ण व्यवसाय है। यह क्षेत्र चाय, अदरक, फलों तथा सब्जियों का मुख्य उत्पादक है। यहां बागवानी भी खूब की जाती है। इस क्षेत्र के बगीचे प्रसिद्ध हैं। कृषि के आधुनिक साधनों की कमी है, इसलिए कृषक समुदाय को उनके प्रयासों का पूरा मूल्य नहीं मिल पाता। इस क्षेत्र से होकर बहने वाली शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र के कारण बाढ़ भी यहां की स्थिरता के लिए बड़ा खतरा है। बुनियादी ढांचा अभी विकसित होना है। मुख्य भूमि से जोड़ने का मुख्य मार्ग सिलिगुड़ी गलियारा है, जो विदेशी क्षेत्रों से घिरा हुआ है।

देश के इस महत्वपूर्ण भाग को इन सबका प्राथमिकता के आधार पर गंभीरता के साथ समाधान करना होगा ताकि इस क्षेत्र की जनता को लाभ मिल सके और वह संपन्न हो सके। □

सामान्य अध्ययन के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान

I
A
S



P
C
S

ISO 9001 : 2008 Certified

Committed to Excellence

MD
Niraj Singh

The Most Experienced & Competent Faculties



Ashok Singh



Manikant Singh



Pr. Pushpesh Pant



Alok Ranjan



Dr. Abhishek



Abhay Kumar



Dr. M. Kumar



Deepak Kumar



Rameshwar



Dr. V. K. Trivedi



Niraj Singh
Managing Director



Divyansen Singh
Co-ordinator

Delhi Centre

सामान्य अध्ययन

निःशुल्क
कार्यशाला

5 April
11:30 pm

WhatsApp No.
9654349902

Allahabad Centre
हिन्दी/Eng. Med.
GS Gateway Batch
Complete preparation for IAS Pre/ PCS

4 April
5 pm

Lucknow Centre
सामान्य अध्ययन नया फाउंडेशन बैच
हिन्दी माध्यम
English Med.

4 April
9 am
& 5:30 pm

<http://www.gsworldias.com> <http://www.facebook.com/gsworld1>

705, 2nd Floor, Main Road,
Mukherjee Nagar, Delhi - 9
PH. 011-27658013, 7042772062/63

GS World House, Stainly Road,
Near Traffic Choraha, Allahabad
PH. 0532-2266079, 8726027579

A-7, Sector-J, Near Puraniya
Chauraha, Aliganj, Lucknow
PH. 0522-4003197, 8756450894

समेकित विकास और शांति क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के उदय का मार्ग

संजय हजारिका



भारत का उत्तर-पूर्व क्षेत्र, दक्षिण-पूर्व एशिया के लिए खुल रहा है। हालांकि इस विषय पर काफी बात होती रही है। वर्ष 1990 की शुरुआत से ही यह संवाद, चर्चा और सम्मेलनों का विषय बना हुआ है लेकिन तब से इस संबंध में कोई प्रगति दिखाई नहीं देती। क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को खोलने में एक महत्वपूर्ण कारक बांग्लादेश के साथ बेहतर व्यापार और राजनीतिक संबंध में निहित है। इससे उत्तर-पूर्व क्षेत्र, दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सक्षम होगा। जैसी संभावना प्रधानमंत्री ने अलग-अलग समय पर अपनी ढाका और गुवाहाटी घोषणा में जताई और उनसे पहले अन्य नेता भी ऐसी संभावना जता चुके हैं

रा

जनीतिक स्तर पर हाल की घोषणाओं का अर्थ यह है कि उत्तर-पूर्व क्षेत्र को पूर्व की ओर देखने की बजाय दक्षिण और पश्चिम की ओर देखने की आवश्यकता है। क्योंकि पूर्व की ओर अभी भी अनिश्चितताओं से भरी म्यांमार की दीवार खड़ी है। जहां सेना के शासन का बोलबाला रहा है और अब जाकर कोलाहलपूर्ण अनिश्चित लोकतंत्र की शुरुआत हुई है।

व्यापार की सुगमता धीरे-धीरे बेहतर हो रही है और त्रिपुरा जैसा छोटा राज्य इसमें अग्रणी है। जहां पर राज्य सरकार को इंटरनेट का बहुत बड़ा और भारत को उसका तीसरा गेटवे मिला है। इसमें सहयोग का श्रेय बांग्लादेश की सरकार को जाता है। सीमा पार से आए व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडल प्रायः छोटे से राज्य अगरतला में देखे जाते हैं। इससे राज्य की सोई हुई राजधानी ऊर्जावान हो गई है। वास्तविकता यही है कि शासन-प्रशासन के मामले में त्रिपुरा का रिकार्ड बाकी उत्तरी-पूर्वी राज्यों से बेहतर है। और एक अन्य कारण यहां की सरकार की सेवाएं प्रदान करने की प्रतिबद्धता है। राज्य में शांति के कारण विद्रोह पुरानी बात हो चुकी है और सशस्त्र सेनाओं का विशेष शक्ति अधिनियम और अशांत क्षेत्र अधिनियम 2015 में यहां से हटा लिया गया।

बांग्लादेश बगडोगरा में वाणिज्यिक दूतावास खोलने जा रहा है ताकि यात्रियों को दार्जीलिंग जैसी जगहों पर जाने के लिए कोलकाता के रास्ते घूमकर न जाना पड़े। यह एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कदम है

क्योंकि पूर्व में बांग्लादेश की यात्रा की आधिकारिक अनुमति प्राप्त करना भयानक स्वप्न के समान था। निकटवर्ती बांग्लादेशी दूतावास कार्यालय कोलकाता और अगरतला में स्थित हैं। ऐसे में बीजा लेने के लिए दो-तीन दिन की घुमावदार यात्रा और हजारों रुपये का खर्च ज्ञेलना पड़ता था। ठीक यही समस्या बांग्लादेश के लोगों को आती अगर वे आधिकारिक रूप से इस क्षेत्र की यात्रा करने के इच्छुक होते। और दशकों के बाद अब सिलहट और गुवाहाटी में वाणिज्यिक दूतावास खुल रहे हैं।

इतना होने के बावजूद ऐसे कुछ कारक हैं जो कि पूर्व नीति के कार्यालय, अनुयोजकता के साथ उत्तर-पूर्व क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय निवेश की चुनौतियों को रेखांकित करते हैं। इन मुद्दों पर बड़ी चुनौतियों को ढकने वाली बातचीत और प्रसाधन विचार करने की बजाय इन मुद्दों का प्रत्यक्ष रूप से सामना करना महत्वपूर्ण है।

किसी भी क्षेत्र के लिए अशांत क्षेत्र की अपनी तस्वीर से पीछा छुड़ा पाना मुश्किल है। खासकर जिसका 60 वर्ष का आंतरिक और देश के साथ विद्रोह एवं विवादों का इतिहास रहा हो। ये उन कारणों में शामिल हैं जिसकी वजह से सरकार के जोरदार प्रचार के बावजूद क्षेत्र निवेशकों के लिए अनाकर्षक बना रहा। केंद्र की इस क्षेत्र के प्रति नीति सुरक्षा कारणों से जस की तस बनी रही। इसके परिणामस्वरूप विश्वास में कमी बनी रही। विश्वास में कमी की यह आवाज कथित रूप से मानवाधिकार उल्लंघन से ज्यादा बढ़ी।

लेखक जामिया मिलिया इस्लामिया के पूर्वोत्तर अध्ययन एवं नीतिगत शोध केंद्र के निदेशक हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र के बारे में विश्लेषण करने वाले अग्रणी विद्वानों में शुमार हैं। ईमेल: sanjoyha@gmail.com

शिलांग टाइम्स के संपादक पेतरिसिया मुखिम ने 2014 में टिप्पणी की, “यह कहना सरल है कि हम दक्षिण पूर्वी एशिया से जुड़ेंगे लेकिन हम ऐसा कैसे कर पाएंगे जब तक हमारी सीमाएं सुरक्षा केंद्रित होंगी?” इस नीति ने अब तक पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे तटीय राज्यों को लाभांवित किया है क्योंकि यहां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मुख्य रूप से समुद्री मार्ग से किया जाता है। स्थल मार्ग, सड़क या रेल मार्ग से व्यापार कहाँ कम होता है। देश के अन्य हिस्सों की तुलना में आधारभूत ढांचा कमज़ोर बना रहता है।

उद्यमी समूहों के लिए भूमि अधिग्रहण मुख्य कुंजी है। भूमि अधिग्रहण पारंपरिक, राजनीतिक और सामाजिक नेटवर्क का गोरखधंधा है। ये उद्यमी समूह समय-समय पर एक-दूसरे से उलझते रहते हैं। इसके अलावा उत्तर पूर्व क्षेत्र में महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे राज्यों की तुलना में क्षेत्रीय विकास की कमी है।

उत्तर पूर्वी क्षेत्र को भूस्थलीय बंधन मुक्त करने के लिए, बंगाल की खाड़ी तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करना एक बड़ा कदम होगा। अगरतला से अखौरा होते हुए बंगलादेश के चटांग बंदरगाह तक रेल लाइन से जोड़कर यह संभव बनाया जा सकता है। इस पर प्रगति की रफ्तार धीमी है। इस संबंध में दोनों पक्षों के बीच पिछले दो दशकों से बातचीत जारी है। स्वर्गीय बीजी वर्गीस जैसे नीति विशेषज्ञ इस तरह के अति महत्वाकांक्षी परिवर्तन के लिए प्रयासरत हैं। यह बांग्लादेशी सामानों की पहुंच भारतीय बाजारों, विशेषकर उत्तर-पूर्व सुनिश्चित कर देगा और उत्तर-पूर्व के भारतीय सामान की पहुंच बांग्लादेश के बाजारों के साथ-साथ समुद्री बंदरगाह के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक हो जाएगी।

राष्ट्रीय बांस मिशन का अनुमान है कि हर वर्ष तक रीबन 20 मिलियन टन बांस की फसल पैदा की जा सकेगी और इस क्षेत्र में लाखों लोगों को रोजगार मिल सकेगा लेकिन धरातल पर इसके लिए अविलंबता का अभाव दिखाई देता है। क्षेत्र अभी भी लगभग हर सामान का आयात करता है। ब्लेड, मछली, पेंसिल और खाद्यान से लेकर टेलीविजन और कार तक का आयात किया जाता है। यह क्षेत्र अनिवार्यतः अभी भी उत्पादन केंद्र की बजाय बाजार बना हुआ है। कच्चे उत्पाद-फल, सब्जियां और यहां तक की पशु भी बांग्लादेश और म्यांमार को निर्यात किए जाते हैं। और वहां पर इनके

उत्पादों की गुणवत्ता और जीवन अवधि बढ़ाने वाली कोई बड़ी प्रसंस्करण ईकाई नहीं है।

मानव विकास के वर्तमान सूचकों की नाजुकता नई चुनौतियां प्रस्तुत करती है। आधिकारिक आंकड़े कहते हैं कि भारत में सबसे खराब मातृ मत्यु दर असम की है जो कि 300 है, यह उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्यप्रदेश से कहीं अधिक है जबकि यह 2005-06 के रिकार्डिंग 490 (प्रति 1 लाख प्रसव पर) से ऊपर होना एक बड़ी उपलब्धि है। इस सुधार के बावजूद यह तथ्य बरकरार है कि पूर्व की ओर देखने की नीति हो या पश्चिम और दक्षिण की ओर, इससे मानव जीवन की आधारभूत गरिमा और समानता बेहतर नहीं होती। जो केंद्र और राज्य सरकारों की प्राथमिक जिम्मेदारी है।

तथापि, वैश्विक मौसम में बदलाव से जलवायु प्रारूप में आए बदलाव एक अन्य महत्वपूर्ण चुनौती है, जिससे लोग देश के अन्य

पूर्व में कार्य करने की नीति प्रशंसनीय है। भारी मात्रा में सामान का आवागमन नदी के माध्यम से किया जा सकता है। ऐसे में जल परिवहन की नीति के बिना यह नीति ब्रह्मपुत्र के रेतीले तटों से टकराकर रह जाएगी। परिवहन मंत्रालय का नौपरिवहन बेहतर करने का निर्णय इस क्षेत्र को खोलने के लिए मुख्य कदम है।

हिस्सों में स्थानांतरित हो रहे हैं। ब्रह्मपुत्र घाटी हर वर्ष आने वाली बाढ़ से उजड़ जाती है और हाल ही में आए एक उफान में लगभग 350 बांध ढह गए। फिर भी इन बांधों की क्षमताओं और इसके अन्य विकल्प खोजने पर न तो उत्तर पूर्व में न ही बाकी देश में मुश्किल से कोई चर्चा या बहस होती है।

पूर्व में कार्य करने की नीति प्रशंसनीय है लेकिन इसने एक आधारभूत बिंदू को अनदेखा किया है। भारी मात्रा में सामान का आवागमन नदी के माध्यम से किया जा सकता है। ऐसे में जल परिवहन की नीति के बिना यह नीति ब्रह्मपुत्र के रेतीले तटों से टकराकर रह जाएगी। इसी कारण से परिवहन मंत्रालय का नौपरिवहन को बेहतर करने का निर्णय इस क्षेत्र को खोलने के लिए मुख्य कदम है। आखिरकार क्षेत्र के मुख्य सड़क और रेल नेटवर्क वर्ष में 3 से 5 महीने तक जल से बुरी तरह प्रभावित होते हैं। वर्तमान और भविष्य की चिंता करने

वाली आर्थिक नीति में मूलभूत कारक अवश्य सम्मिलित होने चाहिए- दूसरे शब्दों में नीति निर्माण और कार्यान्वयन के सभी स्तरों में आपदा प्रबंधन को शामिल किया जाना चाहिए।

लेकिन इससे नदी के टट पर बसने वाले स्थानीय समुदाय कैसे लाभांवित होंगे? इतनी बड़ी संख्या में जलयानों के आवागमन से परिस्थितिक तंत्र, मछली और जंतु समूहों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जो कि आम आदमी के जीवन और जीवनयापन के लिए इतना महत्वपूर्ण हैं। कुछ अध्ययन हमें उत्तर पूर्व में नदियों के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रस्तावित विशालकाय आधारभूत ढांचे के हस्तक्षेप के प्रभावों के बारे में बताते हैं। जलीय जीवन, क्षेत्र की स्थानीय मछली प्रजातियों, जल पर निर्भर कृषि और मत्स्य समुदायों पर क्या-क्या प्रभाव पड़ेंगे? दक्षिण एशिया की सबसे विलुप्तप्रायः मछली डोलिफन का क्या होगा, जिनकी संख्या मात्र 400 रह गई है?

तथापि, ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहां सरलता से काफी कुछ किया जा सकता है। दक्षिण पूर्वी एशियाई विश्वविद्यालयों, मीडिया और हस्तकला संगठनों के साथ सहयोग, संगीत का आदान-प्रदान, प्रदर्शनों और उत्सवों से क्षेत्र के लोगों को एक-दूसरे के पास लाया जा सकता है। ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर आसानी से काम किया जा सकता है। ऐसे ट्रेक 2 की प्रक्रियाएं जो ट्रेक 1 के आधिकारिक स्तर पर बातचीत को प्रभावित कर सकें और हमें सूचित कर सकें, इसके लिए सरकार, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और निकायों के सहयोग की आवश्यकता है।

अंततः: सजातीय समूहों और राज्य के विवादों को सुलझाने की चुनौती कई तरह से महत्वपूर्ण होगी। व्यवसाय के अलावा (कोई व्यवसाय समूह अनिश्चितकालीन हड्डतालों, बंदों के लिए तैयार नहीं है, जो क्षेत्र के राज्यों को अपांग बना दे, इससे उत्पादन और मुनाफा प्रभावित होता है) विदेशी यात्रियों और पर्यटकों के लिए क्षेत्र को अधिक आकर्षक बनाना होगा।

इस तरह के संकल्पों और समाधानों से इन क्षेत्रों की भारतीय युवा पीढ़ी की महत्वाकांक्षाओं को बल मिलेगा। ऐसे भविष्य की ओर देखना जो शार्ति, सम्मान और न्याय पर आधारित हो। भौतिक आधारभूत ढांचे के निर्माण, व्यापार और विकास के अलावा जिससे कि क्षेत्र के विकास का स्वस्थ सुदृढ़ भविष्य सुनिश्चित हो। इसके लिए आंतरिक राजनीति, सामाजिक और आर्थिक मतभेदों का समाधान करना होगा। □

पूर्वोत्तर में शिक्षा व रोजगारः भावी स्थिरता

नताली वेस्ट खारकोनगोर



राजनीतिक इच्छाशक्ति, नौकरशाही के सहयोग और प्रतिबद्धता, सुशासन, कारोबार करने में सहजता और पीपीपीपी (निजी सार्वजनिक जन भागीदारी) मॉडल पूर्वोत्तर भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। वर्तमान शिक्षा प्रणाली को दुरुस्त करने और रोजगार अवसरों को सुधारना करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। इससे दूसरे क्षेत्रों में पूर्वोत्तर से पलायन कम होगा और उग्रवाद की समस्या का भी समाधान होगा। कौशल विकास मिशन ने पूरे भारत के लिए एक अच्छी राह दिखाई है और इससे पूर्वोत्तर राज्यों में भी तपाम उम्पीदें जगी हैं।

दे

श का पूर्वोत्तर क्षेत्र आठ राज्यों से मिलकर बना है। यह काफी दिलचस्प बात है कि मार्च 2011 में इस क्षेत्र में साक्षरता दर 77.76% थी, जबकि साक्षरता दर का राष्ट्रीय औसत 74.04% ही है। इसके बावजूद पूर्वोत्तर क्षेत्र में शिक्षा प्रणाली असंगठित है और अनेक सीमाओं और चुनौतियों का सामना कर रही है, विशेष रूप से तकनीकी क्षेत्र में। इसी कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए लोगों को दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ता है। यहां की शिक्षा व्यवस्था व्यापक स्तर पर राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रित है जोकि राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा की तुलना में बहुत कमजोर है। इस क्षेत्र के राज्य अब भी शिक्षा प्रदान करने के परंपरागत तरीकों को अपनाते हैं। परंपरागत शैक्षणिक संरचना के कारण विद्यार्थियों को न केवल अपने राज्य छोड़कर दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ता है, बल्कि बहुत से विद्यार्थी स्कूली पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। आंकड़े कहते हैं कि वर्ष 2011-12 के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में पहली से आठवीं कक्षा तक के लगभग 50.05 प्रतिशत विद्यार्थियों ने स्कूली शिक्षा पूरी नहीं की और पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। इस अवधि में ऐसे विद्यार्थियों का राष्ट्रीय औसत 40.8 प्रतिशत था।

पूर्वोत्तर राज्यों में कोरे किताबी ज्ञान और तकनीकी/व्यावहारिक अवसरों की कमी के कारण निम्न रोजगारप्रकृता और बेरोजगारी जैसी चुनौतियां कायम हैं। यही वजह है कि हमारे पूर्वोत्तर के बहुत से युवा हाई स्कूल ग्रैजुएट, डिग्री/डिप्लोमा धारक, पोस्ट ग्रैजुएट हैं लेकिन या तो बेरोजगार हैं या अपने योग्य रोजगार से वंचित। इसके अतिरिक्त देश के बाकी हिस्सों

की तुलना में पूर्वोत्तर में गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक अवसरों और व्यावसायिक संस्थानों का अभाव है। वैसे पूर्वोत्तर में शिक्षा प्रणाली पर बंद और हड्डालों का भी बहुत बुरा असर हुआ है। ऐसे मामले भी हैं जब पूरे साल भर 100 दिनों के लिए भी कक्षाएं नहीं चलीं। नतीजतन, बहुत से माता-पिता अपने बच्चों को दूसरे राज्यों में भेजने के लिए मजबूर हुए। कई बार उन्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। उनके बच्चे बाल तस्करी जैसे अपराध का शिकार हुए। स्थिति इतनी बदतर हो गई कि सुप्रीम कोर्ट को यह आदेश जारी करना पड़ा कि मणिपुर में 12 साल से कम उम्र के बच्चे राज्य छोड़कर नहीं जा सकते।

असंतोषजनक शिक्षा प्रणाली के अतिरिक्त उग्रवाद के कारण भी पूर्वोत्तर के युवा प्रभावित हुए हैं। पूर्वोत्तर के लगभग सभी राज्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उग्रवाद से प्रभावित हैं। असम में उल्फा और कर्बी-अंगलांग संघर्ष है तो नागालैंड में नागालिम मुद्दा और नगा-कुकी संघर्ष। अरुणाचल प्रदेश चकमा हाजोंग और अरुणाचली संघर्ष से प्रभावित है जबकि पूर्वोत्तर के बाकी सभी राज्य स्थानीय और बाहरी लोगों के बीच संघर्ष से जूझ रहे हैं। सीमा पारीय तस्करी, उग्रवाद और उग्रवादियों एवं सेना के बीच चल रहे संघर्ष ने पूर्वोत्तर राज्यों में लोगों के जीवन को मुश्किल और दर्दनाक बना दिया है। इस क्षेत्र में सामाजिक-राजनीतिक असंतोष पिछले कई दशकों से कायम है जिसमें उग्रवादी समूह का पनपना, रक्तपात, जन प्रदर्शन, सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम का विरोध और भ्रष्ट सरकारी मशीनरी शामिल हैं। क्षेत्र के कुछ हिस्सों में जीवन किसी बुरे सपने से

लेखिका आईआईएम शिलांग में एसोसिएट प्रोफेसर एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास केंद्र (सेंडर) की अध्यक्ष हैं। शिक्षण व परामर्श के क्षेत्र में उनको दो दशक से अधिक का अनुभव हासिल है। उन्हें शिक्षण के क्षेत्र में योगदान के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। विभिन्न अर्थात्-सामाजिक विषयों पर उनके आलेख प्रकाशित होते रहे हैं। ईमेल: nwk@iimshillong.in

कम नहीं; एक साल में 100 दिनों तक आम हड्डताल, दुकानें और स्कूल बंद और सड़कों पर सार्वजनिक परिवहन नदारद। कई क्षेत्रों में बमुश्किल दो घंटे ही बिजली उपलब्ध होती है, पानी की आपूर्ति सप्ताह में एक या दो बार होती है, बाजार और दुकानें शाम को चार बजे के बाद बंद कर दिए जाते हैं और सड़कें रात आठ बजे के बाद सुनसान हो जाती हैं।

इन तमाम समस्याओं के बावजूद पूर्वोत्तर के निवासी अपने गांवों, कस्बों, शहरों में शांति से रह रहे थे और अपने राज्यों से बाहर जाने के इच्छुक नहीं थे लेकिन जब वैश्वीकरण बड़े शहरों तक पहुंचा तो तस्वीर पूरी तरह से बदल गई। वैश्वीकरण से मिलने वाले लाभ ने पूर्वोत्तर की युवा पीढ़ी को आकर्षित किया और उन्होंने विशेष रूप से बीपीओ, शॉपिंग मॉल और आतिथ्य उद्योग में रोजगार की तलाश में पलायन करना शुरू कर दिया। इसके अतिरिक्त सरकारी और निजी, दोनों प्रकार के रोजगार की कमी के कारण पूर्वोत्तर के युवा क्षेत्र से बाहर नौकरियों की तलाश करने लगे।

विभिन्न विजातीय समुदायों के बीच संघर्ष और विद्रोहों ने पूर्वोत्तर के सैकड़ों गांवों को नष्ट कर दिया था, बहुत से लोग मरे गए थे और बहुत से बेघर और अनाथ हो गए थे। उनमें से अनेक आंतरिक रूप से विस्थापित हो गए थे। इनमें से अनेक ने अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ पलायन का जोखिम उठाया और दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और बंगलुरु जैसे बड़े शहरों में पहुंच गए।

इसके अतिरिक्त पूर्वोत्तर राज्यों में छोटी-बड़ी नदियों में बाढ़ और जलभराव जैसी तबाही भी होती रहती है। सेलाब के कारण वहां परिवहन और संचार से संबंधित समस्याएं भी मुंब बाए खड़ी रहती हैं जिसका असर आय के स्रोत पर पड़ता है। इसलिए राज्य में रोजगार के अवसर उपलब्ध न होने के कारण सुपात्र और योग्य युवाओं को बाहर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वहां बिजली और इंटरनेट जैसी आधुनिक सुविधाओं की कमी है। एक समय ऐसा भी था जब स्थानीय समाचार पत्र भी दूरस्थ स्थानों तक नहीं पहुंचते थे। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस क्षेत्र से संबंधित पर्याप्त कवरेज न होना भी इस समस्या को बढ़ा रहा है। इसलिए, दिल्ली प्रवासियों को शरण और आजीविका देने की सबसे माकूल जगह मानी जाती है।

देश के अन्य भागों में पूर्वोत्तर राज्यों से पलायन को रोकने के लिए शिक्षा प्रणाली को पूरी तरह से बदला जाना चाहिए। उद्योग संबंधी प्रशिक्षण, मात्रा की जगह गुणवत्ता, अनुसंधान और उद्यमशीलता की मानसिकता को बढ़ावा देने पर ध्यान दिया जाना चाहिए जैसा कि तमाम उन्नत राज्यों (उद्योग केंद्रित) में किया जाता है। रोजगार की दर को बढ़ाने के लिए कंपनियों को सीएसआर पहल के अंतर्गत तकनीकी और गैर तकनीकी संस्थानों को प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए।

मेक इन इंडिया और स्टार्ट अप मॉडल का लाभ उठाते हुए रोजगार के अवसरों का लाभ लेने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों को भविष्य में रोजगार की मांग (खनिज, बन, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, जल, मछली पालन, रेशम उत्पादन, पर्यटन आदि पर आधारित प्राथमिक, माध्यमिक और सेवा क्षेत्र) और आपूर्ति (श्रमशक्ति के आकार) पर आंकड़े तैयार करने चाहिए। रोजगार की आपूर्ति के लिए पाठ्यक्रम पर ध्यान देना चाहिए।

मेक इन इंडिया और स्टार्ट अप मॉडल का लाभ उठाते हुए रोजगार के अवसरों का लाभ लेने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों को भविष्य में रोजगार की मांग (खनिज, बन, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, जल, मछली पालन, रेशम उत्पादन, पर्यटन आदि पर आधारित प्राथमिक, माध्यमिक और सेवा क्षेत्र) और आपूर्ति (श्रमशक्ति के आकार) पर आंकड़े तैयार करने चाहिए। रोजगार की आपूर्ति के लिए पाठ्यक्रम पर ध्यान देना चाहिए।

प्राथमिक, माध्यमिक और सेवा क्षेत्र) और आपूर्ति (श्रमशक्ति के आकार) पर आंकड़े तैयार करने चाहिए। रोजगार की आपूर्ति के लिए पाठ्यक्रम पर ध्यान देना चाहिए। (जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र और पड़ोसी देशों के तुलनात्मक लाभ, शिक्षकों का प्रदर्शन, अवकाश के दौरान प्रशिक्षण (शिक्षक और विद्यार्थी), नए उपाय और दक्षता केंद्रित (अंतर को समझना और उसे दूर करना, प्रशिक्षण पर ध्यान) शिक्षा शामिल हैं)

पूर्वोत्तर राज्यों की ताकत का पूरा उपयोग किया जाना चाहिए जैसे अंग्रेजी भाषी बड़ी आबादी, विद्यार्थियों का विविध सांस्कृतिक सम्मिश्रण और उच्च साक्षरता दर। जरूरत इस बात की है कि सिर्फ अध्ययन नहीं किया जाए बल्कि कार्रवाई की जाए। वर्षों से अनेक एजेंसियों द्वारा किए गए अध्ययनों, सम्मेलनों,

समिनारों, कार्यशालाओं, गोष्ठियों, चर्चा मंचों के बांधित परिणाम नहीं मिले हैं और संसाधनों की बर्बादी बदस्तर जारी है। अब हमें सही दृष्टिकोण और सही रणनीति की जरूरत है। विभिन्न स्तरों पर सरकारी विभागों, आईसीसी, फिक्की, फाइनर और नागरिक समाज को इस बात पर मंथन करना चाहिए कि पूर्वोत्तर को किस प्रकार एक शैक्षिक और पर्यटन केंद्र के रूप में बदला जाए। हमें पर्यटन के क्षेत्र में पूर्वोत्तर की क्षमता के बारे में चर्चा करनी चाहिए। अब योजना बनाने और कार्य करने की जरूरत है। प्रमुख पर्यटन स्थलों को जोड़ने हेतु बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर नजर रखने के लिए दीर्घकालीन दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। पर्यटकों को ट्रैकिंग के लिए और इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वाईएचएआई जैसी ट्रैकिंग एजेंसियों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसी प्रकार साहसिक खेलों में प्रशिक्षण और सुखद अनुभव प्रदान करने के लिए पेशेवरों का उपयोग करना चाहिए जिससे पूर्वोत्तर क्षेत्र साहसिक खेलों का केंद्र बन सके। सतत पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए पूर्वोत्तर पर्यटन नीति को भी महत्व दिया जाना चाहिए और इस क्षेत्र को गोवा और केरल के समान बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

संस्थागत समस्याओं के कारण कारगर ऋण वितरण प्रणाली के लिए समुदाय आधारित कोलेटरल को बढ़ावा देने की रणनीति अपनाई जानी चाहिए जिससे स्थानीय लाभ उठाए जा सकें। रणनीतिक रूप से इस क्षेत्र की पहुंच पूर्वी भारत के परंपरागत घरेलू बाजार तक है, साथ ही देश के पूर्वी राज्य और बांगलादेश व म्यांमार जैसे पड़ोसी देश भी इसके आस-पास स्थित हैं। यह क्षेत्र पूर्वी और दक्षिण एशियाई देशों के लिए भी सहूलियत भरा प्रवेश बिंदु है। वित्तीय संस्थानों को अवसरों की तलाश करनी चाहिए और अपने बैंकिंग लेनदेन के माध्यम से रोजगार का सृजन करने में मदद करनी चाहिए।

चाय, कॉफी, सुर्गीधातु और औषधीय पौधों और बागवानी उत्पादों के जरिये आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए क्षेत्र में सेज भी स्थापित किए जा सकते हैं। मांग आधारित तकनीक को निर्मित करने के लिए एक मजबूत अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) प्रणाली की अत्यधिक आवश्यकता है जोकि छोटे उद्यमियों के अनुकूल होती है। कारगर

(जारी ... पृष्ठ 15 पर)

पूर्वोत्तर की ओर अग्रसर कौशल मिशन

संजीव दुग्गल



प्रधानमंत्री के स्किल इंडिया के आह्वान का अनुसरण करते हुए यह मिशन देश के कोने-कोने तक फैल रहा है। केंद्र सरकार की ओर से पूर्वोत्तर क्षेत्र पर नए सिरे से ध्यान दिए जाने के साथ ही भारत सरकार के प्रमुख केंद्रीय मिशनों में से एक स्किल इंडिया मिशन के लिए भी वहाँ अपना आधार स्थापित करने की संभावनाएं तलाशना बेहद आवश्यक हो गया। पूर्वोत्तर क्षेत्र में केवल आत्मनिर्भर आर्थिक इकाई के रूप में विकसित होने की ही नहीं, बल्कि देश की समग्र आर्थिक वृद्धि की दास्तान में भी योगदान देने की अपार संभावनाएं मौजूद हैं।

सेंटम लर्निंग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक हैं। सेंटम लर्निंग एक विशिष्ट लाभदायक प्रशिक्षण एमएनसी है। सेंटम लर्निंग ने कई पुरस्कार जीते हैं जिनमें राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की ओर से वर्ष 2012-13 के लिए हाइएस्ट परफॉर्मिंग पार्टनर अवार्ड, एसोचेम की ओर से इंटरनेशनल स्किलिंग अवार्ड प्रमुख हैं। उन्हें हाल ही में हॉवर्ड यूनिवर्सिटी के हॉवर्ड केनेडी स्कूल द्वारा आयोजित अफ्रीकन विकास सम्मेलन में कौशल विकास के बारे में अपने विचार व्यक्त करने के लिए आर्मित्रित किया गया। वह इंडियन बिजनेस स्कूल हैदराबाद के भी विजिटिंग फैकल्टी हैं और अनेक मंचों तथा कंपनियों के बोर्ड के सदस्य हैं।

कें

द्र ने हाल ही में पूर्वोत्तर में नए जिलों में कौशल विकास प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) की स्थापना करते हुए पूर्वोत्तर में बड़े पैमाने पर कौशल भारत पहल का प्रारंभ किए जाने की घोषणा की है। केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री श्री राजीव प्रताप रूड़ी ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के उद्योग जगत से क्षेत्र में कौशल विकास में सक्रिय रूप से भाग लेने का अनुरोध किया है तथा फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉर्मस ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन (एफआईएनईआर) से समस्त 40 क्षेत्र कौशल परिषदों में प्रत्येक के लिए एक सदस्य का सुझाव देने को कहा है। मंत्री ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) का पुनर्गठन करने और उसमें एफआईएनईआर को सदस्य के रूप में शामिल करने का भी प्रस्ताव किया है।

आठों पूर्वोत्तर राज्य, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम (2002 में शामिल किया गया) और त्रिपुरा तेजी से प्रगति कर रहे हैं, शेष भारत से कहीं ज्यादा तेज गति से अपने लोगों को शिक्षित बना रहे हैं, कृषि पर उनकी निर्भरता में कमी ला रहे हैं और खुशहाली की दिशा में बढ़ रहे हैं लेकिन दुर्भाग्यवश यह वृद्धि रोजगार और आजीविका कमाने के पर्याप्त अवसरों का सृजन नहीं कर पा रही है, जिससे बड़े पैमाने पर असंतुलन उत्पन्न हो रहा है। क्षेत्र की अवसरंचना सहित विकास संबंधी

चुनौतियों से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2004 में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय का सञ्जून किया और इस मंत्रालय को वर्ष 2015-16 में 2,362 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई।

यह क्षेत्र पूर्वी भारत के परंपरागत घरेलू बाजार तक पहुंच वाली अपनी सामरिक अवस्थिति की बजह से विशेष लाभ की स्थिति में है। इतना ही नहीं, पूर्व के प्रमुख राज्यों और बांग्लादेश और म्यामार जैसे पड़ोसी देशों से निकटता के कारण, यह क्षेत्र दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों के बाजारों के लिए लाभप्रद प्रवेश द्वारा भी है। संसाधनों से सम्पन्न पूर्वोत्तर के पास उपजाऊ कृषि भूमि और प्रतिभाशाली लोगों का विशाल समूह है, जो इसे भारत के सबसे खुशहाल क्षेत्रों में तब्दील कर सकता है।

पूर्वोत्तर भारत में समय की मांग

- पूर्वोत्तर के प्रत्येक राज्य में कौशल प्रबंधन के लिए समर्पित सरकारी सिंगल प्लाइट ऑफ कॉटैक्ट (एसपीओसी) की व्यवस्था किए जाएं।
- कार्यान्वयन भागीदार (एनएसडीए, एनएसडीसी आदि) की ओर से प्रत्येक राज्य के लिए समर्पित परियोजना प्रमुख तय किया जाए।
- केंद्र और राज्य की योजनाओं अथवा निधियों का दक्षता से लाभ उठाना।

क्षेत्र की आर्थिक संभावनाओं का उपयोग करने के लिए जनसांख्यकीय लाभ और मानकों का इस्तेमाल किया जाना अनिवार्य है, जो बाजार से संबंधित कौशल विकास प्रारंभ

पूर्वोत्तर राज्यों के लिए तत्काल बहु-कौशल संस्थान प्रारंभ किए जाने की आवश्यकता है। इसके साथ-साथ, क्षेत्र में उच्चतर शिक्षा को प्रशिक्षित के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। कार्य आधारित शिक्षण से करियर का मार्ग प्रशस्त होगा। कौशलों को आकर्षक, उपयुक्त बनाने और प्रवासन की प्रमुख चुनौती से निपटने संबंधी मांग को पूरा करने योग्य बनाने की भी आवश्यकता है।

करेंगे। हालांकि, अपर्याप्त अवसंरचना एवं संपर्क, बेरोजगारी और अल्प आर्थिक विकास, कानून एवं व्यवस्था की समस्याओं आदि को ध्यान में रखते हुए इसकी विशिष्ट चुनौतियों के कारण, परंपरागत बाजार-आधारित समाधान संभवतः यहां कारगर न रहें।

भारत अपने युवा कार्यबल की वजह से भले ही लाभाप्रद स्थिति में है लेकिन कौशल की गुणवत्ता अभी तक उसके लिए चुनौती बनी हुई है। वर्ष 2014 में कराए गए एक सर्वेक्षण में शामिल किए गए लगभग 78 प्रतिशत नियोक्ताओं का कहना था कि वे भारत में कौशलों के बढ़ते फासले से चिंतित हैं, जबकि 57 प्रतिशत का कहना था कि उनके पास वर्तमान में ऐसी रिक्तियां हैं, जिनके लिए उन्हें अहर्तप्राप्त उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। प्रतिवर्ष कार्यबल में शामिल होने वाले 140 लाख लोगों में से मात्र 20 लाख ही औपचारिक तौर पर प्रशिक्षित होते हैं। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि 100 में से मात्र 4.5 प्रतिशत व्यक्ति ही कुशल हैं। ताजा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के अनुसार, पूर्वोत्तर में यह प्रतिशत और भी कम है। 96 प्रतिशत कुशल कार्यबल वाले कोरिया और 80 प्रतिशत कुशल मानवशक्ति वाले जापान जैसे देश काफी आगे हैं।

व्यवहारिक और लागू किए जा सकने वाले कौशल मॉडल्स का अभाव, क्षेत्र में कौशल विकास पद्धतियों में बाधा पहुंचाने वाले प्रमुख कारकों में से एक है। वैसे तो बहुत

सी एजेंसियां विविध दृष्टिकोणों के माध्यम से कौशल विकास कर रही हैं लेकिन इसके बावजूद उनमें से ज्यादातर के पास नवाचार की कमी है और वह आवश्यकताएं पूरी करने में सक्षम भी नहीं हैं।

पूर्वोत्तर में कौशल संबंधी चुनौतियां

पूर्वोत्तर में कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना तत्काल किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि भारतीय युवावर्ग की महत्वाकांक्षाओं को आकर्षित कर पाना चुनौतीपूर्ण है। बड़े केंद्रों में “माइग्रेशन सपोर्ट सेंटर्स” की स्थापना द्वारा उम्मीदवारों को साथ जोड़े रखने और उनके करियर के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध करवाए जा सकते हैं। यह उपाय पूर्वोत्तर, पर्वतीय राज्यों, अन्य (वामपंथी उग्रवाद) प्रभावित जिलों सहित दुर्गम इलाकों से आने वाले प्रशिक्षितों के लिए ज्यादा अनिवार्य होगा।

स्थानीय संसाधनों और आजीविका के साधनों की तुलना में मेघालय में अगरवुड के वृक्षारोपण के जरिए रोजगार के अवसर ज्यादा तेजी से सृजित किए जा सकते हैं। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का व्यापारिक मॉडल वृक्षारोपण की व्यवस्था करने से लेकर उसके संचारण, कटाई, अगरवुड उत्पादों से अर्के निकालने और उसकी प्रॉसेसिंग करके बेहद महंगे तेल सहित अगरवुड से बनने वाले बहुसंख्य उत्पाद तैयार करने में दोहराए जा सकने वाले लम्बवत एकीकृत कारोबार के सृजन पर आधारित है।

पूर्वोत्तर राज्यों के विकास और रोजगार सृजन की संभावनाओं के संबंध में किए गए अध्ययन के अनुसार, वर्ष 2011 से 2021 के बीच, क्षेत्र में केवल 26 लाख नौकरियां होंगी। इसमें से आधी मांग, जो लगभग 1,234,357 नौकरियां हैं, अकेले असम में ही होंगी। इस अल्प मांग के विपरीत, वर्ष 2011 -2021 में, एक करोड़ 70 लाख लोग मौजूद होंगे, नौकरी पाने के इच्छुक एक करोड़ 40 लाख अतिरिक्त लोग होंगे। यह क्षेत्र रोजगार के 26 लाख अवसरों का सृजन करेगा लेकिन 168 लाख मानवशक्ति ही उपलब्ध होगी। इसलिए स्थानीय रोजगार पाने और दूसरी जगह बसने की इच्छा रखने वाले लोगों, दोनों के लिए कौशलों का विकास करने के लिए दोहरा दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।

कौशल विकास से संबंधित किसी भी

योजना को लागू और कार्यान्वित करने की दिशा में एक अन्य प्रमुख चुनौती देश के ग्रामीण और दूर-दराज के इलाकों के युवाओं तक पहुंच बनाना, उन्हें शिक्षित और प्रेरित करना है। शिक्षण और विकास में 30 वर्ष से अधिक के अनुभव के साथ हमें इस बात का अहसास हुआ है कि कार्पोरेट जगत के कर्मचारियों की दक्षता बढ़ाने का एकमात्र तरीका नवीन प्रशिक्षण कार्यपद्धतियां हैं, जिन्हें समय-समय पर उन्नत बनाने की आवश्यकता होती है।

लेखक ने विभिन्न मंचों पर अक्सर इस बारे में चर्चा की है कि पूर्णकालिक शिक्षा प्राप्त नहीं करने वाली महिलाओं के लिए सरकार को व्यवसायिक शिक्षा किस प्रकार अनिवार्य बनानी चाहिए। भारत में नौकरी और किसी को काम पर रखने का आधार अहर्ता के स्थान पर कौशल को बनाए जाने की आवश्यकता है। सरकार द्वारा प्रारंभ की गई बेटी बच्चाओं, बेटी पढ़ाओं और डिजिटल इंडिया योजनाओं के साथ युवाओं, विशेषकर महिलाओं को अनिवार्य तौर पर कंप्यूटर का उपयोग करना सिखाया जाना चाहिए और उन्हें कुशल (किसी भी क्षेत्र में) बनाया जाना चाहिए। सरकार को विकलांगजनों के लिए विशेष कदम उठाने और नियोक्ताओं तथा औद्योगिक समूहों के साथ संबंध कायम करते हुए उनके लिए रोजगार के अवसरों के सृजन में सहायता प्रदान करने की भी आवश्यकता है। यदि सरकार उपरोक्त लक्षित समूहों में से अधिकांश को अपने दायरे में लाने में सफल रहती है, तो लोगों को सशक्त बनाने और उनके जीवन में बदलाव लाने के सपने को काफी हद तक साकार किया जा सकता।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में कौशल से संबंधित कदमों पर अलग दृष्टिकोण से गौर किए जाने की आवश्यकता है। क्षेत्र की आबादी में से अधिकांश कृषि संबंधी मानसिकता रखते हैं। इस बात का अवसर और आवश्यकता है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र की जरूरतों के मुताबिक वहां कौशल विकास और उद्यमिता प्रोत्साहन को क्रियान्वित किया जाए।

खामियां दूर करना

पूर्वोत्तर राज्यों के लिए तत्काल बहु-कौशल संस्थान प्रारंभ किए जाने की आवश्यकता है। इसके साथ-साथ, क्षेत्र में उच्चतर शिक्षा को

प्रशिक्षुता के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। कार्य आधारित शिक्षण से करियर का मार्ग प्रशस्त होगा। कौशलों को आकर्षक, उपयुक्त बनाने और प्रवासन की प्रमुख चुनौती से निपटने संबंधी मांग को पूरा करने योग्य बनाने की भी आवश्यकता है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में कौशल से संबंधित कदमों पर अलग दृष्टिकोण से गैर किए जाने की आवश्यकता है। क्षेत्र की आबादी में से अधिकांश कृषि संबंधी मानसिकता रखते हैं। इस बात का अवसर और आवश्यकता है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र की जरूरतों के मुताबिक वहां कौशल विकास और उद्यमिता प्रोत्साहन को क्रियान्वित किया जाए। युवा और बढ़ती आबादी इस क्षेत्र की बहुमूल्य स्वामित्व और परिसंपत्ति है और क्षेत्र में व्याप्त आर्थिक संभावनाओं का उपयोग करने के लिए जनसांख्यकीय लाभ और मानकों का इस्तेमाल किया जाना अनिवार्य है, जो बाजार से संबंधित कौशल विकास का मार्ग प्रशस्त करेंगे।

पूर्वोत्तर में स्थानीय लोग बेहतरीन अवसरों का लाभ उठा सकें और वे रोजगार के लिए कहीं और जाकर न बसे, इसके लिए नियोजनीयता के मामले को सुलझाना और क्षमता विकास एवं कौशल सुधार के लिए योजना तैयार किया जाना आवश्यक है। पूर्वोत्तर के बहुत से क्षेत्र रोजगार के महत्वपूर्ण स्रोतों के रूप में उभर सकते हैं और ऐसे उपयुक्त शैक्षिक माध्यमों और लोगों के बीच विकसित किए जा सकने वाले कौशलों की पहचान किया जाना महत्वपूर्ण है, जिनसे उनके लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो सके।

पूर्वोत्तर फलों और अन्य फसलों की वैविध्यपूर्ण और विलक्षण किस्मों का गढ़ रहा है और वह पूर्वोत्तर राज्यों में युवाओं के लिए रोजगार के अपार अवसरों का सृजन करने

(पृष्ठ 12 से जारी ...)

बाजार प्रणाली के लिए आईआईएम शिलांग जैसे विशेषज्ञ संस्थान की मदद से एक प्रभावी आपूर्ति श्रृंखला बनाई जानी चाहिए। □

संदर्भ

1. डीआई बोग, (1971): इंटरनल माइग्रेशन इन ओ डी. डंकन एंड पीएम हाउसर (संपादित), द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन: एन इन्वेंट्री एंड अप्रेजल, शिकागो यूनिवर्सिटी प्रेस, शिकागो

पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (डीओएनईआर) के विजन 2020 लक्ष्य

- 2007-09 और 2019-20 के बीच 11.64 प्रतिशत सीएजीआर पर समग्र जीएसडीपी वृद्धि
- 2007-09 और 2019-20 के बीच समग्र प्रतिव्यक्ति आय में 12.95 प्रतिशत वृद्धि
- विजन 2020 में सहायता देने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने कार्यनीति योजना (2010-16) का निरूपण किया है जिनमें विशेष ध्यान दिया गया है
- पूर्वोत्तर के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में क्षमताओं और सामर्थ्य का निर्माण करना
- महत्वपूर्ण क्षेत्रों में क्षमताओं और सामर्थ्य

वाले एक प्रमुख खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के रूप में उभर सकता है। अपार अवसरों वाला एक अन्य संभावित क्षेत्र- हथकरघा है, जिसका उपयोग स्थानीय खपत के साथ ही साथ देश भर में आपूर्ति के लिए किया जाता है। उचित प्रकार की तकनीकी जानकारी सहित कौशलों का विकास किया जाए, तो वह स्थानीय प्रतिभा और विरासत को संरक्षित रखने के साथ ही साथ क्षेत्र की समग्र वृद्धि दर में भी योगदान दे सकता है।

विशेषकर पूर्वोत्तर में स्टार्टअप कंपनियों को प्रोत्साहन देने और उद्यमिता विकास करने के प्रयासों के परिणामस्वरूप पूर्वोत्तर क्षेत्र में उद्यमिता संबंधित परिदृश्य में अनुकूल बदलाव आए हैं। सही कौशल, स्मार्ट कैपिटल, नेटवर्किंग और विनियम, उद्यमिता संबंधी संस्कृति और सुदृढ़ विपणन कार्यनीतियों के माध्यम से स्टार्टअप्स के लिए सही परिस्थितियां तैयार करनी होंगी।

कुछ अन्य क्षेत्र जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में कौशल और नियोजनीयता का चेहरा

- का निर्माण करने के लिए कार्ययोजना तैयार करना
- क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करने और क्षमता निर्माण करने के लिए संस्थाओं और संगठनों की पहचान करना
- क्षेत्र में संबंधित मंत्रालयों, एनईसी अथवा राज्यों के माध्यम से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करना
- पूर्वोत्तर राज्यों में मौजूद प्रशिक्षण संस्थानों की क्षमता में वृद्धि करना
- कौशलों को उन्नत बनाने में आईटी का माध्यम के रूप में उपयोग करना

बदल सकते हैं उनमें होटल और आतिथ्य प्रबंधन, चिकित्सा और अर्द्धचिकित्सा संबंधी डिग्रियां, कृषि संबंधी कारोबार का प्रबंधन, आईटीईएस, बीपीओ और केपीओ कौशल, अभियांत्रिकी संबंधित डिग्रियां, व्यापार प्रबंधन, ऑटोमोबील्स, निर्माण, इलैक्ट्रॉनिक्स, नलसाजी, वस्त्र एवं परिधान से संबंधित व्यवसायिक कौशल शामिल हैं।

जहां एक ओर दीर्घकालिक निवेश (बिग टिकेट इन्वेस्टमेंट) से भले ही समग्र बदलाव लाया जा सकता हो, वहां दूसरी ओर, टिकाऊ संस्थाओं का सृजन करने के लिए ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाना भी महत्वपूर्ण है, ताकि वे माइक्रोफाइनेंस, आजीविका और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से संबंधित सामान्य कार्यकलाप कर सकें। इन सभी कदमों के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों से समर्पित प्रयासों की आवश्यकता होती है, इनके परिणामस्वरूप आर्थिक सशक्तिकरण और भागीदारी विकास की आवश्यकता की भी पूर्ति हो जाती है। □

2. मधु चंद्र (2010): नॉर्थ ईस्ट माइग्रेशन एंड चैलेंज़ इन नॉर्थ ईस्ट मेंगा सिटीज
3. जी एस गोसल (1961): इंटरनल माइग्रेशन इन इंडिया: अ रीजनल एनालिसिस, इंडियन ज्योग्राफिकल जर्नल, अंक 36, पृष्ठ 106-121
4. आर बी मंडल (संपादित) (1981): फ्रेंटियर्स इन माइग्रेशन एनालिसिस, कॉस्पोट पब्लिशिंग कंपनी, नई दिल्ली, पृष्ठ 25
5. डब्ल्यू ए पीटरसन, (1958): जनरल टाइपोग्राफी ऑफ माइग्रेशन, सोशलोज़िजिकल रिव्यू, संख्या 23
6. सबीब बस्ता (2005): ड्यूरेबल डिसपोडर: अंडरस्टैंडिंग द पॉलिटिक्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ओयूपी
7. महावीर सिंह (संपादित) (2005): होम अवे फ्रॉम होम: इनलैंड मूवमेंट ऑफ पीपुल इन इंडिया, अनामिका प्रकाशक और वितरक (प्रा.) लिमिटेड (मकाएस), पृष्ठ 11
8. जी टी ब्रेवर्था (1969): द ज्योग्राफी ऑफ पॉपुलेशन: वर्ल्ड पैटर्न्स, जॉन विले एंड संस इनकार्पोरेट न्यूयॉर्क



IGNITED MINDS IAS

पूरे भारत में हिन्दी माध्यम में सर्वाधिक चयन देने वाला संस्थान। इस वर्ष भी कुल 50+ चयन

पिछले 6 वर्षों में सबसे अधिक हिन्दी माध्यम के IAS टॉपर्स को प्रशिक्षित करने वाला संस्थान

मुख्य मार्गदर्शक अमित कुमार सिंह.... हमारे IAS टॉपर्स

००. इस वर्ष के हमारे टॉपर्स ००



ANIL DHAMELIA
RANK - 23
2014-15



MIIHIR PATEL
RANK - 27
2014-15



RAJENDRA K PATEL
RANK - 70
2014-15



RAJENDER PENSIYA
RANK - 345
2014-15



AMIT KR SINGH
RANK - 396
2014-15

००. पिछले वर्षों के हमारे टॉपर्स ००



श्रेया पटेल
AIR-22nd
2013-14



निशा तिवारी
AIR-96th
2013-14



दर्जन वाईद्या
AIR-149th
2013-14



रिख अरोड़ा
AIR-34th
2010-11



नितिश पटेल
AIR-11th
2010-11



प्रियंका वर्मा
AIR-20th
2012-13



भवेश कुमार
AIR-25th
2012-13

हमारे PCS टॉपर्स



सुनील कुमार शुक्ला
Rank-1st
छठीसगढ़ PCS 1st



संदीप कुमार
Rank-2nd
बिहार PCS



दिनेश मिश्रा
Rank-3rd
UPPCS, 2012



सुधीर पटेल
Rank-3rd
UPPCS, 2010



अमित भद्रा
Rank-4th
UPPCS, 2011



योगीपाल पाठेय
Rank-1st
UPPCS, 2009

क्या कहते हैं टॉपर्स हमारे बारे में →

ETHICS (G.S. IV Paper) में इस वर्ष हमारे संस्थान से 70 से अधिक विद्यार्थियों को 100+ अंक

हमारे कक्षा
कार्यक्रम

लगातार 7 वें वर्ष दर्शनशास्त्र में (गैर अंग्रेजी माध्यम) सर्वोच्च रैंक एवं सर्वोच्च अंक हमारे संस्थान से

दिल्ली केन्द्र

इलाहाबाद केन्द्र

दर्शनशास्त्र 13 अप्रैल 3:15 pm
ETHICS 13 अप्रैल
(G.S. Paper-IV) 11:30 am

निबंध | Polity & I.R.
(Module)
अति शीघ्र बैच पारम्पर

रक्ता अध्ययन अति शीघ्र बैच पारम्पर
नामांकन जारी...

सफलता की कहानी जारी..... अब आपकी बारी.....

दर्शनशास्त्र 5 अप्रैल 5:00 pm

ETHICS 5 अप्रैल
(G.S. Paper-IV) 2:00 pm

सा० अध्ययन (Pre-cum-Mains) **रक्ता अध्ययन** **समाजकार्य**

निबंध भूगोल **Polity & I.R.**
इतिहास

A-2, 1st Floor, Comm. Comp. Near Mukherjee Nagar, Delhi-09

9643760414. 8744082373

Ph.: 011-27654704, 0532-2642251

H-1, First Floor, Madho Kunj, Katra, Allahabad

9389376518, 9793022444

Website: www.ignitedmindsias.com

स्वास्थ्य: देश के औसत से बेहतर पूर्वोत्तर

आशुतोष कुमार सिंह



राष्ट्र के विकास को मापने का उत्तम मानक वहाँ का स्वस्थ समाज होता है। नागरिकों के स्वास्थ्य का सीधा असर उनकी कार्य-शक्ति पर पड़ता है। इस संदर्भ में इस आलेख के माध्यम से हम भारत के आठ राज्यों के स्वास्थ्य की स्थिति का जायजा लेने का प्रयास कर रहे हैं। यह जायजा बहुत हद तक संतोषजनक कहा जा सकता है। हालांकि गहराई से देखने पर कई ऐसे बिंदु नजर आते हैं जहाँ अतिरिक्त श्रम व संसाधन लगाए जाने की अब भी आवश्यकता बनी हुई है।

अ

गर हम विभिन्न स्वास्थ्य संकेतकों को देखें तो निश्चित रूप से पूर्वोत्तर भारत के राज्यों की स्थिति शेष भारत के अन्य राज्यों या सकल राष्ट्रीय औसत के मुकाबले कहीं बेहतर दिखती है। ग्रामीण स्वास्थ्य बुलेटिन, 2011 के आंकड़े भी इस कथन की पुष्टि करते हैं।

पूर्वोत्तर के सुखद संकेतक

तमाम ऐसे स्वास्थ्य संकेतक हैं जो पूर्वोत्तर राज्यों को देश के शेष भाग से बेहतर स्थिति में दिखाते हैं। चिकित्सकों की उपलब्धता का ही मानक लें तो राष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर तीन या इससे ज्यादा डॉक्टर वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र महज 6.89 फीसद हैं। दो डॉक्टरों वाले पीएचसी भी 25.89 फीसद हैं जबकि 62.18 फीसद केंद्रों पर 1 डॉक्टर से ही काम चल रहा है। इन केंद्रों पर महिला चिकित्सकों का प्रतिशत 20.86 फीसद है। तालिका 4 में देखा जा सकता है कि जब हम पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करते हैं तो मणिपुर के

92.5 फीसद पीएचसी पर तीन या उससे ज्यादा डॉक्टर हैं जो राष्ट्रीय औसत से कई गुणा ज्यादा है।

इसी तरह सिक्किम के 58 फीसद केंद्रों पर दो चिकित्सक तैनात हैं। सिक्किम में ही महिला डॉक्टरों की तैनाती वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 75 फीसद है जबकि राष्ट्रीय औसत 21 के आसपास है। इसी तालिका से विदित होता है कि पूर्वोत्तर के 8 में से 4 राज्यों में वार्षित से ज्यादा संख्या में चिकित्सक उपलब्ध हैं जिसका सकारात्मक असर यहाँ के स्वास्थ्य प्रोफाइल पर पड़ा है। तालिका 1 ध्यान से देखने से मालूम चलता है कि मेघालय और असम को छोड़कर बाकी के 6 राज्यों का जन्मदर राष्ट्रीय जन्म दर से बेहतर है। वहीं मृत्यु दर के मामले में भी असम और मेघालय की ही स्थिति राष्ट्रीय स्तर पर कमतर है बाकी राज्यों का प्रदर्शन बेहतर है। तालिका 1 में ध्यान देने वाली बात यह है कि नागालैंड का मृत्यु दर 3.6 है जबकि राष्ट्रीय दर 7.2 है। इसी तरह शिशु मृत्यु दर के मामले में असम (58) और मेघालय (55) की स्थिति को छोड़कर बाकी 6 राज्यों की स्थिति राष्ट्रीय शिशु मृत्यु

तालिका 1: समग्र भारत और पूर्वोत्तर में स्वास्थ्य संकेतकों की तुलना

राज्य	क्रूड जन्मदर			क्रूड मृत्युदर			शिशु मृत्युदर		
	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी
अ. प्रदेश	20.5	22.1	14.6	5.9	6.9	2.3	31	34	12
असम	23.2	24.4	15.8	8.2	8.6	5.8	58	60	36
मणिपुर	14.9	14.8	15.3	4.2	4.3	4.0	14	15	9
मेघालय	24.5	26.6	14.8	7.9	8.4	5.6	55	58	37
मिजोरम	17.1	21.1	13.0	4.5	5.4	3.7	37	47	21
नागालैंड	16.8	17.0	16.0	3.6	3.7	3.3	23	24	20
सिक्किम	17.8	18.1	16.1	5.6	5.9	3.8	30	31	19
त्रिपुरा	14.9	15.6	11.5	5.0	4.8	5.7	27	29	19
सकल भारत	22.1	23.7	18.0	7.2	7.7	5.8	47	51	31

स्रोत: भारत में ग्रामीण स्वास्थ्य संरचनाकी बुलेटिन, 2011

लेखक स्वास्थ्य जागरूकता कार्यकर्ता तथा समाचार-विचार पोर्टल www.swasthbharat.in के संपादक हैं। स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर पत्र-पत्रिकाओं में अनेक आलेख लिखने के अलावा वह कंट्रोल एगेमआरपी (मेडिसिन मैक्सिम मिटेल प्राइस) तथा 'जेनरिक लाइए, पैसा बचाइए' जैसे अभियानों के माध्यम से दवा कीमतों व स्वास्थ्य सुविधाओं पर जन जागरूकता के लिए काम करते रहे हैं। ईमेल: forhealthyindia@gmail.com

तालिका 2: ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति स्वास्थ्य केंद्र पर निर्भर जनसंख्या (मार्च, 2011 तक)

राज्य	उपकेंद्र	प्रा.स्वा.के.	सा.स्वा.के.
अ. प्र.	3738	11022	22274
असम	5817	28551	247968
मणिपुर	4523	23745	118727
मेघालय	5849	21734	81689
मिजोरम	1430	9281	58782
नागालैंड	3553	11166	66993
सिक्किम	3123	18998	227981
त्रिपुरा	4288	34304	246368
भारत	5624	34876	173235

स्रोत: भारत में ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी बुलेटिन, 2011

दर (47) से बेहतर ही है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि मणिपुर की शिशु मृत्यु दर 14 है।

तालिका 2 से ज्ञात होता है कि असम और मेघालय को छोड़ दिया जाए तो बाकी के सभी राज्यों में स्वास्थ्य केंद्रों पर जनसंख्या दबाव राष्ट्रीय औसत से कम है। राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो 5624 व्यक्ति की निर्भरता एक स्वास्थ्य उपकेंद्र पर है जबकि पूर्वोत्तर में केवल असम और मेघालय में इससे ज्यादा व्यक्ति एक स्वास्थ्य उपकेंद्र पर निर्भर हैं। इसी तरह एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर निर्भर जनसंख्या के मामले में 34876 के राष्ट्रीय औसत के मुकाबले पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में यह आंकड़ा नीचे है। इस पैमाने पर सबसे अधिक बोझ त्रिपुरा पर है जहां एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 34304 व्यक्ति निर्भर हैं। पूर्वोत्तर में उच्चतम होने के बावजूद यह आंकड़ा राष्ट्रीय औसत से कहीं कम ही तो है। हालांकि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के मामले में यह स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। राष्ट्रीय

स्तर पर प्रति एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 173235 व्यक्तियों की निर्भरता है। असम, त्रिपुरा और सिक्किम में बोझ इससे भी कहीं ज्यादा है लेकिन अन्य राज्य बाकी मानकों की ही तरह बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं।

तालिका 3 से ज्ञात होता है कि एनएम क्वार्टर, बिना बिजली आपूर्ति वाले स्वास्थ्य केंद्र, बिना सड़क कनेक्टीवीटी वाले स्वास्थ्य केंद्र, लेबर रूम वाले स्वास्थ्य केंद्र, ऑपरेशन थियेटर वाले स्वास्थ्य केंद्र, फोन से युक्त स्वास्थ्य केंद्र इन तमाम तरह के मानकों पर नार्थ इस्ट राष्ट्रीय औसत से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन हाँ, इन केंद्रों पर पानी आपूर्ति की स्थिति बहुत खराब है। तालिका 5 से मालूम चलता है कि नार्थ इस्ट में देश के मुकाबले कितने फार्मासिस्ट, नर्सिंग स्टाफ, विशेषज्ञ चिकित्सक और रेडियोलोजिस्ट हैं। यह तालिका यहां पर विशेषज्ञों की कमी की ओर इशारा कर रही है। इस ओर सरकार को विशेष ध्यान देने की जरूरत है लेकिन कुल मिलाकर देखें तो कहा जा सकता है कि पूर्वोत्तर की स्वास्थ्य व्यवस्था देश की औसत व्यवस्था से बेहतर दिख रही है।

उपरोक्त तालिकाओं और मानकों के समग्र विश्लेषण से यह भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जिन क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य केंद्रों, इन केंद्रों में चिकित्सकों व चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता की स्थिति बेहतर है वहां स्वास्थ्य संकेतक बेहतर संकेत दे रहे हैं। अतः इस निष्कर्ष को पूरे देश के लिए एक आदर्श के रूप में देखा जा सकता है। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की स्वास्थ्य अवसंरचनाओं की स्थिति हम आगे के अनुच्छेदों में राज्यवार देखेंगे।

अरुणाचल प्रदेश

17 जिलों, 84 प्रखंड और 5589 गांवों वाला अरुणाचल प्रदेश 83743 वर्ग किमी में फैला

हुआ है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार यहां की जनसंख्या 13,82,611 है। ग्रामीण जनसंख्या 10,69,165 है जबकि शहरी क्षेत्रों में 313446 लोग रहते हैं। यहां की साक्षरता दर 66.95 फीसद है जबकि यहां का लिंगानुपात 920 है अर्थात् 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 920 है। यहां के स्वास्थ्य ढांचा की बात की जाए तो एचएमआईएस-2014-15 की रपट के अनुसार यहां पर स्वास्थ्य उपकेन्द्रों की संख्या 286 है, जबकि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अर्थात् पीएचसी की संख्या 117 है वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या 52 है। जिला अस्पतालों की संख्या 14 है। यहां जन्म दर जहां 19.4 है वहीं मृत्यु दर 5.8 है। शिशु मृत्यु दर 33 है जिसका मतलब है कि 1000 जन्म लेने वाले बच्चों में 33 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। एचएमआईएस रपट के अनुसार 2014-15 के अनुसार 10000 जनसंख्या पर आईपीडी केसों की संख्या 443 थी जबकि सामान्य ओपीडी की संख्या 9352 रही। वहीं आयुष ओपीडी केसों की संख्या 453 थी।

शिशु मृत्यु दर के मामले में अरुणाचल प्रदेश राष्ट्रीय औसत से बेहतर काम कर रहा है। यहां शिशु मृत्यु दर जहां 33 है वहीं राष्ट्रीय औसत 40 से ज्यादा है। तालिका 5 में बताया गया है कि यहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 97 चिकित्सकों की जरूरत है, जबकि तैनाती 92 की है। चौकाने वाली बात यह है कि यहां के 49 फीसद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक ही डॉक्टर तैनात है।

असम

26,395 गांव, 153 अनुमंडल व 27 जिलों में बटे एवं 78,438 वर्ग किमी में फैले असम की कुल जनसंख्या 31205576 है जिसकी साक्षरता दर 73.18 एवं लिंगानुपात 1000 पुरुषों के मुकाबले 954 महिला है। असम के स्वास्थ्य की बात की

तालिका 3: स्वास्थ्य केंद्रों में सुविधाएं (मार्च, 2011 तक)

राज्य	प्रतिशत उपकेंद्र				प्रतिशत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र					
	एनएम क्वार्टर वाले	एससी क्वार्टर में एनएम	बिना बिजली वाले	बिना सालभर सड़क संपर्क	प्रसूति ग्रह वाले	थियेटर उपलब्ध	ऑपरेशन	बिना जलापूर्ति युक्त	फोन युक्त	कंप्यूटर युक्त
अरुणाचल प्रदेश	39.9	100.0	22.0	33.2	69.1	11.3	29.9	13.4	0.0	
असम	55.2	19.9	67.6	15.0	73.1	3.5	41.8	47.7	59.9	
मणिपुर	0.0	0.0	63.8	27.4	47.5	0.0	68.8	7.5	91.3	
मेघालय	99.0	42.6	65.4	18.0	100.0	0.0	11.9	16.5	78.0	
मिजोरम	94.6	100.0	0.0	18.6	100.0	100.0	100.0	100.0	78.9	
नागालैंड	17.2	97.1	49.2	33.3	69.8	31.0	15.9	93.7	19.0	
सिक्किम	95.2	20.9	2.7	17.1	100.0	91.7	0.0	95.8	91.7	
त्रिपुरा	7.8	32.7	48.1	31.3	75.9	5.1	15.2	36.7	72.2	
सकल भारत	55.0	60.8	24.5	6.9	65.7	38.4	12.5	52.2	46.4	

स्रोत: भारत में ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी बुलेटिन, 2011

तालिका 4: समग्र भारत और पूर्वोत्तर में चिकित्सकों की उपलब्धता की तुलना

राज्य	चिकित्सकों की संख्या के अनुसार				प्रा.स्वा.के. में उपलब्ध चिकित्सक*		
	3+	2	1	महिला चि.	वांछित	उपलब्ध	कमी
अ. प्रदेश	6.18	34.02	49.48	20.62	97	92	5(5.15)
असम	21.75	46.16	32.09	36.99	938	1557	+
मणिपुर	92.5	7.50	0.00	60.00	80	192	+
मेघालय	1.83	13.76	84.40	29.36	109	104	5(4.59)
मिजोरम	0	5.26	77.19	28.07	57	37	20(35.09)
नागालैंड	0	16.67	69.05	12.70	126	101	25(19.84)
सिक्किम	0	58.33	41.67	75.00	24	39	+
त्रिपुरा	30.38	39.24	30.38	36.71	79	119	+
भारत	6.89	25.89	62.18	20.86	23887	26329	2866(12.0)

नोट: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रतिशत में हैं। *एलोपैथिक चिकित्सक, + सरप्लस संख्या

स्रोत: भारत में ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी बुलेटिन, 2011

जाए तो यहां उप स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या 4621 है, जबकि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या 1014 है। यहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 151 है

वहीं अनुमंडलीय अस्पतालों की संख्या 13 हैं। यहां पर जिला अस्पताल 25 हैं। यहां के अस्पतालों पर मरीजों का दबाव किस कदर है उसका अंदाजा एचएमआईएस 2014-15 रपट से लगाया जा सकता है जिसमें बताया गया है कि 10000 जनसंख्या पर आईपीडी केस-356 है जबकि जेनरल ओपीडी केस-8515, आयुष ओपीडी केसों की संख्या 165। वहीं जन्म दर की बात की जाए तो वह है 22.04 है जबकि मृत्यु दर 7.8 है। शिशु मृत्यु दर की स्थिति 54 है। मातृ मृत्युदर की बात की जाए तो यह प्रति 1 लाख पर 739 है।

अगर हम असम की स्वास्थ्य स्थिति को भारत के औसत स्वास्थ्य स्थिति से तुलना करें

तो पाते हैं कि राष्ट्रीय जन्म दर जहां 22.1 वहीं असम में यह 22.04, वहीं मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से .6 फीसद ज्यादा है यानी राष्ट्रीय जहां 7.2 है वहीं असम में मृत्यु दर 7.8 है। अर्थात् शिशु मृत्यु दर के पैमाने पर असम की स्थिति कमज़ोर है। राष्ट्रीय शिशु मृत्यु दर 2011 में जहां 47 था वहीं असम में यह 54 है। इस तरह देखा जाए तो असम का स्वास्थ्य की स्थिति राष्ट्रीय स्वास्थ्य के हिसाब से ठीक नहीं है। जैसा की तालिका 5 में बताया गया है असम के 32 फीसद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर एक ही डाक्टर है, जबकि 46 फीसद पीएचसी पर 2 डाक्टर तैनात हैं। हालांकि जनसंख्या अनुपात के हिसाब से देखा जाए तो इसी तालिका में यह दिखाया गया है कि 938 डॉक्टरों की यहां पर जरूरत है, जबकि 1557 डाक्टर तैनात किए गए हैं।

मणिपुर

2588 गांव, 38 प्रखंड और 9 जिलों में बटे मणिपुर की जनसंख्या-2,855794 है। आरएचएस की रपट के अनुसार मणिपुर में उप स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या 421 है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 85 है, अनुमंडलीय अस्पताल 1 है जबकि जिला अस्पतालों की संख्या 9 है। जन्मदर की बात की जाए राष्ट्रीय जन्म दर 22.1 की तुलना में कम है। 14.7 जन्म दर है जबकि मृत्यु दर 4 है। शिशु मृत्यु दर की स्थिति पूरे देश से बेहतर है। जहां शिशु मृत्युदर का राष्ट्रीय औसत 40 के आस-पास है वहीं यहां का शिशु मृत्यु दर 10 है। इसका एक कारण यह भी है कि यहां के पीएचसी में डॉक्टरों की संख्या प्रायाप्त है। तालिका 5 में बताया गया है कि मणिपुर के 92.5 फीसद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 3 या इससे ज्यादा चिकित्सक हैं। संभवतः इसका सीधा असर यहां शिशु मृत्यु दर पर पड़ा है। एचएमआईएस-2014-15 के अनुसार 10000 जनसंख्या पर आईपीडी केस-239 जेनरल ओपीडी की संख्या-3828 एवं आयुष ओपीडी केसों की संख्या-375 तथा यहां का लिंगानुपात 987 है। मणिपुर के स्वास्थ्य के इस तस्वीर को ठीक से समझने और अध्ययन करने की जरूरत है।

मेघालय

6839 गांव, 39 उप जिला और 7 जिलों में बटे एवं 22429 वर्ग किमी में फैले मेघालय की जनसंख्या 2,964007 है। यहां पर सारक्षरता दर 75.48 है जबकि लिंगानुपात 986 है। जन्म दर 23.9 एवं मृत्यु दर 7.6 जबकि शिशु मृत्यु दर 47 है। राष्ट्रीय अनुपात से तुलना की जाए मेघालय की स्थिति बाकी राज्यों की तरह ही है। तालिका 5 में दिए आंकड़े बता रहे हैं कि यहां के 84 फीसद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र महज 1 डॉक्टर के भरोसे

तालिका 5: पूर्वोत्तर के स्वास्थ्य केंद्रों में कार्यबल

राज्य	प्रा.स्वा.के. व सा.स्वा.के. में फर्मासिस्ट			प्रा.स्वा.के. व सा.स्वा.के. में नर्सिंग स्टाफ			सा.स्वा.के. में विशेषज्ञ*			सा.स्वा.के. में रेडियोग्राफर		
	वांछित	उपलब्ध	कमी	वांछित	उपलब्ध	कमी	वांछित	उपलब्ध	कमी	वांछित	उपलब्ध	कमी
अ. प्रदेश	145	56	89	433	293	140	192	1	191	48	9	39
असम	1046	1262	+	1694	2844	+	432	216	216	108	61	47
मणिपुर	96	135	+	192	574	+	64	4	60	16	13	3
मेघालय	138	142	+	312	414	+	116	9	107	29	22	7
मिजोरम	66	33	33	120	262	+	36	2	34	9	6	3
नागालैंड	147	112	35	273	302	+	84	34	50	21	1	20
सिक्किम	26	10	16	38	32	6	8	0	8	2	1	1
त्रिपुरा	90	116	+	156	393	+	44	0	44	11	7	4
सकल भारत	28696	24671	6444	57550	65344	13262	19236	6935	12301	4809	2221	2593

नोट: * विशेषज्ञ में सर्जन, महिला रोग विशेषज्ञ, फिजिशियन व पैडियाट्रिथर्यम आदि शामिल हैं, + सरप्लस, स्रोत: भारत में ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी बुलेटिन, 2011

चल रहे हैं। यहां स्वास्थ्य ढाचा की बीत की जाए तो 422 उप स्वास्थ्य केंद्र, 108 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 27 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा 1 अनुमंडल अस्पताल एवं 11 जिला अस्पताल हैं। प्रति 10000 जनसंख्या पर आईपीडी केसों की संख्या-811, जेनरल ओपीडी-10884, आयुष ओपीडी की संख्या 771 है। (एचएमआईएस-2014-15)

मिजोरम

830 गांव, 26 प्रखंड, 23 शहर और 8 जिला में बंटे एवं 21081 वर्ग किमी में फैले मिजोरम की जनसंख्या-10,97,206 है। साक्षरता दर 91.58 फीसद है जबकि लिंगानुपात 975 है। यहां पर उप स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या 370, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 57, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 9, अनुमंडलीय अस्पताल 2 और जिला अस्पताल 8 है। यहां की मृत्यु दर 4.3, जन्म दर 16.1 तथा शिशु मृत्यु दर 35 है। इससे यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय औसत से यहां का स्वास्थ्य ग्राफ थोड़ा बेहतर है। इसका एक कारण हम तालिका 5 दिए चिकित्सकों की उपलब्धता को भी दे सकते हैं। यहां पर जरूरत से ज्यादा चिकित्सकों की उपलब्धता है। अस्पतालों पर मरीजों के दबाव की बात की जाए तो 10000 जनसंख्या पर आईपीडी केसों की संख्या- 885, जेनरल ओपीडी की संख्या-10218 हैं वहीं आयुष ओपीडी की संख्या-279 है (एचएमआईएस-2014-15) लेकिन यहां पर यह ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर ऐसा एक भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है जहां पर 3 या उससे ज्यादा डॉक्टर हों।

नागालैंड

1428 गांव, 114 प्रखंड, 26 शहर एवं 11 जिलों में बंटे और 16579 वर्ग किमी में फैले नागालैंड की आबादी 1,978,502 है। जन्म दर 15.4, मृत्यु दर 3.1, और शिशु मृत्यु दर 18 है। लिंगानुपात 931 है। यहां पर उप स्वास्थ्य केंद्र 396, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 126, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 21 तथा जिला अस्पताल 11 हैं। 10000 जनसंख्या पर आईपीडी केसों की संख्या 2014-15 में 391 थी जबकि इसी दौरान जेनरल ओपीडी केसों की संख्या 5073 है। वहीं आयुष ओपीडी केसों की संख्या 143 है। प्रति इकाई जनसंख्या के लिए स्वास्थ्य केंद्रों की उपलब्धता के राष्ट्रीय औसत से तुलना की जाए तो नागालैंड की स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर है।

सिक्किम

452 गांव, 9 उपजिलों अथवा अनुमंडल एवं 4 जिलों में बंटे और 7096 वर्ग किमी में फैले सिक्किम की जनसंख्या 610577 है। यहां साक्षरता

दर 82.20 फीसद है जबकि लिंगानुपात 889 है। उप स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या 147, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या 24, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या-02 जबकि जिला अस्पताल 04 हैं। यहां पर जन्म दर 17.1, मृत्यु दर 5.02 जबकि शिशु मृत्यु दर 22 है। 10000 जनसंख्या पर आईपीडी केसों की संख्या 643.41 है, जबकि जेनरल ओपीडी की संख्या 14968 है। वहीं आयुष ओपीडी की संख्या 314.54 है। तालिका 5 के अनुसार सिक्किम के 58 फीसद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर दो चिकित्सक की तैनाती है। वहीं महिला चिकित्सक वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या कुल 75 फीसद है। इसका सीधा असर यहां की शिशु मृत्यु दर पर पड़ा है जो कि राष्ट्रीय औसत से बहुत बेहतर है।

पूर्वोत्तर के स्वास्थ्य की स्थिति भारत के अन्य राज्यों की तुलना में कुछ बेहतर है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यहां पर स्वास्थ्य के और ढांचागत विकास की जरूरत नहीं है। कुल चर्चा में हमें यह लगता है कि पूर्वोत्तर राज्यों के स्वास्थ्य को समझने के लिए ग्राउंड जीरो पर जाकर स्थिति को समझने की महती आवश्यकता है।

त्रिपुरा

875 गांव, 40 उपजिला अथवा अनुमंडल एवं 8 जिलों में बंटे और 10491 वर्ग किमी में फैले त्रिपुरा की जनसंख्या 3671032 है। यहां साक्षरता दर 87.75 फीसद है जबकि लिंगानुपात 961 है। उप स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या 972, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या 84, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या-18, अनुमंडल अस्पताल 13 है, जबकि जिला अस्पताल 03 हैं। यहां पर जन्म दर 13.7, मृत्यु दर 4.07 जबकि शिशु मृत्यु दर 26 है। 10,000 जनसंख्या पर आईपीडी केसों की संख्या 1211 है (2014-15एचएमआईएस), जबकि जेनरल ओपीडी की संख्या 9615 है। वहीं आयुष ओपीडी की संख्या 837 है।

त्रिपुरा के स्वास्थ्य की स्थिति भी बाकी राज्यों से बेहतर है। यहां पर यह ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर चिकित्सकों की तैनाती सही अनुपात में हुई है। 3 या उससे ज्यादा चिकित्सक वाले पीएससी 30 फीसद हैं। जबकि 2 डॉक्टर वाले पीएससी 39 फीसद हैं।

निष्कर्ष

जब से मानव की उत्पत्ति हुई है तभी से खुद को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी मानव पर रही है। बदलते समय के साथ-साथ स्वास्थ्य की चुनौतियां भी बदलती रही हैं। वर्तमान में किसी भी राष्ट्र के

लिए सबसे बड़ी चुनौती है राष्ट्र के जनसंख्या के अनुपात में स्वास्थ्य सुविधाओं को मुहैया करना। इस समस्या से हम भारतीय भी अछूते नहीं है। यदि हम भारत की बात करें तो 2011 की जनगणना के हिसाब से 1 मार्च, 2011 तक भारत की जनसंख्या का आंकड़ा 1 अरब 21 करोड़ पहुंच चुका था व निरंतर इसमें बढ़ोत्तरी हो रही है। हालांकि जनसंख्या की औसत वार्षिक घातीय वृद्धि दर तेजी से गिर रही है। 1981-91 में यह 2.14 फीसद, 1991-2001 में 1.97 फीसद था वहीं 2001-11 में यह 1.64 फीसद है। बावजूद इसके जनसंख्या का यह दबाव भारत सरकार के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्थित व्यवस्था करने में बड़ी मुश्किलों को पैदा कर रहा है।

2013 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, वर्ष 2011 तक देश में 1 लाख 76 हजार 8 सौ 20 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (ब्लॉक स्टर), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उप-केंद्र स्थापित हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त देश में 11 हजार 4 सौ 93 सरकारी अस्पताल हैं और 27 हजार 3 सौ 39 आयुष केंद्र। देश में (आधुनिक प्रणाली के) 9 लाख 22 हजार 1 सौ 77 डॉक्टर हैं। नर्सों की संख्या 18 लाख 94 हजार 9 सौ 68 बताई गई है। भारत में 10000 जनसंख्या पर औसतन 17.1 नर्स और आया हैं वहीं दक्षिण-पूर्व एशिया में यह औसत 15.3 फीसद है।

इस तरह देखा जाए तो पूर्वोत्तर के स्वास्थ्य की स्थिति भारत के अन्य राज्यों की तुलना में कुछ बेहतर है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यहां पर स्वास्थ्य के और ढांचागत विकास की जरूरत नहीं है। कुल चर्चा में हमें यह लगता है कि पूर्वोत्तर राज्यों के स्वास्थ्य को समझने के लिए ग्राउंड जीरो पर जाकर स्थिति को समझने की महती आवश्यकता है। □

सर्वधर्म

- http://www.rrcnes.gov.in/hmis/2014-15/arunachal_factsheet14-15.pdf
- http://www.rrcnes.gov.in/hmis/2014-15/assam_factsheet14-15.pdf
- http://www.rrcnes.gov.in/hmis/2014-15/Manipur_factsheet14-15.pdf
- http://www.rrcnes.gov.in/hmis/2014-15/meghalaya_factsheet14-15.pdf
- http://www.rrcnes.gov.in/hmis/2014-15/Mizoram_Factsheet_3rdQtr14-15.pdf
- http://www.rrcnes.gov.in/hmis/2014-15/nagaland_factsheet14-15.pdf
- http://www.rrcnes.gov.in/hmis/2014-15/Sikkim_Factsheet_3rdQtr14-15.pdf
- http://www.rrcnes.gov.in/hmis/2014-15/Tripura_Factsheet_3rdQtr14-15.pdf
- http://www.rrcnes.gov.in/hmis_report.html

पूर्वोत्तर भारत में जलमार्ग

विश्वपति त्रिवेदी



ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों का विशाल अपवाह क्षेत्र पूर्वोत्तर में जल परिवहन के लिए विपुल संभावनाएं उपलब्ध कराता है। यह सुखद है कि केंद्र सरकार ने अब इस ओर ध्यान देना शुरू किया है। इन संभावनाओं पर ठीक से कार्य किया गया तो ब्रह्मपुत्र व लोहित दिबांग घाटी न सिर्फ इस क्षेत्र या केवल भारत के लिए बल्कि अंतर्राष्ट्रीय परिवहन के लिए एक उन्नत जलमार्ग उपलब्ध करा सकती है।

भा

भारत में जलमार्ग का उपयोग करने की अवधारणा नई नहीं है। अकबर के समय से ही, यमुना और गंगा में लोगों और सामग्री के परिवहन के लिए जलमार्ग का इस्तेमाल किया जाता रहा है। आगे चलकर, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में कई जलमार्गों को विकसित किया गया और कई नदियों का जलमार्ग के तौर पर उपयोग जारी रखा गया लेकिन आजादी के बाद, ज्यादा जोर रेल और सड़क क्षेत्र पर दिया गया, परिणामतः जलमार्ग परिवहन में कमी आई। लगभग 14,500 किलोमीटर उपलब्ध जलमार्ग के बावजूद, पिछले वर्ष तक बमुश्किल 4,500 किलोमीटर को ही राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित किया गया। अब जाकर सरकार ने अंतर्रेशीय जल परिवहन की दिशा में बहुत ही आक्रामक रुख अछियार किया है और 106 अतिरिक्त जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित किया गया है। अब इनकी संख्या मौजूदा 5 से बढ़कर 111

हो गई है। इनमें से 19 नदियां पूर्वोत्तर भारत में हैं। (तालिका 1 देखें)

पूर्वोत्तर में घोषित ये नव राष्ट्रीय जलमार्ग निश्चित रूप से एक व्यवहारिक विकल्प के रूप में उभरेंगे और इस क्षेत्र के रसद परिवहन के लिए और अतिरिक्त सहायता प्रदान करेंगे।

पूर्वोत्तर भारत में जलमार्ग की नौवहन क्षमता का बेहतर उपयोग अभी किया जाना बाकी है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 (एनडब्ल्यू2), जो कि 891 किलोमीटर लंबा है और यह ब्रह्मपुत्र नदी का हिस्सा है। यह बांग्लादेश की सीमा के समीप धुबरी से शुरू होकर सदिया तक बहती है। इसमें हमेशा से ही काफी क्षमता उपलब्ध थी, लेकिन इस शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र को एक जलमार्ग के रूप में उस प्रकार से व्यापक तौर पर विकसित नहीं किया गया जिससे माल और लोगों का सुरक्षित रूप में और नियमित तौर पर परिवहन किया जा सके। पारीघाट के पास ब्रह्मपुत्र के ऊपरी भाग में जलमार्ग पर यातायात का एक नियमित प्रवाह है, लेकिन

तालिका 1: पूर्वोत्तर के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग

राज्य	सं.	नदियों/नहरों के नाम
अ. प्रदेश	1	लोहित
असम	14	आई, बराक, बेकी, धनसिरी/चठे, देहिंग, दिखु, दोयांस, गंगाधर, जिनजीराम, कोपिली, लोहित, पुथिमारी, सुबनसिरी और तलवांग (धलेश्वरी)
मेघालय	5	गनोल, जिंजीराम, कैंशी, सिमसांग और उमनगोट (दावकी)
मिजोरम	1	तलवांग (धलेश्वरी)
नागालैंड	1	तिजु - जुंगकी
कुल	19	

नोट: लोहित, जिंजीराम और तलवांग पूर्वोत्तर के एक से अधिक राज्यों में फैले हैं। इसलिए 19 नदियां पूर्वोत्तर में हैं। **नोट:** गंगाधर असम और पश्चिम बंगाल में है।

लेखक भारत सरकार के जहाजरानी मंत्रालय में राष्ट्रीय जहाजरानी बोर्ड के अध्यक्ष हैं। इससे पूर्व विभिन्न विभागों में सचिव स्तर के पदों पर रहे हैं। इंडियन एयरलाइंस का एयर इंडिया में विलय होने के पूर्व तक इसके चेयरमैन व प्रबंध निदेशक रहे हैं। वह वाशिंगटन स्थित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ भी काम कर चुके हैं। ईमेल: devtrivedi@gmail.com, chmnsb-ship@nic.in

चित्र 1: भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूद्धस कनेक्शन रा. जलमार्ग नं. 2 और 6



नौकाओं और उपलब्ध नावों के प्रकार, क्षमता और संख्या सीमित हैं। इस क्षेत्र में सेना भी नदी के उस पार अपने वाहनों के परिवहन के लिए जलमार्ग का उपयोग करती है। सदी के शुरुआती दौर में जलमार्ग 2 का आरंभ बिंदु धुबरी एक प्रसिद्ध बंदरगाह हुआ करता था, लेकिन संजीदगी से उसकी देखभाल नहीं हो सकी। इस क्षेत्र में मछली और सञ्जियां काफी मात्रा में उपलब्ध हैं, जो कि आंतरिक और बांग्लादेश दोनों ओर की मांग की पूर्ति के लिए प्रयोगी हैं। चित्र 2 देखें।

भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग

योजनाकारों, ने अच्छे परिणाम पाने के उद्देश्य से भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग पर राष्ट्रीय जलमार्ग 2 को बांग्लादेश के रास्ते राष्ट्रीय जलमार्ग 1 (हुगली/गंगा) से जोड़ा। लेकिन सीमा पार मुद्दों, बांग्लादेश के रास्ते नौकायन, बांग्लादेश के रास्ते जलमार्ग के विकास की कमी, पूरे प्रोटोकॉल मार्ग (बांग्लादेश में पद्मा नदी के ऊपर) पर ड्राट की उपलब्धता की कमी (तकनीकी रूप में

सकती है (और ले जाया जाना चाहिए)। इससे परिवहन में लाखों रुपये की बचत के साथ ही सड़कों पर भीड़ में कमी भी आएगी। भारतीय खाद्य निगम ने कभी इस तरह की पहल नहीं की, या कभी की भी तो पूर्वोत्तर में खाद्यान्न ले जाने के लिए परिवहन के इस सस्ते प्रारूप का उपयोग करने में वे सफल नहीं हो पाए। चित्र 2 देखें।

भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई), एनडब्ल्यू 2 पर बुनियादी ढांचे के निर्माण की योजना बना रहा है और अवसरंचना विकसित कर रहा है, लेकिन अभी भी इस दिशा में एक लंबी दूरी तय किया जाना

बाकी है। पांडु घाट पर रेलवे से सटे पुल का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक वहां माल की आवाजाही प्रयोगी रूप से नहीं देखी गई है। आईडब्ल्यूएआई ने धुबरी में लगभग एक रो-रो (रोल ऑन, रोल ऑफ) घाट का निर्माण पूरा कर लिया है, लेकिन दूसरे किनारे पर हातसिंहमारी में टटबंध के कटाव के कारण बड़े पैमाने पर कुछ तकनीकी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। करीमगंज और आशुगंज की ओर प्रोटोकॉल मार्ग के जरिये परिवहन का मसला किसी न किसी विवाद में उलझ कर रह गया है।

चित्र 2



जहाजरानी मंत्रालय द्वारा पूर्वोत्तर में अतिरिक्त 19 जलमार्गों की घोषणा से केंद्र सरकार को अच्छी तरह से योजना बनाने का अवसर मिला और सरकार पूर्वोत्तर में कुशल परिवहन के लिए समन्वित तरीके से नदियों का उपयोग करने में सक्षम हो पाएगी। □

प्रकाशन विभाग की पत्रिकाओं की नई दरें

क्रम	पत्रिका	प्रति अंक	वार्षिक	द्विवार्षिक	त्रिवार्षिक	विशेषांक
1	योजना*	22	230	430	610	30
2	कुरुक्षेत्र	22	230	430	610	30
3	आजकल*	22	230	430	610	30
4	बाल भारती	15	160	300	420	20
5	रोजगार समाचार#	12	530	1000	1400	लागू नहीं

* नदी दरें अप्रैल 2016 अंक से लागू, # रोजगार समाचार की नई दरें 6 फरवरी 2016 से लागू

पत्रिकाओं की सदस्यता ऑनलाइन भी ली जा सकती है। ऑनलाइन लिंक के लिए योजना/प्रकाशन विभाग/भारत कोष वेबसाइट पर जाएं।

पूर्वोत्तर में ऊर्जा: अवसर और चुनौतियां

के रामनाथन



**नियमित ऊर्जा मुहैया कराना
आसान काम नहीं है। इस
मामले में चुनौतियों और
अवसरों का व्यवहारिक
मूल्यांकन कर एक
बहुआयामी रणनीति बनाने
की जरूरत है। जिन क्षेत्रों
पर खासतौर से ध्यान देने
की जरूरत है उनमें मौजूद
ऊर्जा संसाधनों का दोहन,
इलाके में मांग की संरचना
का आंकलन एवं निर्यात की
संभावनाएं, हस्तांतरण एवं
वितरण प्रणाली का विस्तार
एवं इकाइयों पर नियंत्रण,
दक्षता में सुधार, नीति और
रेगुलेटरी ढांचा, सुशासन
व्यवस्था और मानव संसाधन
का विकास शामिल है**

द

निया के किसी भी इलाके में सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए जीवंत ऊर्जा क्षेत्र बहुत अहम है। पूर्वोत्तर इलाके के मामले में यह खासतौर पर प्रासंगिक है, क्योंकि यह इलाका आज प्रति व्यक्ति आय, बिजली, उपभोग, औद्योगीकरण जैसे सामाजिक-आर्थिक संकेतों के पैमाने पर देश के दूसरे हिस्सों से काफी पीछे है। सिक्किम को छोड़कर पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में बिजली की कमी देश के औसत से बहुत ज्यादा है। पूर्वोत्तर इलाके में पनबिजली और दूसरे नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोतों की बहुलता देखते हुए ये हालात हकीकत से परे लगते हैं। इन इलाकों में साक्षरता दर ज्यादा है और विशेष श्रेणी हासिल होने से इन राज्यों को अनुदान की मदद भी मिलती है। ऐसे में इस इलाके में ऊर्जा क्षेत्र का लगातार विकास होना बेहद जरूरी है। देश को भी इससे काफी फायदा हुआ है।

पनबिजली के विकास को बढ़ावा

पूर्वोत्तर इलाके के 56000 मेगावॉट पनबिजली में से करीब 90 फीसदी का दोहन अभी नहीं हुआ है। इस ऊर्जा के नियमित विकास से न सिर्फ इलाके में बिजली की मांग का एक बड़ा हिस्सा पूरा हो सकता है, बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में भी स्वच्छ ऊर्जा मुहैया कराई जा सकती है। डिजाइन के आधार पर ये परियोजनाएं बढ़ रोकने और सिंचाई में भी कारगर साबित होंगी।

इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं, जिनमें पनबिजली को विकसित करने की ऊंची लागत और इसमें लगने वाला वक्त है। इसके

अलावा जलीय इलाकों के परिवर्तन की फिक्र, जलीय जंतुओं पर असर, सार्वजनिक स्वास्थ्य और भूकंप से जुड़े नुकसानों के साथ पुनर्स्थापना और पुनर्वास की चुनौतियां भी शामिल हैं। कानून व्यवस्था से जुड़ी चिंताएं, तटों और जमीन का रिकॉर्ड उपलब्ध न होने से परियोजनाएं शुरू करने में मुश्किलें आती हैं, जिसका सीधा असर लोगों पर पड़ता है। परियोजनाओं के लिए जरूरी मंजूरी हासिल करने में देरी और खराब संचार व्यवस्था के कारण इसमें लगने वाला वक्त और लागत दोनों बढ़ जाते हैं। इन परियोजनाओं में दिलचस्पी लेने वाले निवेशकों पर भी इसका असर पड़ता है। परियोजना के डिवेलपर्स में से एक के लिए टेरी ने हाल ही में एक अध्ययन किया था। इसके मुताबिक ऐसी परियोजनाएं शुरू होने के कारण स्थानीय लोगों को अपनी संस्कृति और परंपरा खोने, छोटी अर्थव्यवस्था से बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का डर सताता है, जो काफी संवेदनशील मुद्दे हैं।

मौसम परिवर्तन के मामले में जल विज्ञान के उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर डिजाइन की गई परियोजना की व्यावहारिकता भी एक अहम मुद्दा है, जिसे जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। ये सभी चुनौतियां बेहद जटिल और सामाजिक-राजनीतिक लिहाज से संवेदनशील भी हैं। इस मामले में बनाई गई रणनीतियों का ध्यान मुख्य रूप से इन चीजों पर होना चाहिए:

- 1) घाटी के लिहाज से योजना निर्माण, समन्वय और लागू की जाए,
- 2) संसाधनों के जोखिम की व्यापक जानकारी

लेखक द एनजी एंड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट (नई दिल्ली) से संबद्ध हैं। वह केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के सदस्य भी रह चुके हैं। विद्युत क्षेत्र के विभिन्न कार्यों में उन्हें 45 वर्ष से अधिक का कार्यानुभव है। वह भारत के जल विद्युत विकास समेत विभिन्न विषयों पर तीन पुस्तकें लिख चुके हैं। वह सीईआरसी तथा डीईआरसी की परामर्श समिति के सदस्य भी हैं। ईमेल: krnathan@teri.res.in

3) अंतर्राष्ट्रीय जल विद्युत एसोसिएशन के प्रोटोकॉल के आधार पर स्थानीय जरूरतों के मुताबिक हर चरण पर परियोजनाओं की स्थिरता का मूल्यांकन

4) पारदर्शी और पेशेवर तरीके से वातावरण पर पड़ने वाले असर के आकलन का अध्ययन

5) जल्दी मंजूरी मिले और

6) लोगों और समाज को इसमें शामिल करने के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाया जाए। नदी तटों के मुद्दों के लिए राजनीतिक तौर पर स्वीकार्य समाधनों पर ध्यान दिया जाए।

अन्य नवीनीकरण संसाधनों का विकास

नवीनीकरणीय ऊर्जा के दूसरे संसाधनों में छोटे पनबिजली (एसएचपी), बायोमास और सौर ऊर्जा आदि हैं। यह बिजली की उपलब्धता बढ़ाने और दूर दराज के इलाकों में बिजली मुहैया करने में मददगार है। एक अनुमान के

सौर ऊर्जा के इस्तेमाल में भी काफी अच्छी संभावनाएं हैं। नई एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के सौर शहर विकास कार्यक्रम के तहत आठ शहरों के लिए पहले ही मास्टर प्लान बना लिया गया है। पायलट सोलर शहर के तौर पर अगरतला और आईजॉल को विकसित किया जा रहा है।

मुताबिक पूर्वोत्तर इलाके में 2200 मेगावॉट क्षमता वाली 1000 से ज्यादा छोटी पनबिजली परियोजनाओं का अभी इस्तेमाल नहीं हुआ है। यहां बायोमास की भी अपार संभावनाएं हैं, जिसका अगर इस्तेमाल किया जाता है तो गांवों तक बिजली पहुंचाने में मदद मिलेगी। सौर ऊर्जा के इस्तेमाल में भी काफी अच्छी संभावनाएं हैं। नई एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के सौर शहर विकास कार्यक्रम के तहत आठ शहरों के लिए पहले ही मास्टर प्लान बना लिया गया है। पायलट सोलर शहर के तौर पर अगरतला और आईजॉल को विकसित किया जा रहा है।

इन संसाधनों के तेजी से विकास की अहम अड़चनों में इन परियोजनाओं का दूर स्थित होना और उनसे जुड़ी दूसरी समस्याएं, निवेशकों की दिलचस्पी कम होना और इसे लागू करने का बिजनेस मॉडल है। इस लिहाज से स्थानीय लोगों की बिजली की जरूरतों के व्यावहारिक मूल्यांकन और दोहन करने लायक संसाधनों का

व्यापक अध्ययन जरूरी है। भौगोलिक स्थिति, आबादी और बिजली की जरूरतों और ग्रिड तक पहुंच के आधार पर इन परियोजनाओं का डिजाइन ऑफ-ग्रिड या ग्रिड कनेक्टेड हो सकता है। सही बिजनेस मॉडल विकसित होने पर यह पर्याप्त ध्यान खींच पाएगा।

समुचित संचार और टीएंडडी प्रणाली

दूर दराज के इलाकों में स्थित परियोजनाओं से बिजली को राज्य के अलग-अलग हिस्सों में पहुंचाने के लिए टीएंडडी सिस्टम के व्यापक विस्तार और इसमें बड़े पैमाने पर निवेश की जरूरत है। परियोजना के शुरूआती साल में इस सिस्टम का इस्तेमाल कम होने से बिजली की दरें ज्यादा हो जाती हैं। बिजली उत्पादन की क्षमता बढ़ाने पर अनिश्चितता, कठिन भौगोलिक इलाके और काम के सीजन की अवधि का ध्यान रखना भी परियोजनाओं के लिए बहुत जरूरी है। ऐसे में टीएंडडी योजना का ध्यान इन अहम बिंदुओं पर होना चाहिए, जिनमें

- 1) लंबी अवधि के लिए बिजली उत्पादन की विस्तार योजना,
- 2) बाजार के नजरिए और मांग की संरचना
- 3) घाटी आधारित विकास योजनाओं का विकास
- 4) कटौती कम होना,
- 5) स्मार्ट ग्रिड तकनीक सहित तकनीक का विकास और

6) परिदृश्य आधारित विश्लेषण शामिल है। बड़े पैमाने पर नवीनीकरण ऊर्जा के ग्रिड एकीकरण के लिहाज से ग्रिड बढ़ाने की जरूरतों का भी ध्यान रखना होगा। इस मामले में अच्छी तरह से सुसज्जित नियंत्रण केंद्र भी स्थापित करना जरूरी है।

दक्षता में सुधार

मांग एवं आपूर्ति शृंखला की क्षमता में सुधार किसी भी पावर सिस्टम के प्रदर्शन और विकास के लिए जरूरी है। विद्युत अधिनियम, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम और ऊर्जा क्षमता बेहतर बनाने के राष्ट्रीय अभियान इस दिशा में कानूनी अनिवार्यता और समर्थन मुहैया कराते हैं। पूर्वोत्तर इलाके में क्षमता सुधार की काफी संभावनाएं हैं और यह प्राथमिकता होगी। इसके लिए उपयुक्त बिजनेस मॉडल के विकास और लोगों के बीच जागरूकता फैलाना भी जरूरी है।

नीति और नियामक का समर्थन

स्थाई विकास के लिए सहायक नीतियां और नियम के साथ बेहतर सुव्यवस्था भी जरूरी है। लिहाज, इस के लिए बहुआयामी रणनीतियों पर खास ध्यान देना चाहिए। इसके लिए नीतियां जरूरत के मुताबिक निजी या सार्वजनिक सहभागिता से बनानी चाहिए। इससे पूँजी जुटाने और प्रबंधन को प्रभावी बनाने में मदद मिल सकती है। सामयिक नीतियों और नियामक के असर आकलन का अध्ययन यह समझने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है कि परियोजना का मकसद किस तरह पूरा हो रहा है और जरूरत पड़ने पर जरूरी बदलाव करें।

मानव संसाधन विकास

पर्याप्त कुशल कारीगर की उपलब्धता पर भी ध्यान देना जरूरी है। विविध इंजीनियरिंग क्षेत्र में क्षमता निर्माण, परियोजना प्रबंधन और नियामक के पहलुओं पर भी ध्यान देना चाहिए।

विद्युत अधिनियम, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम और ऊर्जा क्षमता बेहतर बनाने के राष्ट्रीय अभियान इस दिशा में कानूनी अनिवार्यता और समर्थन मुहैया कराते हैं। पूर्वोत्तर इलाके में क्षमता सुधार की काफी संभावनाएं हैं और यह प्राथमिकता होगी।

निष्कर्ष

पूर्वोत्तर भारत में ऊर्जा क्षेत्र के मजबूत विकास की दिशा में अवसरों के साथ कई चुनौतियां भी हैं। इसके लिए एक बहुआयामी रणनीति की जरूरत है। कुछ चुनिंदा क्षेत्र जिन पर ध्यान देने की जरूरत है, उनमें पनबिजली और दूसरे नवीनीकरण ऊर्जा के संसाधनों का विकास तेजी से करना, बाजार के मौकों को ध्यान में रखते हुए बड़े पैमाने पर टीएंडडी सिस्टम विकसित करना, दक्षता में सुधार, अनुकूल नीति और नियामक की संरचना तथ करना और एक प्रभावी सुशासन व्यवस्था बनाने के साथ मानव संसाधन विकास शामिल है। देश में बिजली की स्थिति बेहतर बनाने, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने के साथ सौर एवं पवन ऊर्जा के बड़े ग्रिड के एकीकरण में सहयोग देने के लिहाज से भी पूर्वोत्तर भारत में ऊर्जा क्षेत्र का मजबूत विकास जरूरी है। □

पूर्वोत्तर भारत में जनजातीय विकास

एन सी सक्सेना



भारत की कुल जनजातीय आबादी का सिर्फ 12 फीसदी लोग पूर्वोत्तर के आठ राज्यों में रहते हैं लेकिन मध्य भारत के राज्यों से उलट, जहाँ सभी राज्यों में ये अल्पसंख्यक हैं, मिजोरम, मेघालय और नगालैंड में जनजातीय आबादी 80 फीसदी से ज्यादा है। लिहाजा, इन इलाकों में ये राजनीतिक विमर्श का ध्यान खींचने में भी कामयाब हुए हैं। हालांकि पिछले कई दशकों से रोजगार की तलाश में पड़ोसी राज्यों और बांग्लादेश से लोग पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में लगातार आ रहे हैं। नतीजतन, यहाँ आदिवासियों के मुकाबले दूसरे लोगों की आबादी ज्यादा हो गई है।

त्रि

पुरा की जनजातीय आबादी 1951 में 56 प्रतिशत थी जो 2001 में घटकर 30 प्रतिशत से भी कम रह गई। अरुणाचल प्रदेश की जनजातीय आबादी 1951 में 90 प्रतिशत थी जो 1991 में घटकर 64 प्रतिशत रह गई थी। बोडो स्वायत्त परिषद के कई जिलों में असम की जनजाति बोडो अल्पसंख्यक बन गए हैं। इनकी जमीन अप्रवासी मुसलमानों ने ले ली है, जिसकी वजह से दोनों गुटों के बीच बढ़े पैमाने पर हिंसा होती रहती है।

जनसंख्या विभाजन के कारण जनजातीय और गैर-जनजातीय लोगों (असम में अहोम, मणिपुर में मैइती और त्रिपुरा में बंगाली) के बीच ताकत का असमान बन्टवारा है, जिनका यहाँ आर्थिक और राजनीतिक दबदबा कायम है। यहाँ तक कि जनजातियों के बीच भी काफी विभिन्नता है। पूर्वोत्तर भारत में करीब 220 जातियाँ हैं और इन सबकी अपनी संस्कृति, बोलियाँ और जनजातीय परंपराएँ हैं। इस सांस्कृतिक विभिन्नता की वजह से कई पूर्वोत्तर राज्यों में अंतर-जनजातीय संघर्ष भी होते रहते हैं, जिनसे शांति और विकास बाधित होता है।

छठी अनुसूची

भारत के संविधान में छठी अनुसूची को शामिल किया गया ताकि 1960 के दशक में अविभाजित असम में रहने वाली अल्पसंख्यक जनजातियाँ अपने विकास के मॉडल का फैसला खुद कर सकें और प्रथागत दस्तूर और परंपराओं को सुरक्षित रख सकें जिनसे उन्हें अलग पहचान मिलती है। हालांकि, जनजातीय बहुल राज्यों: नगालैंड, मिजोरम और मेघालय

के अस्तित्व में आने के बाद यह संदर्भ बदल गया। राज्य का दर्जा मिलने के बाद नागा इससे अलग हो गए। मिजो केवल मिजोरम में अल्पसंख्यक जनजातियों के संबंध में छठी अनुसूची लागू कर सकते हैं। हालांकि, मेघालय में अभी भी स्वायत्त जिला परिषदों का अस्तित्व एक अन्य राजनीतिक संस्थान के तौर पर है जो अधीनस्थ विधायिका की तरह काम करती है। जहाँ लोग राज्य विधानसभा नहीं बना पाए, वहाँ इन परिषदों के तौर पर उन्हें फौरी राहत मिली।

ये परिषद उस वक्त ज्यादा प्रासंगिक थे जब मेघालय असम का हिस्सा था, ताकि जनजातीय इलाकों में स्वशासन की भावना हो और गैर जनजातीय लोगों की बड़ी आबादी में वो गुम न हो जाएं। अब जबकि मेघालय एक अलग राज्य बन चुका है और यहाँ की 85 फीसदी आबादी जनजातीय है। राज्य की सत्ता संरचना में जनजातीय चिंताओं का मजबूत प्रतिनिधित्व है ऐसे में स्वायत्त जिला परिषदों से उलझन पैदा होती है। छठी अनुसूची के दायरे में आने वाले इलाकों की एक मुश्किल यह है कि परिषद से नीचे कोई निर्वाचित मंडल नहीं है। जमीनी स्तर पर किसी निर्वाचित मंडल के अभाव के कारण दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों का विकास प्रभावित होता है। स्वायत्त परिषदों के नीचे ग्रामीण स्तर पर पारंपरिक संस्थान हैं लेकिन वे लोकतांत्रिक नहीं हैं। ऐसे कबीलों के मुखिया वंशानुगत होते हैं जैसे मेघालय में खासी के वंशानुगत मुखिया साएं हैं। इन इलाकों में जमीनी स्तर पर निर्वाचित मंडल की जरूरत है, जो दूसरे राज्यों के ग्राम पंचायत की तरह होगा। हालांकि अभी इस मामले में सहमति नहीं बन पाई है।

लेखक योजना आयोग, ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा अल्पसंख्यक आयोग में सचिव रह चुके हैं। वह सर्वोच्च न्यायालय के प्रतिनिधि के तौर पर भारत में खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों की निगरानी करते हैं। वह सरकार की विभिन्न समितियों में रहे हैं तथा कई मसलों यूएनडीपी को भी परामर्श देते हैं। ईमेल: naresh.saxena@gmail.com

आर्थिक असमानता

जनजातीय आबादी की रोजी रोटी और रहने का ठिकाना सुख्य रूप से पहाड़ और जंगल होते हैं। घुमतू खेती करने के साथ वे बुनाइ और ऊन देने वाले जानवरों को पालते हैं। पूर्वोत्तर के ज्यादातर पहाड़ी समुदाय खेती की तरफ मुड़ रहे हैं और उनका सामाजिक-राजनीतिक जीवन प्रथागत कानूनों और परंपरा के हिसाब

वैसे तो स्वायत्त जिला परिषदों को कुछ विषयों में स्वायत्ता के साथ संवैधानिक दर्जा प्राप्त है लेकिन इन्हें पर्याप्त रकम के इंतजाम की सहूलियत नहीं मिली है। लिहाजा, जिन विषयों की परिषदों को स्वायत्ता प्राप्त है उनमें भी वे कोई प्रभावी फैसला नहीं कर पाते, जिससे उनमें असंतोष पैदा होता है।

से चलते हैं। हालांकि, बाजार की पहुंच बढ़ने से पिछले कुछ दशकों में वे एक जगह खेती करने लगे हैं और किसी चीज पर समुदाय का मालिकाना हक अब व्यक्तिगत हो गया है, जिससे कबीले के लोगों के बीच आर्थिक असमानता बढ़ी है।

बाहरी लोगों से सुरक्षा के लिए कानून हैं लेकिन कबीले के भीतर बढ़ रही असमानता को वे नहीं रोक सकते हैं। आज पहाड़ी समुदायों में से कुछ अरबपति हैं तो कुछ के पास खेती के लिए एक एकड़ जमीन भी नहीं है। दिलचस्प है कि नए अमीर जनजातीय अभिजात्य वर्ग स्वदेशी पर जोर देते हुए समुदाय में बराबरी की बात नहीं करते बल्कि अपने हितों को बढ़ावा देते हैं और निचले तबके के गरीबों का शोषण करते हैं। वाणिज्यिक बागवानी और दूसरी फसलों को लगातार बढ़ावा मिलने के साथ शहरों एवं हाइवे के आसपास की जमीनों की कीमत बढ़ने से सामुदायिक जमीनों का निजीकरण होने लगा है। हालांकि, नए जनजातीय अभिजात्य वर्ग में कारोबारी हुनर नहीं है इसलिए वे सिर्फ रियल एस्टेट में निवेश करते हैं।

महिलाओं पर बुरा असर

निजीकरण बढ़ने से महिलाओं की असुरक्षा बढ़ने लगी है। उदाहरण के तौर पर नागा के पारंपरिक कानून के मुताबिक महिलाओं के पास कोई जमीन, जायदाद या कोई उत्तराधिकार नहीं होता है। ऐसे उदाहरण मिले हैं कि अगर वे जमीन पर अधिकार जमाने की कोशिश

करती हैं तो उन्हें डायन करार दिया जाता है और समुदाय को नुकसान पहुंचाने का दोषी माना जाता है। इन महिलाओं को शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दी जाती है। कुछ महिलाओं को जिंदा जलाए जाने के भी उदाहरण मिले हैं। मुख्य रूप से गोलपारा, बोंगईगांव, कोकाराझार, नालबाड़ी और धुबरी जिले से डायन के नाम पर महिलाओं को प्रताड़ित करने के मामले ज्यादा आते हैं। संसाधनों पर नियंत्रण समुदाय के ताकतवर लोगों के साथ व्यक्तिगत दुश्मनी और अंधविश्वास के कारण महिलाओं को डायन मान लिया जाता है।

भू-अभिलेखों का अभाव

नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर के पहाड़ी इलाकों और असम के कुछ आदिवासी इलाकों में जमीन के लिखित प्रमाण की प्रणाली नहीं है और न ही कोई भू राजस्व चुकाया जाता है। जमीनों का लिखित प्रमाण या रिकॉर्ड न होने से भूमिहीनता के कारण गरीबों में असुरक्षा की भावना बढ़ी है। लिखित प्रमाण के अभाव में ज्यादातर जमीनों का मालिकाना हक कुछ लोगों के हाथ में आ गया है और घुमतू खेती से होने वाली पैदावार में भी कमी आई है। खेती योग्य जमीन (सबके लिए उपलब्ध) के साथ तथ्य यह है कि अभिजात्य वर्ग सबसे ज्यादा सरकारी अनुदान हासिल कर लेते हैं, जिससे इन राज्यों में गरीबी और असमानता बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अभिजात्य वर्ग द्वारा जमीनों के निजीकरण को सकारात्मक कदम नहीं माना जा सकता क्योंकि इसका असर कृषि पर पड़ता है। लगातार बढ़ती आर्थिक असमानता बढ़ने के साथ सामाजिक रिश्ते भी जुड़े हैं।

रकम खर्च करने की कमज़ोर क्षमता

वैसे तो स्वायत्त जिला परिषदों को कुछ विषयों में स्वायत्ता के साथ संवैधानिक दर्जा प्राप्त है लेकिन इन्हें पर्याप्त रकम के इंतजाम की सहूलियत नहीं मिली है। लिहाजा, जिन विषयों की परिषदों को स्वायत्ता प्राप्त है उनमें भी वे कोई प्रभावी फैसला नहीं कर पाते, जिससे उनमें असंतोष पैदा होता है। केंद्र सरकार विशेष पैकेज के तौर पर इन परिषदों को अस्थायी अनुदान देकर या राज्यों के योजना आवंटन के जरिए इन मसलों को हल करने की कोशिश कर रही है। हालांकि, इन परिषदों

और राज्य सरकारों की रकम खर्च करने की क्षमता कमज़ोर होने से कुल खर्च बहुत कम हो पाता है। उदाहरण के तौर पर केंद्रीय मंत्रालय के बजट का कम से कम 10 फीसदी पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए चिन्हित होता है और जो रकम खर्च नहीं हो पाती वह जमा होती रहती है। हालांकि, वास्तविक व्यवहार में कुल उपलब्ध राशि में से मिलने वाली रकम पर्याप्त नहीं है। राज्य प्रशासकीय मंत्रालयों को बेहतर प्रस्ताव नहीं भेज पाते या दी गई रकम को सही ढंग से खर्च नहीं कर पाते, जिसकी वजह से नीतीजे संतोषजनक नहीं होते।

इसी प्रकार कई बाहरी परियोजनाएं विभिन्न औपचारिकताएं (जमीन अधिग्रहण, पर्यावरण संबंधी मंजूरी आदि) पूरी नहीं होने की वजह से अटकी हुई हैं। लिहाजा इन परियोजनाओं पर खर्च नहीं हो पाता है। उपयोगिता प्रमाण पत्र, परियोजना विवरण प्रस्तुत न करने/योजना का अभाव, राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति की बैठकों में देरी आदि कम अनुदान मिलने की अहम वजह हैं। रकम के इस्तेमाल के लिए जरूरी है कि वक्त पर अधिकारियों को रकम मुहैया कराई जाए लेकिन इसमें एक साथ कई कदम उठाने की जरूरत है जैसे पदों की मंजूरी, सामग्री की खरीद और उसे जरूरत वाली जगह पहुंचाना,

पूर्वोत्तर राज्यों के जनजातीय इलाकों की विकास दर के भारी फर्क को दूर करने के लिए सिर्फ वित्तीय मदद बढ़ाने की जरूरत नहीं है बल्कि प्रशासन और वितरण में भी काफी सुधार लाना होगा। वित्तीय संसाधन नहीं बल्कि पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों को संस्थाओं की क्षमता को बढ़ाना होगा

इसके लिए खरीद और निविदाओं को वक्त पर पूरा करने की जरूरत होगी। मनरेगा के तहत अनुदान कम मिलने की एक बड़ी वजह यह है कि कमज़ोर नेटवर्क के कारण मणिपुर और नगालैंड जैसे राज्यों में जिला स्तर पर ऑनलाइन आंकड़े जमा करना मुश्किल काम है।

सक्रिय योजना विभाग

राज्य सरकारें अगर अपने योजना विभागों को मजबूत बनाएं तो इस तरह की देरी से बचा जा सकता है और प्रक्रिया को गति दी जा सकती है। राज्यों के योजना विभागों की यह कड़वी सच्चाई है कि वे सरकारी अनुदान

हासिल करने या बाह्य मदद राशि हासिल करने के लिए अच्छे प्रस्ताव पेश नहीं कर पाते। नतीजतन, केंद्र सरकार से मिलने वाली मदद राशि उन्हें नहीं मिल पाती है। सक्रिय योजना विभाग जनजातीय लोगों की जरूरतों और उनकी आकांक्षाओं का ध्यान रख सकते हैं और लंबी अवधि की रणनीति और राज्य की प्राथमिकताओं के आधार पर एक विस्तृत समयावधि में विभाग सालाना पंचवर्षीय योजना बना सकते हैं। साथ ही लागू हुए योजना के कार्यक्रमों की समीक्षा और निगरानी कर सकते हैं और योजना के तहत उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जरूरत पड़ने पर भौतिक सामग्री और संसाधन आवंटन का समायोजन कर सकते हैं।

अन्य प्रणालीगत मुद्दे

सिर्फ जनजातीय इलाकों को ही नहीं बल्कि सिक्किम को छोड़ दें तो समूचे पूर्वोत्तर भारत को प्रतिव्यक्ति कम आय, निजी निवेश की कमी, कम पूंजी निर्माण, अपर्याप्त ढांचागत सुविधाएं, भौगोलिक अलगाव और संचार बाधाओं के लिए जाना जाता है। इस इलाके को सबसे बड़ा नुकसान हवाई, रेल या सड़क माध्यम से बेहतर ढंग से जुड़े न रहने के कारण हुआ है। बिजली की यहां काफी कमी है। इन इलाकों में छोटी पनविजली ऊर्जा

या नवीनीकरण ऊर्जा के दूसरे संसाधनों के इस्तेमाल की संभावनाएं तलाशने की जरूरत है। इन राज्यों में कर वसूली की अपनी प्रणाली है लेकिन राज्य की जरूरतों के लिहाज से आंतरिक संसाधन बहुत कम हैं। लिहाज ये केंद्र की तरफ से मिली राशि पर ही निर्भर रहते हैं। स्थानीय जनजातीय अभिजात्य वर्ग भूमि में ही निवेश करना पसंद करते हैं और दूसरे जोखिम भरे कामों से दूर रहते हैं। भारत सरकार से ज्यादा अनुदान हासिल करने के साथ ही इन राज्यों को प्रशासन और वितरण के काम में भी सुधार लाना होगा। समूह 'ग' और समूह 'घ' के कई सरकारी कर्मचारियों के कारण पूर्वोत्तर राज्यों का गैर योजनागत खर्च बहुत ज्यादा है और आंतरिक आमदनी कम है। सरकार की तरफ से अनुदान मिलने के बावजूद इन राज्यों के पास योजनागत खर्चों के लिए पर्याप्त राशि नहीं है। उदाहरण के तौर पर असम को लेते हैं। 2014-15 में असम में प्रति व्यक्ति आय 5,775 रुपये थी और इतनी ही आबादी वाले छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय 12,807 रुपये थी।

इसके अलावा इन राज्यों को उद्देश्यों की निगरानी में सुधार और सरकारी कर्मचारियों को इसके लिए जवाबदेह बनाना चाहिए। आमतौर पर सरकारी कर्मचारी भारी-भरकम रिपोर्ट देकर

अपनी कमियों को छिपा लेते हैं। इसी तरह पूर्वोत्तर राज्यों में गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की संख्या 1 फीसदी से बहुत कम है लेकिन यूनिसेफ के एक सर्वे में यह आंकड़ा बिल्कुल अलग था। यूनिसेफ के आंकड़े के मुताबिक मणिपुर में गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की संख्या 3.5 प्रतिशत से लेकर मेघालय और त्रिपुरा में करीब 16 फीसदी के करीब है। इन दोनों आंकड़ों में सामंजस्य लाने की तत्काल आवश्यकता है। प्रक्रिया में तुरंत सुधार लाने की जरूरत है ताकि सर्वेक्षण के आंकड़े प्रामाणिक, विश्वसनीय और दूसरे आंकड़ों से मेल खाते हों। देश और पूर्वोत्तर राज्यों के जनजातीय इलाकों की विकास दर के भारी फर्क को दूर करने के लिए सिर्फ वित्तीय मदद बढ़ाने की जरूरत नहीं है बल्कि प्रशासन और वितरण में भी काफी सुधार लाना होगा। वित्तीय संसाधन नहीं बल्कि पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों को संस्थाओं की क्षमता को बढ़ाना होगा ताकि उपलब्ध संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल किया जा सके, जो विकास की राह में बड़ी अद्भुत बने हुए हैं। राज्य विभागों और एजेंसियों को मजबूत बनाने के साथ समाज और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देना भी जरूरी है। स्थानीय सरकारों की संस्थाओं को मजबूत बनाना भी महत्वपूर्ण है। □

विकास पथ

सिक्किम के गंगटोक में राष्ट्रीय जैविक कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना

सि

क्किम के गंगटोक में हाल ही में राष्ट्रीय जैविक कृषि अनुसंधान संस्थान स्थापित किया गया। सिक्किम को हाल ही में देश का पहला जैविक राज्य घोषित किया गया। संस्थान देश में और विशेषकर पूर्वोत्तर पर्वतीय क्षेत्र में जैविक उत्पादन प्रणाली को अनुसंधान तथा तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएगा। यह उत्पादकता, संसाधनों के उपयोग की सक्षमता तथा उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने के लिए सक्षम, आर्थिक

रूप से व्यावहारिक एवं पर्यावरण के लिहाज से टिकाऊ जैविक कृषि प्रणालियों पर मूलभूत, रणनीतिक एवं अनुकूलन वाला अनुसंधान भी करेगा। इसके अतिरिक्त यह देश में जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए हितधारकों को व्यावसायिक एवं आधुनिक प्रशिक्षण भी प्रदान करेगा। संबंधित वित्तीय संसाधन, श्रमशक्ति और आधारभूत सुविधाएं सरकार उपलब्ध कराएगी।

स्क्ल इंडिया के अंतर्गत पीएमकेवीवाई ने पूरे किए 10 लाख पंजीकरण

कौ

शल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की प्रमुख योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के अंतर्गत 10 लाख पंजीकरण पूरे हो गए। योजना का क्रियान्वयन इससे संबद्ध 1012 प्रशिक्षण साझेदारों के नेटवर्क के माध्यम से राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) द्वारा किया गया है। योजना में 382 सक्रिय रोजगार भूमिकाओं के अंतर्गत 10,26,671 पंजीकरण हुए हैं, जिनमें 70 प्रतिशत ने अपना प्रशिक्षण पहले ही पूरा कर लिया है। योजना को देश के 29 राज्यों तथा 6 केंद्रशासित प्रदेशों में लागू किया गया है और 596 जिले तथा 531 संसदीय क्षेत्र इसके दायरे में आते हैं। यह 29 क्षेत्रों में कौशल

विकास संबंधी आवश्यकताएं पूरी करती है, जिन क्षेत्रों में उन पाठ्यक्रमों के लिए 566 रोजगार चुने गए हैं, उनमें युवा पंजीकरण करा सकते हैं और प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। ये पाठ्यक्रम उन्हें कौशल संबंधी प्रशिक्षण देकर तथा अपने कार्य में सक्षम बनाकर रोजगार के अधिक योग्य बनाते हैं।

पीएमकेवीवाई के अंतर्गत सर्वाधिक पंजीकरण उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा आंध्र प्रदेश में हुए हैं और जिन क्षेत्रों में सर्वाधिक पंजीकरण हुए हैं, वे हैं लॉजिस्टिक्स (1,35,615), कृषि (90,489), इलेक्ट्रॉनिक्स (82,903), सौदर्य एवं वेलनेस (72,316), रिटेल (65,901) तथा ऑटोमोटिव (61,846)।

छठी अनुसूची: जनजातीय समुदाय की आवश्यकताओं की पूर्ति

चिंतामणि राउत



मेघालय की स्थापना 2 अप्रैल, 1970 को स्वायत्त राज्य के रूप में हुई थी जिसमें दो जिले यूनाइटेड खासी-जयंतिया हिल्स और गारो हिल्स शामिल थे। इसे पूर्ण राज्य का दर्जा 21 जनवरी, 1972 को मिला। यहां स्थानीय स्वशासन लोकतंत्र का आधार है। खासी जनजाति की अपनी खुद की एक परंपरागत सामाजिक-राजनीतिक संस्था है जो उनके समाज और

जीवन में अंतर्निहित थी। इसे परंपरिक स्वशासन संस्था माना जा सकता है। लोगों के दैनिक जीवन में अब भी इसका महत्व है। स्वशासन की अवधारणा यहां सदियों पुरानी परंपरा है। लोग अपनी सामाजिक जरूरतों के लिए उन्हीं का अनुसरण करते हैं। लोकप्रिय धारणाएं और सहमतियां सदियों से स्वीकार की जाती हैं।

सं

वर्तंता के साथ-साथ भारतीय संविधान निर्माताओं ने पूर्वोत्तर राज्यों में रहने वाले आदिवासियों के हितों को मान्यता दी। जमीन और जंगलों पर उनके अधिकारों को समझा। इसी से छठी अनुसूची की रूपरेखा तैयार हुई जिसमें स्वशासी जिला परिषदों की स्थापना की बात की गई।

भारत के संविधान की छठी अनुसूची के अनुसार, यूनाइटेड खासी जयंतिया-स्वशासी जिला परिषद की स्थापना यूनाइटेड खासी और जयंतिया हिल्स जिले में की गई जो बाद में दो स्वशासी जिला परिषदों में विभाजित हो गई— खासी हिल्स स्वशासी जिला परिषद (केएचएडीसी) और जयंतिया हिल्स स्वशासी जिला परिषद (जेएचएडीसी)। केएचएडीसी के क्षेत्राधिकार में पूर्वी खासी हिल्स, पश्चिमी खासी हिल्स और री भोई जिला आता है। गारो हिल्स जिला परिषद पर मेघालय के गारो क्षेत्र की जिम्मेदारी है।

छठी अनुसूची (अनुच्छेद 244 और 275) के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि राज्यपाल, अधिसूचना द्वारा एक नया स्वशासी जिला बना सकता है, किसी भी स्वशासी जिले के क्षेत्र को घटा सकता है, दो या दो से अधिक स्वशासी जिलों या उनके भागों को मिला सकता है जिससे एक स्वशासी जिला बन सके, किसी भी स्वशासी जिले की सीमाओं को परिभाषित कर सकता है और किसी स्वशासी जिले के नाम में परिवर्तन कर सकता है जोकि इस उद्देश्य के लिए नियुक्त आयोग के प्रतिवेदन या

रिपोर्ट के पश्चात ही किया जाएगा। राज्यपाल को ही स्वशासी जिला परिषदों के प्रशासनिक क्षेत्रों की समाप्ति या उनमें बदलाव करने का अंतिम अधिकार है।

जिला परिषद और प्रादेशिक परिषद

प्रत्येक स्वशासी जिले में एक जिला परिषद होगी जिसके सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक 30 होगी। इनमें से अधिक से अधिक चार व्यक्तियों को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाएगा और शेष को वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित किया जाएगा। अनुसूची के तहत गठित स्वशासी क्षेत्रों में से प्रत्येक के लिए एक अलग प्रादेशिक परिषद होगी। प्रत्येक जिला परिषद और प्रादेशिक परिषद के निर्गमित निकाय होंगे जोकि जिले के नाम वाली परिषद और क्षेत्र के नाम वाली परिषद होंगी। उनका शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उनकी एक समान मुहर होगी और उक्त नाम से वह बाद लाएगी और उस पर बाद किया जाएगा।

राज्यपाल, संबंधित स्वशासी जिलों या क्षेत्रों के भीतर विद्यमान जनजाति परिषदों या अन्य प्रतिनिधि जनजाति संगठनों से परामर्श करके, जिला परिषदों और प्रादेशिक परिषदों के प्रथम गठन के लिए नियम बनाएगा और ऐसे नियम जिला परिषदों और प्रादेशिक परिषदों की संरचना तथा उनकी सीटों के आवंटन, जिला और प्रादेशिक परिषदों की प्रक्रियाओं एवं कार्य संचालन और जिला एवं प्रादेशिक परिषदों के अधिकारियों और कर्मचारियों की

लेखक शिलांग स्थित नार्थ-ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी (नेहू) में एसोसिएट प्रोफेसर और विधि विभाग के प्रमुख हैं। अध्यापन में दो दशक से अधिक अनुभव के साथ वह दर्जनों सम्मेलनों व सेमिनार में अपनी उपरिस्थिति दर्ज करते रहे हैं। वह बोर्ड ऑफ अंडर ग्रेजुएट स्टडीज इन लॉ के भी अध्यक्ष रहे हैं। ईमेल: drchintamani@gmail.com

नियुक्तियों का प्रावधान करेंगे। जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य, परिषद के लिए साधारण निर्वाचन के बाद परिषद के प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक पद पर रहेंगे, बशर्ते जिला परिषद समय से पहले भंग नहीं हो जाती। मनोनीत सदस्य राज्यपाल की इच्छानुसार अपने पद पर रहेंगे।

परिषदों की कानून बनाने की शक्ति

किसी स्वशासी क्षेत्र की प्रादेशिक परिषद को ऐसे क्षेत्र के भीतर के सभी क्षेत्रों के संबंध में और स्वशासी जिले की जिला परिषद को ऐसे क्षेत्रों को छोड़कर जो उस जिले के भीतर हों, के संबंध में कुछ विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है जैसे उसे किसी आरक्षित वन की भूमि से भिन्न अन्य भूमि का, कृषि या चराई के उद्देश्य के लिए या निवास के या कृषि से भिन्न अन्य उद्देश्यों के लिए अथवा किसी ऐसे अन्य उद्देश्य के लिए जिससे किसी गांव या नगर के निवासियों के हितों की वृद्धि संभव है, के आवंटन, व्यवसाय या उपयोग के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है। उसे कृषि के उद्देश्य के लिए किसी नहर या जलसरणी के उपयोग, झूम की पद्धति के या परिवर्ती खेती की अन्य पद्धतियों के विनियमन, गांव या नगर समितियों या परिषद की स्थापना और उनकी शक्तियों, गांव या नगर प्रशासन से संबंधित अन्य विषयों, गांव या नगर पुलिस और लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता आदि के संबंध में या प्रमुखों या मुखिया की नियुक्ति या उत्तराधिकार, संपत्ति की विरासत, विवाह और तलाक एवं सामाजिक रूढियों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार है।

स्वशासी जिले/प्रदेश में न्याय प्रशासन

स्वशासी क्षेत्र की स्वशासी परिषद ऐसे क्षेत्र के भीतर के क्षेत्रों के संबंध में और स्वशासी जिले की जिला परिषद ऐसे क्षेत्रों से भिन्न जो उस जिले के भीतर की प्रादेशिक परिषदों के, यदि कोई हों, प्राधिकार के अधीन हैं, उस जिले के भीतर के अन्य क्षेत्रों के संबंध में, ऐसे वादों और मामलों के विचारण के लिए, जो ऐसे पक्षकारों के बीच हैं, जिनमें से सभी पक्षकार ऐसे क्षेत्रों के भीतर की अनुसूचित जनजातियों के हैं तथा जो उन वादों और मामलों से भिन्न हैं जिन पर इस अनुसूची के प्रावधान लागू होते हैं, उस राज्य के किसी

न्यायालय का अपवर्जन करके ग्राम परिषदों या न्यायालयों का गठन कर सकती है और उपयुक्त व्यक्तियों को ऐसी ग्राम परिषद के सदस्य या ऐसे न्यायालयों का पीठासीन अधिकारी नियुक्त कर सकती है और ऐसे अधिकारी भी नियुक्त कर सकती है जो इस अनुसूची के अधीन बनाई गई विधियों के प्रशासन के लिए आवश्यक हों। उच्च न्यायालय को, उन वादों और मामलों में, जिन पर इस अनुसूची के प्रावधान लागू होते हैं, ऐसी अधिकारिता होगी और वह उसका प्रयोग करेगा जो राज्यपाल समय-समय पर आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

प्रादेशिक परिषद या जिला परिषद राज्यपाल के पूर्व अनुमोदन से निम्नलिखित के विनियमन के लिए नियम बना सकती है जैसे ग्राम परिषदों और न्यायालयों का गठन और उनके द्वारा प्रयुक्त

सही अर्थों में जिला परिषद एक
ऐसा साधन है जिसके द्वारा जनजातीय लोगों का सर्वांगीण विकास और कल्याण संभव होता है। मेघालय की जिला परिषद और प्रादेशिक परिषद की कार्यप्रणाली काफी संतोषजनक है और वह जिस प्रकार अपने संवैधानिक कर्तव्य को पूरा करती है, वह प्रशंसन्य योग्य है। उसे अपनी कार्य संस्कृति में सुधार करने और परिषद में ऐसे योग्य और कुशल लोगों को निर्वाचित करने की जरूरत है जो वास्तव में जनजातीय लोगों के उत्थान के लिए काम करना चाहते हैं।

शक्तियां, वादों और मामलों के विचारण में ग्राम परिषदों या न्यायालयों द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रियाएं, अपीलों और अन्य कार्यवाहियों में प्रादेशिक परिषद या जिला परिषद अथवा ऐसी परिषद द्वारा गठित किसी न्यायालय द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रियाएं, परिषद और न्यायालयों के निश्चयों और आदेशों का प्रवर्तन और छठी अनुसूची के प्रावधानों को लागू करने के लिए अन्य सभी अधीनस्थ विषय।

जिला परिषद: प्राथमिक विद्यालय आदि स्थापित करने की शक्ति

स्वशासी जिले की जिला परिषद जिले में प्राथमिक विद्यालयों, औषधालयों, बाजारों, फेरी, ग्रीन सड़कों, सड़क परिवहन और जलमार्गों की स्थापना, निर्माण और प्रबंध कर सकती

है तथा राज्यपाल के पूर्व अनुमोदन से उनके विनियमन और नियंत्रण के लिए नियम बना सकती है। वह विशेष रूप से भाषा और उस रीति का निर्देश दे सकती है जिससे जिले के प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा दी जाएगी। राज्यपाल, जिला परिषद की सहमति से उस परिषद को या उसके अधिकारियों को कृषि, पशुपालन, सामुदायिक परियोजनाओं, सहकारी सोसाइटियों, समाज कल्याण, ग्राम योजना या किसी अन्य ऐसे विषय के संबंध में, जिस पर राज्य की कार्यपालिका को अधिकार है, सशर्त या बिना शर्त कार्य सौंप सकता है।

जिला और प्रादेशिक फंड

प्रत्येक स्वशासी जिले के लिए जिला निधि बनाई जाएगी जोकि उस क्षेत्र की प्रादेशिक निधि होगी और जिसमें उस जिले की जिला परिषद द्वारा और उस प्रदेश की प्रादेशिक परिषद द्वारा संविधान के उपबंधों के अनुसार, उस जिले या क्षेत्र के प्रशासन के अनुक्रम में प्राप्त सभी धनराशियां जमा की जाएंगी। राज्यपाल, यथास्थिति, जिला निधि या प्रादेशिक निधि के प्रबंध के लिए और उक्त निधि में धन जमा करने, उसमें से धनराशियां निकालने, उसके धन की अभिरक्षा और पूर्वोक्त विषयों से संबंधित या अधीनस्थ किसी अन्य विषय के संबंध में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया के लिए नियम बना सकता है।

जिला परिषद या प्रादेशिक परिषद के लेखा ऐसे प्रारूप में रखे जाएंगे जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति के अनुमोदन से निर्धारित करे। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिला परिषदों और प्रादेशिक परिषदों का लेखा परीक्षण इस प्रकार कराएगा, जो वह ठीक समझे और लेखे से संबंधित उसके प्रतिवेदन राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे। फिर राज्यपाल उस प्रतिवेदन को परिषद के समक्ष रखेगा।

निष्कर्ष

सही अर्थों में जिला परिषद एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा जनजातीय लोगों का सर्वांगीण विकास और कल्याण संभव होता है। मेघालय की जिला परिषद और प्रादेशिक परिषद की कार्यप्रणाली काफी संतोषजनक है और वह जिस प्रकार अपने संवैधानिक कर्तव्य को पूरा करती है, वह प्रशंसन्य योग्य है। उसे

अपनी कार्य संस्कृति में सुधार करने और परिषद में ऐसे योग्य और कुशल लोगों को निर्वाचित करने की जरूरत है जो वास्तव में जनजातीय लोगों के उत्थान के लिए काम करना चाहते हैं। जिला परिषद छठी अनुसूची के आधार पर आदिवासी समुदाय को बढ़ावा देने के लिए जमीन, जंगल, बाजार, व्यापार, कस्टम और उपयोग जैसे विषयों के संबंध में कानून बना सकती है और उसे भू-राजस्व, प्राथमिक शिक्षा, प्रथागत कानून जैसे विषयों पर कानून बनाने और उनके प्रबंधन की पूर्ण स्वायत्ता है। इसके अतिरिक्त जिला परिषद के सदस्यों को प्रशिक्षित करने और आम लोगों को अधिक भागीदार बनाने की भी जरूरत है जोकि समय की मांग है। अंत में यह बताना भी महत्वपूर्ण है कि पूरी व्यवस्था के उचित मूल्यांकन और समयानुसार समीक्षा की भी जरूरत है जिससे स्वशासी जिला परिषद की स्थापना के उद्देश्य और लक्ष्य सार्थक हो और जनजातीय लोगों के हितों और आकांक्षाओं को भी पूर्ण किया जा सके। □

संदर्भ

अदिश सी. अग्रवाल: भारत का संविधान, अमीष प्रकाशन, नई दिल्ली, 2014
बी.एल.हंसारिया: भारत के संविधान की छठी अनुसूची, तीसरा संस्करण, यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग कंपनी, नई दिल्ली

ई जयरवाः: छठी अनुसूची की संरचना में खासी राज्य एवं खासी और जर्तिया हिल्स जिला, ओसमान प्रकाशन, नई दिल्ली, 1997

एल. एस. गस्सा: स्वशासी जिला परिषद, ओसमान प्रकाशन, नई दिल्ली,
एम पी जैन: भारतीय संविधानिक कानून, लेक्सिस नेक्सिस बटरवर्थ, वाधवा प्रकाशन, नागपुर
वी.एन.शुक्ला: भारत का संविधान, ईस्टर्न बुक कं. लखनऊ
जी एस नरवानी: भारत में जनजातीय कानून, रावत प्रकाशन, जयपुर, 2004
 वैधानिक और अन्य प्राधिकारी
 भारत का संविधान

दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-2007) के लिए अनुसूचित जनजाति आयोग का सशक्तीकरण योजना पर संचालन समिति की रिपोर्ट, भारत सरकार (2001)

पर्यटक मित्र योजना

केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को पर्यटन क्षेत्र की विशेषताओं के बारे में जागरूक करने और उनके ज्ञान का प्रयोग इस क्षेत्र में कर उन्हें आतिथ्य सुविधा सेवा में शामिल करने के उद्देश्य से पर्यटक मित्र कार्यक्रम की शुरुआत की है।

पर्यटन का विकास तथा इसका प्रोत्साहन मूल रूप से राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन की जिम्मेदारी है। तथापि पर्यटन मंत्रालय देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपने प्रयासों के तहत लगातार अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाता रहता है साथ ही यह अतुल्य भारत अभियान के बैनर तले एक संपूर्ण पर्यटन गंतव्य के रूप में भारत को स्थापित करने तथा इसके विभिन्न पर्यटन केंद्रों व संबद्ध उत्पादों को प्रचारित-प्रसारित करने के लिए भी लगातार कार्य करता है।

www.afeias.com

IAS की Free तैयारी

IAS की परीक्षा के निःशुल्क मार्गदर्शन के लिए डॉ. विजय अग्रवाल की वेबसाइट

इस पर आपको मिलेगा -

- प्रतिदिन ऑफियो लेक्चर
- अखबारों पर समीक्षात्मक चर्चा
- परीक्षा सम्बन्धी लेख
- आकाशवाणी के समाचार
- वीडिओ
- नॉलेज सेंटर
- अखबारों की महत्वपूर्ण कतरने
- फ्री मॉक-टेस्ट।

सुनिए डॉ. विजय अग्रवाल का
लेक्चर रोज़ाना

लॉग ऑन करें- www.afeias.com

डॉ. विजय अग्रवाल
की पुस्तक

**'आप IAS
कैसे बनेंगे'**



यह किताब IAS की तैयारी करने वालों के लिए एक 'चलता-फिरता कोचिंग संस्थान' है।

सभी प्रमुख पुस्तक-विक्रेताओं के यहाँ उपलब्ध

पूर्वोत्तर: संभावनाएं अपार, निवेश का इंतजार

हरिकिशन शर्मा



प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, विशिष्ट भौगोलिक रचना और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नजदीकी पूर्वोत्तर को उस स्थिति में लाती है जहां से आर्थिक संवृद्धि की असीम संभावनाएं शुरू होती हैं लेकिन ये संभावनाएं मूर्त रूप क्यों नहीं ले पा रही? अब तक जो गतिरोध रहा उसे दूर करने में सरकार की दिलचस्पी दिख रही है और यह दिलचस्पी भविष्य के लिए शुभ संकेत दे रही है। अब जरूरत है तो इस क्षेत्र की बन रही योजनाओं के क्रियान्वयन को सफल करने की

वै

शिवक मंदी और मानसून की बेरुखी के बावजूद भारत वित्त वर्ष 2014-15 में 7.2 प्रतिशत और 2015-16 में 7.6 प्रतिशत विकास दर हासिल कर विश्वर की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सर्वाधिक तेज गति से बढ़ने वाला देश बन गया है।¹ हालांकि इस गौरवमयी उपलब्धि का एक दूसरा पहलू भी है। विकास की यह तेज रफ्तार समाज के विभिन्न वर्गों, देश के अलग-अलग भागों और अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में समान नहीं है जिससे कई प्रकार की विषमताएं जड़ें जमा रही हैं। पूर्वोत्तर इसका एक उदाहरण है जहां सांस्कृतिक विविधता, प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता, सामरिक अवस्थिति और कई दशकों से विशेष राज्य का दर्जा होने के बावजूद विकास की गति अब तक असंगत रही है।

आर्थिक कदमताल में कमजोरी

वर्ष 1991-92 में उदारीकरण और आर्थिक सुधारों की शुरुआत से देश की विकास दर जहां तेजी से ऊपर गई, वहीं पूर्वोत्तर की वृद्धि अपेक्षाकृत धीमी रही। आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97), नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-02) और दसवीं पंचवर्षीय योजना में देश की विकास दर क्रमशः 7.5 प्रतिशत, 5.5 प्रतिशत और 7.8 प्रतिशत रहीं वहीं पूर्वोत्तर राज्यों के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) की वृद्धि दर क्रमशः 5.3 प्रतिशत, 5.3 प्रतिशत और 6.2 प्रतिशत रहीं।² 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) में स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ और पूर्वोत्तर की औसत विकास दर 9.95 प्रतिशत रही जो देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर 8 प्रतिशत से मामूली

अधिक रही। हालांकि 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) में एक बार फिर हालात बदले और पूर्वोत्तर के राज्यों की विकास दर फिर ठहरने लगी है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के पहले वित्त वर्ष 2012-13 में देश की विकास दर जहां 5.62 प्रतिशत रही वहीं जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से पूर्वोत्तर के दो सबसे बड़े राज्य असम और असुन्धाल प्रदेश की आर्थिक वृद्धि दर क्रमशः -0.07 प्रतिशत और 1.78 प्रतिशत रही³ सिक्किम और त्रिपुरा (आधार वर्ष 2011-12 पर इनके अंकड़े उपलब्ध नहीं हैं) को छोड़कर पूर्वोत्तर के बाकी छह प्रदेशों की औसत वृद्धि दर भी 2012-13 में मात्र 3 प्रतिशत थी।


इस तरह उदारीकरण और आर्थिक सुधारों की बाद देश की उच्च विकास दर का प्रत्यक्ष या परोक्ष लाभ लेने में जहां परिचमी और दक्षिणी राज्य अब तक आगे रहे हैं वहीं पूर्वोत्तर इस प्रक्रिया में पिछड़ गया। इसका परिणाम यह हुआ है कि देश के 7.98 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रफल पर फैले और 3.75 प्रतिशत जनसंख्या वाले पूर्वोत्तर का राष्ट्रीय आय में आनुपातिक योगदान उत्तरोत्तर बढ़ने के बजाए कम होता जा रहा है। वर्ष 1981-82 में सभी राज्यों के कुल शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (एनएसडीपी) में पूर्वोत्तर का योगदान 3.16 प्रतिशत से घटकर 2011-12 में 2.75 प्रतिशत रह गया है। (देखें आरेख-1)

निवेश को प्रोत्साहन की जरूरत

राष्ट्रीय आय में पूर्वोत्तर का आनुपातिक योगदान अनायास कम नहीं हुआ है। इसकी वजह यह है कि यहां निवेश का स्तर काफी कम है। राष्ट्रीय औसत से अधिक साक्षरता दर, जैवविविधता, जलविद्युत, खनन, खेल और

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं। यूएनडीपी-नीति आयोग फैलोशिप ऑन डिसेंट्रलाइज़ेंड प्लानिंग-2015, जर्मनी-इंडिया मीडिया एम्बेस्डर 2015, इंक्लूशिव मीडिया फैलोशिप-2010, आदि के तहत विकास विषयक शोध कर चुके हैं। ईमेल: hari.scribe@gmail.com

अरेख 1: शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (एनएसडीपी) में पूर्वोत्तर का योगदान (प्रतिशत)



नोट: ग्राफ में प्रदर्शित एनएसडीपी के आंकड़े स्थिर मूल्यों पर हैं। वर्ष 1981-82 और 1991-92 के आंकड़े आधार वर्ष 1980-81, वर्ष 2001-02 के आंकड़े आधार वर्ष 1999-2000 और वर्ष 2011-12 के आंकड़े आधार वर्ष 2004-05 के हैं।

पर्यटन सहित विभिन्न क्षेत्रों में विकास की असीमित संभावनाओं के बावजूद पूर्वोत्तर में निवेश का प्रवाह अपेक्षानुरूप नहीं हुआ है। 10वीं पंचर्षय योजना (2002-07) के दौरान देशभर में कुल 16,16,407 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव आए जिसमें पूर्वोत्तर में मात्र 25271 करोड़ रुपये (1.56 प्रतिशत) के प्रस्ताव आए। इसी तरह 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) में देश में कुल 66,47,971 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव आए जिसमें से पूर्वोत्तर में सिर्फ 38,889 करोड़ रुपये (0.58 प्रतिशत) के प्रस्ताव ही आए। जब इन निवेश प्रस्तावों के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन पर नजर डालते हैं तो पूर्वोत्तर पिछड़ता हुआ साफ नजर आता है। औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग (डीआइपीपी) ने उद्योग जगत द्वारा दाखिल इंडस्ट्रियल एंट्रीप्रीन्यर मेमोरांडम (आईईएम) यानी निवेश प्रस्ताव के क्रियान्वयन का विश्लेषण किया है। इससे पता चलता है कि 1991 से 2009 के दौरान देशभर में औद्योगिक निवेश के कुल 8,468 निवेश प्रस्ताव आईईएम के रूप में क्रियान्वित हुए जिसमें से मात्र 156 (1.8 प्रतिशत) पूर्वोत्तर में आए। इन आईईएम से देश में कुल 2,88110 करोड़ रुपये का निवेश हुआ जिसमें से पूर्वोत्तर में मात्र 1,930 करोड़ रुपये (0.66 प्रतिशत) आया। इस भारी भरकम निवेश से देश में जहां 14.43 रोजगार सृजित हुए वहीं पूर्वोत्तर में रोजगार का यह आंकड़ा मात्र 16425 (1.47 प्रतिशत) रहा।⁴

वास्तव में देश के सभी राज्यों में हर साल उद्योग जगत से जितने निवेश के प्रस्ताव आते

हैं उनमें पूर्वोत्तर की हिस्सेदारी एक प्रतिशत भी नहीं है। चिंताजनक तथ्य यह है कि बीते एक दशक में देश में विकास दर उच्च स्तर पर रहने के बावजूद निवेश में पूर्वोत्तर की हिस्सेदारी एक प्रतिशत तक नहीं पहुंच पाई है। सिर्फ निजी ही नहीं सार्वजनिक निवेश भी कम रहा है। केंद्रीय बजट में पूर्वोत्तर राज्यों के लिए धन आवंटन का प्रतिशत भी एक से दो प्रतिशत रहा है। 29 फरवरी 2016-17 से पता चलता है कि अगले वित्त वर्ष के लिए

सरकार के कुल व्यय 19,78,060 में से पूर्वोत्तर के लिए आवंटन मात्र 33,097 करोड़ रुपये (1.67 प्रतिशत) ही है।⁵

कमजोर विकास संकेतक

इस तरह पूर्वोत्तर में निवेश का प्रवाह कम रहने के दो परिणाम सामने आए हैं। पहला, इस क्षेत्र में बेरोजगारी और गरीबी का स्तर राष्ट्रीय स्तर से काफी अधिक है। वर्ष 2011-12 में देश में सर्वाधिक बेरोजगारी दर नागालैंड में 27 प्रतिशत, त्रिपुरा में 15.3 प्रतिशत, असम और मणिपुर में 5.3 प्रतिशत है जबकि राष्ट्रीय बेरोजगारी दर मात्र 2.9 प्रतिशत है।⁶ इसकी

वजह से न सिर्फ पूर्वोत्तर के राज्यों में प्रतिव्यक्ति आय का स्तर राष्ट्रीय औसत से कम है, गरीबी का स्तर अधिक है और बल्कि बड़ी संख्या में लोग रोजगार की तलाश में पलायन करने को मजबूर हैं।

पूर्वोत्तर में गरीबी का स्तर भी राष्ट्रीय आबादी के अनुपात में अधिक है। वर्ष 2011-12 में पूर्वोत्तर के आठों राज्यों में 1.32 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे थे। इस तरह देश के कुल 26 करोड़ गरीबों में से करीब पांच प्रतिशत पूर्वोत्तर के राज्यों में हैं। सर्वाधिक 1.01 करोड़ बीपीएल असम में हैं। (देखें तालिका-1)

संभावनाओं की कमी नहीं

दूसरा पहलू यह है कि पूर्वोत्तर में विकास की अपार संभावनाएं मौजूद हैं लेकिन अब तक इसमें से आधे का भी दोहन नहीं किया जा सका है। उदाहरण के लिए जलविद्युत का क्षेत्र जिसकी दो तिहाई संभावनाओं को अब

तालिका 1: विकास के विभिन्न संकेतकों पर पूर्वोत्तर

राज्य	बीपीएल आबादी* (प्रतिशत) ⁷	प्रति व्यक्ति आय** (रुपये) ⁸	बेरोजगारी दर# (प्रतिशत)
सिक्किम	8.19	78427	1.2
मेघालय	11.87	34004	0.9
त्रिपुरा	14.05	42315	15.3
नागालैंड	18.88	48111	27
मिजोरम	20.4	39347	3.9
असम	31.98	23448	5.3
अ. प्रदेश	34.67	35845	2.4
मणिपुर	36.89	22395	5.3
भारत	21.92	38856	2.9

*2011-12, **2012-13, #
स्रोत: कृपया संदर्भ vii एवं viii देखें तक विकसित नहीं किया जा सका है। देशभर में जलविद्युत की कुल 1,48,701 मेगावाट संभावनाओं की पहचान की गई है जिसमें से 63,257 मेगावाट (42 प्रतिशत) पूर्वोत्तर के आठ प्रदेशों में ही है लेकिन अभी तक इसमें से लगभग दो तिहाई का विकास नहीं किया जा सका है। (देखें तालिका-2)

पूर्वोत्तर में जलविद्युत की संभावनाओं का दोहन न होने की राह में न सिर्फ निवेश का निम्न स्तर बाधक रहा है बल्कि क्षेत्र में रेल, सड़क और वायु सेवा जैसी ढांचागत सुविधाओं के नेटवर्क के अभाव ने भी रुकावट का काम किया है।

तालिका 2: पूर्वोत्तर में जलविद्युत की संभावनाएं

राज्य	संभावित क्षमता		विकसित क्षमता		निर्माणाधीन क्षमता		अप्रयुक्त क्षमता	
	सभी	(25 मेवा)	(मेगावाट)	(प्रतिशत)	(मेगावाट)	(प्रतिशत)	(मेगावाट)	(प्रतिशत)
सिक्किम	4286	4248	669	15.75	2622	61.72	957	22.53
मेघालय	2394	2298	282	12.27	40	1.74	1976	85.99
त्रिपुरा	15	0	0	0	0	0	0	0
मणिपुर	1784	1761	105	5.96	0	0	1656	94.04
असम	680	65	375	57.69	0	0	275	42.31
नागालैंड	1574	1452	75	5.17	0	0	1377	94.83
अरुणाचल प्रदेश	50328	50064	405	0.81	2854	5.7	46805	93.49
मिजोरम	2196	2131	0	0	60	2.82	2071	97.18
भारत	148701	145320	36481.8	25.1	12738	8.77	96100.2	66.13

नोट: प्रतिशत में व्यक्त किए गए आंकड़े '25 मेवा' से अधिक' की संभावित क्षमता के प्रतिशत के रूप में व्यक्त हैं।

स्रोत: केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, 31 मार्च 2015 के अनुसार

पिछड़ गया है।

(देखें तालिका-3)

जलविद्युत की तरह खनन की भी व्यापक संभावनाएं हैं। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वे (जीएसआई) ने देश में 5,7 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की पहचान ओवियस जियोलॉजिकल पॉर्टेशियल (ओजीपी) के रूप में की है।⁹ इसमें से 4,450 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पूर्वोत्तर के मेघालय, असम और सिक्किम में हैं। जीएसआई के अनुसार मेघालय में शिलांग पठार, मिकिर पहाड़ियां, सिंग्रीमारी कोयला बेसिन में फैले 2510 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में खनन की संभावनाएं हैं। यहां कोयला, लौह अयस्क के साथ ही लाइमस्टोरन और बेस मेटल मिलने की संभावना है। इसी तरह असम में कारबी आंगलांग, सिंग्रीमारी कोयला बेसिन सहित 940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर लौह अयस्क, बेस मेटल और कोयला के खनन की व्यापक संभावनाएं हैं।

जीएसआई को सिक्किम में भी करीब 1,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बेस मेटल हाने का पता चला है। अब तक इसमें से बड़े भाग का दोहन नहीं हुआ है। इसकी एक वजह ढांचागत सुविधाओं का अभाव और दुर्गम भूभाग है वहां दूसरी वजह राजनीतिक है। पूर्वोत्तर के स्थानीय लोगों के मन में कई बार यह भाव पैदा किया गया है कि यहां के आर्थिक संसाधनों का दोहन हो रहा है या दोहन का खतरा है, इसके चलते पूर्वोत्तर में कई बार संघर्ष भड़का है।¹⁰ उग्रवादियों ने अपना निशाना भी खनन परियोजनाओं को बनाया है। उन्होंने इस क्षेत्र से पेट्रोलियम और कोयला की आपूर्ति को बाधित करने के लिए परिवहन के साधनों को निशाना बनाया है।

प्रदेश में है।¹¹

जैव विविधता के साथ ही विभिन्न आदिवासी समूहों की अनूठी पारंपरिक जीवन शैली भी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र हैं। लेकिन पर्यटक सुविधाओं के अभाव के चलते देश के पर्यटन मानचित्र पर भी पूर्वोत्तर

असम में तेल टैंकर और डिपो पर उल्फा के हमले तथा मेघालय में यूरोनियम खनन के विरोध में प्रदर्शन इसके उदाहरण हैं।

पर्यटन का अनंत आकाश

पूर्वोत्तर में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता के मामले में पूर्वोत्तर का देश ही नहीं दुनिया में भी अहम स्थान है। यूनेस्को ने पूरी दुनिया में 34 जैवविविधता स्थलों की पहचान की है जिसमें भारत में दो हैं: पहला, पश्चिमी घाट और दूसरा पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय पूर्वोत्तर भारत में ही आता है। पूर्वोत्तर में जैवविविधता के खजाने का अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि सिक्किम देश के मात्र 0.2 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर है जबकि देश की 26 प्रतिशत जैवविविधता अकेले इस

भारत में पर्यटन के क्षेत्र में 10 लाख रुपये के निवेश से 78 नौकरियां सृजित होती हैं जबकि विनिर्माण में इतने निवेश से मात्र 45 नौकरियां सृजित होती हैं।¹² इसलिए पूर्वोत्तर में निवेश के निम्न स्तर और बेरोजगारी के उच्च स्तर के महेनजर यह पर्यटन केंद्रित विकास कारगर रणनीति साबित हो सकता है।

कृषि में नई संभावनाएं

पूर्वोत्तर में जैविक खेती (आर्गेनिक फार्मिंग) की भी असीमित संभावनाएं हैं। आर्गेनिक फार्मिंग के लिए यह क्षेत्र देश में हब बन सकता है।¹³ पूर्वोत्तर में दो तिहाई आबादी कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर निर्भर है। हाल के वर्षों में देश के कुछ प्रदेशों में हरित क्रांति से सिंचाई की सुविधा के विस्तार और उन्नत बीजों की उपलब्धता से

तालिका 3: पर्यटन मानचित्र पर पूर्वोत्तर

राज्य	घरेलू पर्यटकों का प्रतिशत जो पूर्वोत्तर गए	विदेशी पर्यटकों का प्रतिशत जो पूर्वोत्तर गए	घरेलू पर्यटक आकर्षित करने में राज्यों की रैंकिंग में पूर्वोत्तर का स्थान	विदेशी पर्यटक आकर्षित करने में राज्यों की रैंकिंग में पूर्वोत्तर का स्थान
सिक्किम	0.04	0.22	29	23
मेघालय	0.06	0.04	27	28
त्रिपुरा	0.03	0.12	30	25
मणिपुर	0.01	0.01	33	33
असम	0.37	0.1	22	26
नागालैंड	0	0.02	35	32
अ. प्रदेश	0.01	0.02	32	30
मिजोरम	0.01	0	34	35

स्रोत: इंडिया ट्रॉपिकल स्टॉटिस्टिक्स, 2014

तालिका 4: सभी राज्यों के कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के कुल उत्पादन मूल्य में पूर्वोत्तर का योगदान

राज्य	1999-00	2010-11
अरुणाचल प्रदेश	0.11	0.18
असम	2.29	2.12
मणिपुर	0.18	0.22
मेघालय	0.18	0.20
मिजोरम	0.07	0.12
नागालैंड	0.18	0.24
सिक्किम	0.04	0.05
त्रिपुरा	0.30	0.33
पूर्वोत्तर	3.35	3.47

नोट: 1999-2000 के आंकड़े 1999-00 के स्थिर मूल्यों पर, 2010-11 के आंकड़े 2004-05 के स्थिर मूल्यों पर,

स्रोत: केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन, भारत सरकार पैदावार और उत्पादन बढ़ा है, पूर्वोत्तर में इसमें खास वृद्धि नहीं हुई है। पूर्वोत्तर के अधिकांश लोग भी परंपरागत 'झूम कृषि' पर निर्भर हैं। इसके चलते बीते दशक में देश के कुल कृषि और संबद्ध क्षेत्र के उत्पादन में पूर्वोत्तर के योगदान में कोई अभूतपूर्व वृद्धि नहीं हुई है। वर्ष 1999-2000 में देश के सभी राज्यों के कृषि और संबद्ध क्षेत्र के कुल उत्पादन मूल्य में पूर्वोत्तर का योगदान 3.35 प्रतिशत था जो वर्ष 2010-11 में बढ़कर 3.47 प्रतिशत हुआ।¹⁴ इस तरह दस साल की अवधि में इसमें कुछ खास वृद्धि नहीं हुई।

पूर्वोत्तर में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए न सिर्फ किसानों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है बल्कि वहां के कृषि उत्पादों की आपूर्ति देश-विदेश में उपभोक्ताओं तक करने के लिए मार्केटिंग तंत्र खड़ा करने की भी जरूरत है। इसके साथ ही कृषि उत्पादों की बरबादी रोकने के लिए कोल्डचेन, डुलाई और पर्याप्त भंडारण की सुविधा भी विकसित करने की दरकार है। ऐसा होने पर स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।

अवसंरचना सुधार: वक्त की दरकार

पूर्वोत्तर में अब तक अनुभव यह बताता है कि ढांचागत सुविधाओं के अभाव और दुर्गम भूभाग के चलते बड़ी-बड़ी कपनियां इस क्षेत्र में जाने से परहेज कर रही हैं। इस वजह से पूर्वोत्तर में संगठित क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग

का विस्तार नहीं हो पाया है। कंपनी मामलों के मंत्रालय के आंकड़े इस बात की पुष्टि करते हैं। वर्ष 2014 में देश में सार्वजनिक और निजी दोनों प्रकार की सक्रिय कंपनियों की संख्या 9,46,641 थी।¹⁵ इसमें से पूर्वोत्तर में मात्र 6,040 कंपनियां थीं। इस तरह देश की सक्रिय कंपनियों में से एक प्रतिशत भी पूर्वोत्तर क्षेत्र में नहीं है। जो कंपनियां हैं भी उनकी पूँजी भी बहुत कम है। खास बात यह है कि बीते पांच वर्षों में पूर्वोत्तर के राज्यों में नई कंपनियां पंजीकृत होने में भी कोई खास तेजी नहीं आई है। इसी तरह पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित कारखानों पर गौर करें तो इन राज्यों में विनिर्माण का निम्न स्तर साफ तौर पर स्पष्ट हो जाएगा। वर्ष 2011-12 में देश में कुल 1,75,710 कारखाने परिचालन में थे जिसमें से बमुश्किल दो प्रतिशत यानी 3,642 कारखाने पूर्वोत्तर में थे। देश में सबसे कम कारखाने सिक्किम में (मात्र 54 कारखाने), नागालैंड में 85, मणिपुर में 97, मेघालय में 99, त्रिपुरा में 437 और असम में 2870 थे।¹⁶ पूर्वोत्तर के दो प्रदेशों, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में कितने कारखाने हैं या नहीं इस बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

कारखानों को चाहिए अतिरिक्त पूँजी

पूर्वोत्तर में जो कारखाने लगे भी हैं, वे कई मामलों में देश के अन्य भागों में लगे कारखानों से काफी भिन्न हैं। पूर्वोत्तर के कारखानों की पूँजी काफी कम है। मसलन, राष्ट्रीय स्तर पर एक कारखाने की औसत स्थाई पूँजी (फिक्स्ड कैपिटल) जहां 11.10 करोड़ रुपये है वहीं पूर्वोत्तर के राज्यों: मणिपुर में 60 लाख रुपये, उसमें पहले तीन राज्य पूर्वोत्तर से ही हैं। सर्वाधिक

तालिका 5: लघु और मध्यम उद्यमों का बेहतर प्रदर्शन

राज्य	कुल उद्यमों में पूर्वोत्तर*	उद्यमों से रोजगार में पूर्वोत्तर*	उद्यमों में वृद्धि [#]	उद्यमों से रोजगार में वृद्धि [#]
सिक्किम	0.06	0.07	102.92	77.14
मेघालय	0.18	0.22	31.34	41.11
त्रिपुरा	0.41	0.32	28.28	21.67
नागालैंड	0.1	0.12	78.74	30.34
मिजोरम	0.09	0.09	16.58	37.11
असम	3.34	2.92	100.17	78.84
अ. प्रदेश	0.06	0.08	34.09	17.73
मणिपुर	0.37	0.3	109.37	83.29
भारत	100	100	41.73	34.35

* देश में प्रतिशत (2013) # प्रतिशत में (2005 के मुकाबले 2013 तक)

स्रोत: छठी आर्थिक गणना 2013

(जारी ... पृष्ठ 37 पर)

पूर्वोत्तर की सांस्कृतिक विविधता और देशव्यापी तारतम्य

निशांत जैन

प्रभांशु



पूर्वोत्तर की तरह ही जटिल सांस्कृतिक विविधता वाले दुनिया के तमाम समाजों को मुख्यधारा से जोड़े रहना और परस्पर तारतम्य बनाए रखना हमेशा से ही एक चुनौती रहा है। निश्चय ही, राष्ट्रीय एकीकरण के लिए एक ऐसे संतुलित नजरिए की दरकार है, जहां पूर्वोत्तर की विशिष्ट सांस्कृतिक विविधताओं व परंपराओं के प्रति पर्याप्त समझ और सम्मान हो। भारत की उदार व समावेशी लोकतांत्रिक व्यवस्था में आधुनिकता और परंपराओं में सामंजस्य स्थापित करने की अद्भुत क्षमता है।

हा

ल ही में, प्रशिक्षु आईएएस अधिकारियों से संवाद के दौरान माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने एक प्रशिक्षु अधिकारी के सवाल का उत्तर देते हुए कहा, “हमारे देश में वास्तुशास्त्र की एक मान्यता है कि यदि घर का पूर्वोत्तर भाग अच्छा हो, तो घर में भी सुख-शांति और समृद्धि रहती है। इसी तरह यदि देश का पूर्वोत्तर सुखी और समृद्ध होगा, तो पूरे देश में भी सुख-शांति और समृद्धि रहेगी।” प्रकारांतर से प्रधानमंत्री जी यह कहकर भारत की राष्ट्रीय एकता और सामाजिक-आर्थिक समृद्धि में पूर्वोत्तर भारत की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका और पूर्वोत्तर भारत की सांस्कृतिक विविधता से भारत की देशव्यापी तारतम्यता के संबंध की ओर संकेत कर रहे थे।

दरअसल पूर्वोत्तर भारत देश की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक और सामाजिक विरासत का एक अनुठा उपहार है। पूर्वोत्तर सचमुच अनदेखा, अनछुआ स्वर्ग (पैराडाइज अनएक्सप्लोरेड) ही है। यहां का प्राकृतिक सौंदर्य, भौगोलिक व सांस्कृतिक विविधता, जनजातीय लोक संस्कृति व कलाएं, व्यावसायिक विशिष्टता और सामाजिक जीवनशैली स्वयं में अनूठे और विशिष्ट ही हैं।

आज जिसे हम पूर्वोत्तर भारत कहते हैं, वह कोई एक एकीकृत सांस्कृतिक इकाई न होकर, भारत की ‘विविधता में एकता’ की संस्कृति के अनुरूप असंख्य वैविध्यपूर्ण संस्कृतियों का एक समूह है, जो स्वयं में अनेकानेक भाषाओं-बोलियों, जनजातियों, नृत्य-संगीत-कलाओं, वनस्पतियों-वन्य जीवों,

पारिस्थितिक विविधताओं, लोक-संस्कृतियों, रीति-रिवाजों और खेलों को स्वयं में समेटे हुए हैं। सिक्किम से लेकर अरुणाचल तक और नागालैंड से लेकर त्रिपुरा तक, भारत के आठ राज्य, पूर्वोत्तर की सांस्कृतिक विविधता के बाहक हैं। पूर्वोत्तर भारत के इस विराट और विविधताओं से भरपूर सांस्कृतिक वैभव को महसूस करने के बाद, यह भी पाते हैं, कि इन विशिष्ट सांस्कृतिक विविधताओं के बाद भी, पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति का भारत की देशव्यापी तारतम्यता से एक सहज संबंध भी है।

प्रसिद्ध राजनीतिशास्त्री रजनी कोठारी ने एक बार भारतीय राजनीति और उसके यथार्थ पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि भारत में राजनीति और प्रशासन प्रमुख तौर पर एकीकरण की समस्याओं से जूझते रहे हैं। विकास की मांगों को पूरा करना उसका लक्ष्य अवश्य रहा है लेकिन ऐसा करते हुए उसके सामने क्षेत्रीय अस्मिताओं, रीति-रिवाजों और परंपराओं को संरक्षित करने की चुनौती भी रही है। पूर्वोत्तर भारत की सांस्कृतिक विविधता और उसके साथ शेष भारत के तारतम्य के संदर्भ में यह बात काफी प्रासंगिक लगती है।

पूर्वी भारत से भूटान व बांग्लादेश के बीच एक कॉर्डोर से जुड़ा पूर्वोत्तर भारत, आठ राज्यों, असम मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा व सिक्किम का एक सामूहिक नाम है। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग आठ प्रतिशत व जनसंख्या का 3.1 प्रतिशत स्वयं में समेटे, पूर्वोत्तर भारत पड़ोसी देशों, चीन, म्यांमार, भूटान व बांग्लादेश से घिरा हुआ है। आजादी के समय पूर्वोत्तर में

निशांत जैन भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी (प्रशिक्षु) हैं। वह 2014 की सिविल सेवा परीक्षा में हिंदी माध्यम से टॉपर रहे हैं। पूर्व में लोकसभा सचिवालय की संपादन एवं अनुवाद सेवा में कार्यरत रहे। सामाजिक सांस्कृतिक विषयों पर लेखन में इनकी दिलचस्पी है। आलेख में व्यक्त विचार उनके निजी विचार हैं। ईमेल: nishant.jain111@gmail.com, प्रभांशु युवा लेखक हैं। प्रमुख दैनिक पत्र-पत्रिकाओं में सामाजिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय आदि विषयों पर नियमित रूप से लिखते हैं। ईमेल: prabhanshukmc@gmail.com

केवल असम, मणिपुर और त्रिपुरा राज्य थे, पर आजादी के बाद के दशकों में जातीय व क्षेत्रीय आकांक्षाओं के अनुरूप असम से अलग कर नागालैंड (1963), मेघालय (1972), व मिजोरम (1987) राज्यों का गठन किया गया। 1975 में सिक्किम के भी जुड़ने के बाद पूर्वोत्तर भारत के इन आठ राज्यों का परिवार

ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि पूर्वोत्तर भारत में विकास से जुड़ी चुनौतियों को समझने व विकास की समग्र दृष्टि विकसित करने की कुंजी, पूर्वोत्तर की विविधतापूर्ण जनसंस्कृति और उसके विशिष्ट स्वरूप को समझने और उसके प्रति संवेदनशील व जागरूक होने में निहित है।

पूरा हुआ। 1971 में गठित उत्तर-पूर्व परिषद इन आठों राज्यों के विकास का कार्य करती है। 2001 में पूर्वोत्तर भारत की विकास संबंधी विशेष आवश्यकताओं को समझते हुए केंद्र सरकार द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास को समर्पित एक नया मंत्रालय बनाया गया। वर्तमान में केंद्र सरकार भी पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास व शेष भारत से उसके सामाजिक-सांस्कृतिक जुड़ाव को विशेष महत्व दे रही है।

पूर्वोत्तर के राज्यों के विशिष्ट सामाजिक सांस्कृतिक मूलयों और विविधताओं का शेष भारत से तारतम्य स्वयं में एक बेहद महत्वपूर्ण आवश्यकता है। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि पूर्वोत्तर भारत में विकास से जुड़ी चुनौतियों को समझने व विकास की समग्र दृष्टि विकसित करने की कुंजी, पूर्वोत्तर की विविधतापूर्ण जनसंस्कृति और उसके विशिष्ट स्वरूप को समझने और उसके प्रति संवेदनशील व जागरूक होने में निहित है।

वर्ष 2014 में देश के विभिन्न हिस्सों में रह रहे पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों व छात्रों की चिंताओं और परेशानियों पर विचार के लिए बनी बेजबरुआ समिति की सिफारिशें इस ओर संकेत करती हैं। समिति की कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशों में से एक यह भी थी कि देश के विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में पूर्वोत्तर राज्यों के इतिहास, संस्कृति और समाज को शामिल किया जाना चाहिए। इसका सीधा सा उद्देश्य यह था कि पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर शेष भारत में सांस्कृतिक जागरूकता और सामाजिक संवेदनशीलता का विकास हो। जाहिर है कि

विशिष्ट सांस्कृतिक परंपराओं और अतीत वाले पूर्वोत्तर के राज्यों की जरूरतें और चुनौतियां भी हमेशा से विशिष्ट रही हैं। नीति-निर्माताओं और शासन-प्रशासन के लिए यह सवाल हमेशा प्रासंगिक रहा है कि ऐसे राज्यों की विशिष्ट सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान को सहेजते हुए, उन्हें विकास की मुख्यधारा से जोड़ते हुए कैसे देशव्यापी तारतम्यता विकसित की जाए?

भाषिक वैविध्य

सबसे पहले पूर्वोत्तर की सांस्कृतिक विविधता के विविध आयामों को समझना बेहतर होगा। पूर्वोत्तर भारत के आठों राज्य अपने भीतर सदियों की ऐतिहासिक व सांस्कृतिक विरासत और अपरिमित विविधता संजोए हुए हैं। पूर्वोत्तर में यूं तो 200 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, पर यहां की प्रमुख भाषाएं हैं—असमिया, बंगला, बोडो, गारो-खासी, कोकबोरोक, मिजो और मणिपुरी। पूर्वोत्तर की सभी भाषाएं तीन भाषा परिवारों—इंडो-आर्यन, सिनो तिब्बतन और आस्ट्रिक से संबंध रखती हैं। असमिया और बंगला इंडो-आर्यन परिवार की भाषाएं हैं, आस्ट्रिक परिवार की मुख्य भाषा है खासी।

जनजातीय वैविध्य

पूर्वोत्तर के जनजातीय समुदायों में पर्याप्त विविधता है। ये सभी जनजातीय समुदाय अपने धार्मिक विश्वासों, रीति-रिवाजों, काम-काज और रहन-सहन में भरपूर विविधता रखते हैं। असम में बोडो समुदाय पर्याप्त संख्या में है, जबकि अरुणाचल में आदि जनजाति का बहुल्य है। मेघालय में मुख्य रूप से गारो और खासी जनजातियां बसती हैं जबकि सिक्किम के प्रमुख आदिवासी भूटिया और लेपचा हैं। नागालैंड में प्रमुखतः अंगामी और मणिपुर में कुकी जनजातियां बसती हैं। प्रत्येक जनजाति की पृथक पहचान की जा सकती है, क्योंकि सभी अलग वेश-भूषा, आभूषण पहनते हैं और सबके अपने-अपने लोकनृत्य भी हैं। भारत का प्राचीन शास्त्रीय नृत्य मणिपुरी, पूर्वोत्तर की ही देन है।

जनजातियों की अपनी-अपनी अलग भाषाएं भी हैं और त्योहार भी। ये जनजातियां मुख्यतः खेती और पशुपालन पर निर्भर हैं। झूम खेती का प्रचलन बहुत है। ऊन उतारना और बुनाई का व्यवसाय भी प्रचलित है। पूर्वोत्तर की बहुत सी

जनजातियों की संरचना मातृसत्तात्मक है और महिलाएं अर्थिक व व्यावसायिक गतिविधियों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेती हैं। इस तरह, पूर्वोत्तर की जनजातियां भारतीय समाज का बहुरंगी और वैविध्यपूर्ण स्वरूप प्रस्तुत करती हैं।

प्राकृतिक/भौगोलिक वैविध्य

पूर्वोत्तर की इस अद्भुत सांस्कृतिक विविधता यहां की प्राकृतिक व भौगोलिक विविधताओं से बहुत हद तक जुड़ी है। प्रकृति ने यहां अपनी संपदा जमकर बिखेरी है। हिमालय की गोद में छोटी-छोटी पहाड़ियां, पहाड़ों के बीच पतली घुमावदार सड़कें, दोनों ओर भरपूर हरियाली और पेड़-पौधे, लकड़ी के घर और पुल, छोटी-छोटी दुकानें, जमकर बरसात, चाय के बागान, दर्द, बांस की कारीगरी, हस्तशिल्प, बनस्पतियां और बन्य जीव, साईंकिल पर हाथ हिलाते हुए स्कूल जाती बेटियां, फुटबॉल और खेल-कूद ये सब पूर्वोत्तर की सांस्कृतिक विविधता की झलक प्रस्तुत करते हैं।

देश के अन्य भागों से तारतम्य

पूर्वोत्तर की इस अद्भुत सांस्कृतिक विविधता के बरक्स, प्रासंगिक प्रश्न यह है कि इस विराट् सांस्कृतिक विविधता का शेष देश से कितना तारतम्य है और इस देशव्यापी तारतम्य को अधिक प्रभावी बनाने के लिए किन क्षेत्रों पर फोकस किए जाने की जरूरत है। किस प्रकार पूर्वोत्तर की विशिष्ट सांस्कृतिक

विद्यमान देशव्यापी तारतम्य को और अधिक प्रभावी बनाने और पूर्वोत्तर को मुख्य भूमि के और अधिक करीब लाने के लिए तमाम सरकारी और गैर-सरकारी प्रयास जारी हैं। पर अभी बहुत कुछ किया जाना बाकि है, जिनमें से कुछ उपायों की ओर बेजबरुआ समिति ने पहले ही संकेत किया है।

विविधता को बनाए रखते हुए पूर्वोत्तर देश की मुख्यधारा से और करीब से जुड़ सकता है।

पूर्वोत्तर की सांस्कृतिक विविधता के बहुत से तत्वों का शेष भारत से पर्याप्त साम्य है। चाहे नृत्य-संगीत को लेकर प्रेम हो, या हस्तशिल्प व पशुपालन की कर्मठ संस्कृति, बहुभाषिकता हो या सांस्कृतिक जागरूकता,

खेल-कूद का जुनून हो या चहुं ओर बिखरी प्रकृति; पूर्वोत्तर का मानस और जीवन-शैली, भारत के बहुसांस्कृतिक ढांचे के अनुरूप विविधतापूर्ण और जनोन्मुखी है।

इस विद्यमान देशव्यापी तारतम्य को और अधिक प्रभावी बनाने और पूर्वोत्तर को मुख्य भूमि के और अधिक करीब लाने के लिए तमाम सरकारी और गैर-सरकारी प्रयास जारी हैं। पर अभी बहुत कुछ किया जाना बाकि है, जिनमें से कुछ उपायों की ओर बेजबरुआ समिति ने पहले ही संकेत किया है। पहली और सर्वाधिक महत्वपूर्ण जरूरत है, परस्पर मेल-मिलाप व संपर्क में बढ़ातेरी। इसके लिए, पूर्वोत्तर का शेष भारत से परिवहन के विभिन्न माध्यमों से संपर्क बढ़ाया जाना अपरिहार्य है। पूर्वोत्तर की देश के अन्य भागों से कनेक्टिविटी तो सरकार की प्राथमिकताओं में है ही, साथ ही इस समय पूर्वोत्तर में आधारभूत संरचना के विकास पर पर्याप्त बल दिया जा रहा है।

मुख्य ध्यातव्य क्षेत्र

कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होंगे, तो स्वाभाविक तौर पर आवागमन, उच्च शिक्षा के लिए छात्रों के प्रवास, पर्यटन, मेल-मिलाप, पूर्वोत्तर अध्ययन और व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं में कौशल विकास के माध्यम से रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। इससे स्वाभाविक तौर पर पर अशांति और उग्रवाद कमज़ोर होंगे और पूर्वोत्तर के युवा

(पृष्ठ 34 से जारी ...)

83.29 प्रतिशत, असम में 78.84 प्रतिशत और सिक्किम में 77.14 प्रतिशत वृद्धि हुई। इसी तरह उद्यमों की संख्या वृद्धि का सवाल है तो इस अवधि में देशभर में जिन पांच राज्यों में सबसे तेज गति से उद्यमों में वृद्धि हुई उनमें शीर्ष पर मणिपुर (109 प्रतिशत), सिक्किम (102 प्रतिशत), असम (100 प्रतिशत) और नागालैंड (78.7 प्रतिशत) का नाम सबसे ऊपर है। इससे पता चलता है कि पूर्वोत्तर में उद्यमशीलता के विकास की अपार संभावनाएं हैं। और इसमें स्टार्टअप इंडिया तथा स्टेंड अप इंडिया मददगार साबित हो सकता है।

निष्कर्ष

पूर्वोत्तर में विकास की व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं। जरूरत बस इस बात की है कि इन संभावनाओं के दोहन के लिए ऐसी रणनीति

भारत की विकास यात्रा के साथ कदमताल कर सकेंगे।

उपर्युक्त प्रयासों के परिणाम कमोबेश समने आने लगे हैं। आधुनिक मूल्यों और मीडिया व मनोरंजन के साधनों के प्रसार ने पूर्वोत्तर के राज्यों से देशव्यापी तारतम्यता को बढ़ावा दिया है। पूर्वोत्तर की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार अभी भी कृषि है। यद्यपि सेवा वर्ग का भी अब उदय हुआ है, पर कृषि आधारित उद्योगों, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प उत्पादों के

पूर्वोत्तर की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार अभी भी कृषि है। यद्यपि सेवा वर्ग का भी अब उदय हुआ है, पर कृषि आधारित उद्योगों, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प उत्पादों के विपणन औद्योगिक विकास व कौशल विकास पर अभी और ध्यान दिए जाने की जरूरत है। समूचे पूर्वोत्तर में पर्यटन के विकास की अपार संभावनाएं हैं। साथ ही खेल-कूद की पहले से ही मौजूद संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए खेल-कूद की आधारभूत संरचना और सुविधाओं का विस्तार कर भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर सकता है।

पूर्वोत्तर में कई क्षेत्रों में अवैध आव्रजन, महिलाओं और बच्चों का दुर्व्यापार, उग्रवादी

अपनाई जाए जो पर्यावरण के अनुकूल, रोजगार बढ़ाने वाली और पूर्वोत्तर को देश की बराबरी पर लाकर खड़ी करने वाली हो। □

संदर्भ

- आर्थिक सर्वेक्षण 2015-16
- प्रजेटेशन ऑन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, कान्फ्रेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर्स ऑफ नार्थ ईस्टर्न रीजन, योजना आयोग
- जीएसडीपी के आंकड़े (आधार वर्ष 2011-12 व स्थिर मूल्यों पर), केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, सांख्यिकीय और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
- स्टेट वाइट डीटेल्स ऑफ आइईएम इंसीमेंट, औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग (डीआइपीपी)
- व्यव बजट भाग-1, आम बजट 2016-17
- 68वां राउंड सर्वे, एम्प्लॉआईमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट सिच्युएशन इन इंडिया 2011-12, नेशनल सेंपल सर्वे ऑफिस, भारत सरकार
- प्रैसनोट ऑन पार्वटी एस्टीमेट्स 2011-12, योजना आयोग, जुलाई 2013
- सीएसओ, भारत सरकार
- एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग ऑपरट्यूनिटीज इन इंडिया: एन इनवेस्टर गाइड, खान मन्त्रालय, भारत सरकार
- इकनॉमिक पोटेंशियल ऑफ नार्थईस्ट इंडिया: एन एसेट और श्रेट, शिवानंद एच, इंस्टीट्यूट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस, नई दिल्ली
- एनविस केंद्र: सिक्किम, वन, पर्यावरण एवं वन्य जीव प्रबंधन विभाग, सिक्किम सरकार
- रिपोर्ट ऑफ वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रौज्म, 12वां पंचवर्षीय योजना, योजना आयोग 2011
- पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार जितेन्द्र सिंह, 8 जनवरी, पत्र सूचना कार्यालय प्रैस विज्ञप्ति
- स्टेटवाइज एस्टीमेट ऑफ वेल्यू ऑफ आउटपुट फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टीविटीज 2013
- स्टेटिस्टिकल ईयर बुक इंडिया 2016, सांख्यिकीय और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार
- ऑल इंडिया सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज 2011-12, सांख्यिकीय और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

संगठनों द्वारा मनमानी जैसी समस्याएं भी हैं, जिनसे सुरक्षा बलों व कानून के प्रभावी प्रवर्तन के साथ-साथ, सामाजिक-आर्थिक विकास और संपर्क व आवागमन में बढ़ातेरी के दोहरे मोर्चे पर निपटने के प्रयास जारी हैं और आगे भी और संभावनाएं निहित हैं। उदाहरणतः सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) पूर्वोत्तर में सड़क निर्माण व रख-रखाव द्वारा लोगों को जोड़ने की कोशिश में जुटा है, तो भारतीय सेना के साथ-साथ भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) व सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) जैसे अद्वैतिक बल पूर्वोत्तर की सुरक्षा के प्रहरी बनकर सजग हैं।

उपसंहार

पूर्वोत्तर की तरह ही जटिल सांस्कृतिक विविधता वाले दुनिया के तमाम समाजों को मुख्यधारा से जोड़े रहना और परस्पर तारतम्य बनाए रखना हमेशा से ही एक चुनौती रहा है। निश्चय ही, राष्ट्रीय एकीकरण के लिए एक ऐसे संतुलित नजरिए की दरकार है, जहां पूर्वोत्तर की विशिष्ट सांस्कृतिक विविधताओं व परंपराओं के प्रति पर्याप्त समझ और सम्मान हो। भारत की उदार व समावेशी लोकतात्रिक व्यवस्था में आधुनिकता और परंपराओं में सामंजस्य स्थापित करने ही अद्भुत क्षमता है। इसीलिए पूर्वोत्तर की सांस्कृतिक विविधता को संरक्षित रखने हुए भारत के इस 'अनछुए स्वर्ग' का देश की मुख्यधारा से तारतम्य स्थापित किया जा सकता है। □

→ सिविल सर्विस परीक्षा के इतिहास में पहली बार IAS/PCS दोनों में चयनित मेंटर द्वारा मार्गदर्शन ←

ट्रांसफार्मर
IAS For IAS & PCS

अब बदलेगी हिन्दी
मीडियम की दुनिया

ट्रांसफार्मर
IAS

• टीचिंग हेड •
टी.एन.कौशल

→ ↓ कौन हैं टी.एन.कौशल ?

"हिन्दी माध्यम से लगातार गिरती सेलेक्शन दर ने मुझे सर्विस से ब्रेक लेकर यहां आने को प्रेरित किया।"

प्रदर्शन नहीं परिणाम चाहिए तो ही ज्वाइन कीजिए

"I have known T N Kaushal as a colleague and as a good friend since our training-time. I am sure that those students are lucky enough who are going to study under his valuable guidance."



Dr. Basant Agarwal
2004 PCS-Rank-1
2005 PCS-Rank-1
2006 PCS-Rank-3
2005 MPPSC-SDM

निबंध

★ PCS 2016 में स हेतु विशेष थस्ट कोर्स ★

(कैश कोर्स+QIP-हिन्दी/अंग्रेजी माध्यम में)

प्रशांत सिंह

हिन्दी साहित्य रक्षा अध्ययन GS में स सोशल वर्क इतिहास

अनिवार्य
हिन्दी
एव. के. मिश्र

→ सफलता की राह:- UPPCS-2015 में सर्वोच्च स्थान-वान्या सिंह ←



Vanya Singh
(female topper)

वैकल्पिक विषय ↓	पूर्व में कहीं भी कोचिंग कर चुके छात्रों को शुल्क में विशेष छूट ↓
लोक प्रशासन	वी. के. त्रिपाठी
रक्षा अध्ययन	डी. कुमार
राजनीति विज्ञान	पी. के. सिंह
हिन्दी साहित्य	आर. प्रभा
सोशल वर्क	आर. कुमार

PCS टेस्ट सीरीज
2 टेस्ट निशुल्क

इतिहास	टी.एन.कौशल
दर्शन शास्त्र	दिलीप कुमार
भूरोल	आर. श्रीवास्तव
इथिक्स	टी.एन.कौशल
अर्थशास्त्र	आर. पी. वशिष्ठ

भाषा विज्ञान- 10-12 दिन में किसी तरह निपटाकर/प्रिंटेड नोट्स देकर इतिहास नहीं बल्कि रोचक और सरल ढंग से भाषा विज्ञान की समझ का विकास

अनिवार्य हिन्दी-सरकारी पत्र लेखन के सचिवालय से प्राप्त प्रारूप निबंध अभिव्यक्ति कौशल के निखार पर बल

★ Answer writing इंप्रूवमेंट प्रोग्राम ★

GS में 300 व वैकल्पिक विषय में 250 से अधिक अंक पाने की रणनीति सीखें

वैकल्पिक विषय
रणनीति →

- रेखांचित्र, flow-chart और याफ बनाकर अधिक अंक पाने की रणनीति
- कोटेशन (विचारकों के प्रसिद्ध कथनों) द्वारा उत्तर लेखन की प्रभावी शैली का विकास लिखने और पढ़ने की गति एवं नेमोरी बढ़ाने की तकनीकों की विशेष कक्षाएं
- प्रत्येक अध्याय की समाप्ति पर विगत वर्षों के प्रश्नों की चर्चा व उत्तर प्रारूप।
- पुराने प्रश्नों को लिखाकर खानापूर्ति नहीं बल्कि स्वलेखन की skill का विकास

IAS इंटरव्यू

निशुल्क परिचर्चा
+मॉक इंटरव्यू

हाई-प्रॉफ़ाइल Mock साक्षात्कार पैनल
3 mock+model answers

→ 7 day personal guidance by kaushal sir in small groups of 5-5 candidates ←

★ IAS सिग्नेचर कोर्स (फाउंडेशन+एडवांस) ★

GS Pre+CSAT+GS Mains+Test Series+Essay+Grammer+Interview+Ethics

→ फॉन्याइज़ी/ब्रांच-पार्टनरशिप/कोलेबरेशन के लिए संपर्क करें ← Wanted- प्रत्येक वैकल्पिक विषय की फैकल्टी

JNU-Entrance

Weekend batch

MP PCS+BPSC में स

Distance Learning/Postal/E-Learning

A-1, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, वाला रेस्टोरेंट के सामने,
मैन रोड, मुख्यांग नगर

नई दिल्ली 09953126338 09717156339

अद्भुत पारिस्थितिकी को चाहिए अचूक संरक्षण

धीप्रज्ञ द्विवेदी



भारतीय उपमहाद्वीप में सूर्य की पहली

किरणें सबसे पहले पूर्वोत्तर को प्रकाशित करती हैं, जीवन देती हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एवं सिक्किम राज्यों को मिलाकर पूर्वोत्तर पूर्ण होता है। पूर्वोत्तर को

भारत की हरित भूमि भी कह सकते हैं। यह अनछुए जंगलों एवं जनजातियों की बहुलता का क्षेत्र है। यह क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से बहुत समृद्ध है जिनमें तेल प्राकृतिक गैस अयस्क जंगल एवं जीव-जंतु सभी हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप ‘माजुली’, ब्रह्मपुत्र नदी के हृदय में अवस्थित है। एक सींग वाले गैंडों की आखिरी शरण स्थली पूर्वोत्तर ही है।

विश्व में सर्वाधिक वर्षा का स्थान ‘मौसिनराम’ पूर्वोत्तर में ही है। पूर्वोत्तर न केवल अपने बनों, नदियों एवं पहाड़ों के लिए जाना जाता है बल्कि यहां की जैव विविधता भी अपने

आप में बहुत महत्वपूर्ण है।

प

र्यावरण पर पश्चिमी एवं भारतीय शहरी वर्ग के विचार पारंपरिक समाजों के विचार से पूर्णतः अलग हैं। पारंपरिक समाजों में पर्यावरण जीवन का अंग है। भारत के प्राचीन ज्ञानकोश भी पर्यावरण को जीवन का अंग मानते हैं। भारत का पारंपरिक ज्ञान पर्यावरण के बिना जीवन की कल्पना नहीं करता है। वह हरे भरे जंगल, पहाड़ एवं बर्फाच्छादित पर्वतों को सबके लिए मंगलकारी मानता है।

“गिरस्यते पर्वता हिमवन्तोऽरण्यं ते पृथिवी स्योनमस्तु” – अथर्ववेद 12/1/11

पूर्वोत्तर वास्तव में अथर्ववेद के उपरोक्त कथन का ही प्रतिरूप है। पूर्वोत्तर के पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को समझने के लिए पूर्वोत्तर की भौगोलिक स्थितियों को समझना आवश्यक है, उसके बाद उस क्षेत्र की जैव विविधता, सबसे अंत में वहां की पर्यावरणीय समस्याओं को।

पूर्वोत्तर क्षेत्र भौगोलिक रूप से पूर्वी हिमालय, पूर्वोत्तर की पहाड़ियां (पटकाई-नागा पहाड़ी, लुसाई पहाड़ी), ब्रह्मपुत्र एवं बराक घाटी मैदान एवं मेघालय की पहाड़ियां (गारो, खासी, जयन्तिया) इत्यादि में विभाजित किया जा सकता है। यह क्षेत्र भारत-मलय, भारत-चीनी एवं भारतीय जैव भौगोलिक क्षेत्र के संगम पर अवस्थित है। यहां की जलवायु मुख्य रूप से नम उप-उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, कुछ क्षेत्रों में पर्वतीय जलवायु भी पाई जाती है। यह क्षेत्र पश्चिमी घाट के साथ, कुछ अंतिम शेष वर्षा बनों के लिए भी जाना जाता है जो अपनी जैव विविधता के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं।

जैव विविधता में भारत की वैश्विक स्थिति

1992 में ब्राजील के रियो द जनरियो में हुए जैव विविधता अधिकारीय एवं अन्य जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में उपस्थित अथवा उससे संबंधित तंत्रों में पाए जाने वाले जीवों के बीच की विभिन्नता जैव विभिन्नता है।

जैव विविधता पूरे विश्व में समान रूप से वितरित नहीं है। कुछ देशों में जैव विविधता बहुत ज्यादा है। ऐसे देशों को विशाल जैव विविधता देश कहते हैं। www.conservation.org के अनुसार ये 17 देश हैं— आस्ट्रेलिया, ब्राजील, चीन, कोलंबिया, कांगो, इक्वेडोर, भारत, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, मलेशिया, मेक्सिको, पापुआ न्यूगिनी, पैरू, फिलिपिन्स, दक्षिण अफ्रीका तथा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। इन सभी देशों में पूरे विश्व की 60 से 70 प्रतिशत जैव विविधता पाई जाती है। इनमें से अधिकांश देश उष्ण कटिबंधीय देश हैं। इन सभी देशों में भारत का एक महत्वपूर्ण स्थान है: पूरे विश्व की जैव विविधता का 6 प्रतिशत भारत में पाया जाता है।

पौधों की विविधता के मामले में भारत विश्व में दसवें स्थान पर आता है, उच्च रीढधारी जंतुओं की संख्या में भारत ग्यारहवें एवं कृषि फसलों की जन्म स्थली एवं विविधता के क्षेत्र में भारत छठवें स्थान पर आता है। जैव विविधता के सक्रिय केंद्रों की कुल संख्या 34 है जिसमें से तीन भारत में हैं। क्षेत्र सीमित या स्थानिक प्रजातियों में भी भारत बेहद समृद्ध है। छिपकलियों की लगभग 50 प्रतिशत प्रजातियां केवल भारत में पाई जाती हैं। भारत

लेखक पर्यावरण विज्ञान में स्नातकोत्तर हैं। अक्षय ऊर्जा तथा पर्यावरणीय संबंधी विषयों पर नियमित रूप से लिखते रहते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के विद्यार्थियों के बीच यह विषय पढ़ाते भी हैं। स्वास्थ्य जागरूकता पर कार्य करने वाली संस्था स्वस्थ भारत के संस्थापक सदस्य भी है। ईमेल: dhimesh.dubey@outlook.com

एक महत्वपूर्ण उद्भव केंद्र भी है। लगभग 5000 फूलों वाले पौधों की उत्पत्ति भारत में हुई है। भारत, फसलों की 166 प्रजातियों तथा उनकी जंगली उपजातियों की 320 प्रजातियों की उत्पत्ति का भी केंद्र है। भारत की विविधता पूर्ण जलवायु एवं धरातलीय विशिष्टताएं इसकी जैव विविधता के महत्वपूर्ण कारक हैं।

जैव विविधता के सक्रिय क्षेत्र (हॉट स्पॉट) की परिकल्पना मार्यस ने 1998 में दी थी। अभी भारत में तीन सक्रिय केंद्र हैं।

1. पश्चिमी घाट-श्रीलंका
2. भारत-बर्मा
3. पूर्वी हिमालय

पूर्वोत्तर: भारत की जैव विविधता का मुख्य केंद्र

उपरोक्त तीनों में से दो भारत-बर्मा तथा पूर्वी हिमालय मिलकर पूर्वोत्तर का निर्माण करते हैं। पूर्वोत्तर का 70 प्रतिशत भाग पर्वतीय तथा पहाड़ी है एवं शेष 30 प्रतिशत भाग मैदानी है। यहां अधिकांश क्षेत्र में औसत वर्षा 200 सेमी से ज्यादा होती है। यहां तापमान भी औसतन 25-27°C तक रहता है जो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों के विकास में सहायक रहा है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं जबकि अरुणाचल प्रदेश एवं सिक्किम में पर्वतीय वन पाए जाते हैं। पूर्वोत्तर का यह क्षेत्र धरातलीय लक्षणों की दृष्टि से विविधतापूर्ण है। इसी कारण अनेक प्रजातियों की शरण स्थली भी है। इस क्षेत्र में अनेक अर्द्धपृथक (सेमी आइसोलेटेड) घाटियां हैं जो क्षेत्र सीमित या स्थानिक पादप प्रजातियों से समृद्ध हैं। उदाहरण स्वरूप सिक्किम के 7298 किमी क्षेत्र में 4250 पादप प्रजातियां पाई जाती हैं जिनमें 60 प्रतिशत स्थानिक हैं।

पूर्वोत्तर का यह क्षेत्र पादपों की विभिन्न प्रजातियों का उदगम स्थान माना गया है। पादपों की कुल प्रजातियों का लगभग 30 प्रतिशत भारत में है और उनमें भी 35000 हिमालय में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण (बीएसआई) ने इस क्षेत्र में कई पादप प्रजातियों की खोज की है जिन्हें पहले विलुप्त प्राय मान लिया गया

था। उदाहरणस्वरूप सैपरिया हिमालयना पिछले 70 वर्ष में केवल दो बार मिली है। इम्पेशेन्स पौरक्यावाल को 1832 में मेघालय में विलियम ग्रीफीन ने खोजा था। उसके बाद 1969 में आरएस राव ने अरुणाचल प्रदेश के तिराप में खोजा था। उसके बाद 13.09.2011 को इसे पॉटिंग, अरुणाचल प्रदेश में पाया गया। इसी प्रकार इम्पेशेन्स टोफीनी इन नामक, प्रजाति अरुणाचल प्रदेश के कैमलगंग क्षेत्र में मिली है जो इसके पहले 1911 में म्यामार के कचित पहाड़ी पर मिली थी। इस प्रकार पादपों की अनेक प्रजातियां सैंकड़े वर्ष के बाद भी पुनः मिली हैं। पादपों के अतिरिक्त यह क्षेत्र जंतु प्रजातियों के लिए भी बेहद समृद्ध है। अगर केवल रीढ़धारी जंतुओं की बात करें तो उनकी समृद्धता निम्नांकित तालिका 1 से समझी जा सकती है।

तालिका 1: पूर्वोत्तर में विविध जंतु प्रजातियां

राज्य	स्तनधारी	पक्षी	सरीसृप	उभयचर	मछली
अ.प्र.	241	738	78	39	143
असम	841	192	128	67	232
मणिपुर	69	586	19	14	141
मेघालय	139	540	94	33	152
मिजोरम	84	500	71	13	89
नागालैंड	92	492	62	10	108
सिक्किम	92	612	31	21	64
त्रिपुरा	54	341	32	20	129

स्रोत: असम के रीढ़धारी, 2015, असम विज्ञान तकनीकी एवं पर्यावरण समिति और ENVIS केंद्र, असम)

अरुणाचल प्रदेश के गोम्पा वन

अरुणाचल प्रदेश पूर्वी हिमालय क्षेत्र में आता है। यह क्षेत्र विभिन्न वनों से समृद्ध है जो विशाल पादप विविधता दिखा रहे हैं। यहां पेड़ों की विभिन्न प्रजातियों के अतिरिक्त, बड़ी संख्या में परजीवी, सैप्रोफाइट्स, आर्किड, औषधीय पौधे, फर्न, बांस, बेंत, हमारी फसलों की जंगली उपजातियां एवं बहुत से जैविक रूप से अनोखे पौधे पाए जाते हैं। पौधों के अन्य महत्वपूर्ण समूह रोडोडेन्ड्रन, हेडीकाइमस, ओक इत्यादि हैं। यहां आर्किड की 600 प्रजातियां, रोडोडेन्ड्रन की 52 प्रजातियां, हेडीकाइमस की 18 प्रजातियां, ओक की 16, केन की 18 एवं बांस की 45 प्रजातियां पाई जाती हैं। यहां लगभग 15 सैप्रोफाइट एवं 840 इपीफाइट पाए जाते हैं। यहां 500 औषधीय पौधे भी पाए जाते हैं।

वानस्पतिक विविधता के साथ-साथ यहां जैविक विविधता भी पाई जाती है। हाथी, गौर, जंगली भैंसे जैसे बड़े शाकाहारी जीव पाए जाते हैं। उष्ण अरुणाचल प्रदेश संभवतः एक मात्र ऐसा राज्य है जहां 4 (चार) प्रमुख बिल्ली प्रजातियों का घर है। बाघ, तेन्दुआ, मलिन तेन्दुआ एवं हिम तेन्दुआ। यहां छोटी बिल्लियों की महत्वपूर्ण प्रजातियां भी पाई जाती हैं: सुनहरी बिल्ली, तेन्दुआ बिल्ली एवं मरमर बिल्ली। यहां प्राइमेट्स (लंगूरों) की सात प्रजातियां पाई जाती हैं जिसमें स्कोलोटिस एवं हूलॉक गिब्बन जैसे जीव भी हैं। यह एकमात्र राज्य है जहां बकर हिरण बकरी (गोट एंटेलोप) की सभी तीन भारतीय प्रजातियां पाई जाती हैं। अत्यधिक संकट्यास्त रेमिल खरगोश भी यहां पाया जाता है। छोटे स्तनधारियों (गिलहरी, साही एवं चूहों) की भी कई प्रजातियां यहां मिलती हैं। कस्तूरी बिलाव, नेवला लिसंग, कर्कशा एवं चमगादड़ की भी कई प्रजातियां यहां मिलती हैं। अधिक ऊंचाई पर गोरल, काला भालू, लाल पांडा जैसे जीव मिलते हैं। यहां 700 से ज्यादा प्रजातियां पक्षियों की मिलती हैं। जैसे ग्रेट इंडियन हॉर्न बिल, सफेद पंखों वाला काष्ठ बत्क (लुप्तप्राय प्रजाति है) पक्षी भी यहां मिलते हैं।

इतनी विविधता पूर्ण जैव विविधता के लिए यहां दो राष्ट्रीय पार्क, बन्य जैव-अभ्यारण्य एवं एक जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र (दिहांग-दबांग) की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त यहां 101 पवित्र उपवन भी हैं जिन्हें गोम्पा वन क्षेत्र कहा जाता है। बरगद, पीपल, अशोक, बेला जैसी प्रजातियां इन गोम्पा वनों में सामान्य रूप से पाई जाती हैं।

सिक्किम: दुर्लभ वानस्पतिक वैविध्य

सिक्किम लगभग पूरी तरह से एक पहाड़ी राज्य है। अलग-अलग क्षेत्रों में ऊंचाई 280 मी से 8586 मी तक है। दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा सिक्किम में है। ऐसी परिस्थिति में इस इतनी विभिन्न प्रकार की ऊंचाई के कारण सिक्किम का अधिकांश भाग जंगलों से ढका है। इसकी उच्चावचन की विविधता के कारण सिक्किम का अधिकांश भाग जंगलों से ढका है। इसकी उच्चावचन की विविधता के कारण सिक्किम का अधिकांश भाग जंगलों से ढका है। यहां लगभग 15 सैप्रोफाइट एवं 840 इपीफाइट पाए जाते हैं। यहां 500 औषधीय पौधे भी पाए जाते हैं।

पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। इस प्रकार की विविधता विश्व के कुछ क्षेत्रों में ही पाई जाती है। इस प्रकार की जलवायु के कारण यहां पादप प्रजातियों में बहुत विभिन्नता पाई जाती है।

यहां फूल वाले पौधों की लगभग 5000 प्रजातियां, 515 प्रकार के आर्किड, 60 प्रिमुला प्रजातियां, 86 प्रकार के फलों की प्रजातियां 11 थोक प्रजातियां, 23 बांस किस्में, 16 शंकु वृक्ष प्रजातियां, 362 प्रकार के फर्न, 424 से अधिक औषधीय पौधों की प्रजातियां यहां पाई जाती हैं। पाइनसेरिया की प्रजाति जिसे स्थानीय स्तर पर क्रिसमस फूल कहते हैं यहां बहुतायत में पाया जाता है। आर्किड, अंजीर, लॉरेल, केले एवं साल के पेड़ एवं बांस सिक्किम के कम ऊंचाई वाले उपोष्ण कटिबंधीय जंगलों में पाए जाते हैं। ज्यादा ऊंचाई पर अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है।

सिक्किम में पाए जाने वाले जीवों में शामिल हैं: हिम तेन्दुए, कस्तूरी मृग, हिमालयी तहर, लाल पांडा, हिमालयी मरमेट, हिमालयी सीरो, शेरल, लंगूर, काले भालू मलिन तेन्दुआ, मरमर बिल्ली, तेन्दुआ बिल्ली, तिब्बती भेड़िया, हॉग बंजर इत्यादि। इसके अतिरिक्त यहां का एक प्रमुख जीव है याक। सिक्किम में पाए जाने वाले पक्षियों में तीतर की विभिन्न प्रजातियां, बदी वाले गिद्ध, तिब्बती रानचकर, गिफिन गिद्ध, शोल्डन ईंगल, बटर, कंठफोड़वा, सैन्डपाइपर, कबूतर, फ्लाई कैचर, बैबलर्स एवं रॉबिन्स शामिल हैं। सिक्किम में पक्षियों की 550 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। सिक्किम में एथ्नोपोइड्स (संघिपाद) की भी अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में तितलियों की 1438 प्रजातियां पाई जाती है जिनमें से 695 सिक्किम में पाई जाती हैं।

इतनी विपुल विविधता के संरक्षण के लिए सिक्किम में एक राष्ट्रीय पार्क एवं 7 बन्य जीव अभ्यारण्य हैं। इसके अतिरिक्त यहां 19 पवित्र वन क्षेत्र हैं। (देखें: www.sikkimforest.gov.in) इसके अतिरिक्त यहां कई संरक्षित क्षेत्र भी हैं— जैसे अरेलुंगचुक, योंगजोकड़ेफ इत्यादि।

असम: घाटियों व नदी द्वीप में जैव विरासत

असम को उसकी विविधता के आधार पर हम तीन मुख्य जैव विविधता क्षेत्रों में विभाजित कर सकते हैं— 1. ब्रह्मपुत्र घाटी, 2. माजुली, 3. बराक घाटी।

ब्रह्मपुत्र घाटी

ब्रह्मपुत्र घाटी मुख्यतः जलोढ़ मिट्टी से बना है। इसका अनुमानित क्षेत्रफल 56,33,900 वर्ग किमी है। इसका एक बड़ा हिस्सा प्रतिवर्ष किनारों के कटाव की भेंट चढ़ता है जिसका कारण वहां होने वाला वनोन्मूलन है। ब्रह्मपुत्र घाटी को हम पुनः चार हिस्सों में विभाजित कर सकते हैं: उत्तरी तलहटी, उत्तर दक्षिणी मैदान, बाढ़ से प्रभावित होने वाली जमीन एवं चार क्षेत्र (नदी का किनारा), तथा दक्षिणी तलहटी वैविध्यपूर्ण परिस्थिति दिखाते हैं जिनमें जैव विविधता एवं स्थानिक प्रजातियों की भरमार है।

यहां पाए जाने वाले पौधों में साल, बांस, आर्किड एवं फल वाले पेड़ प्रमुख हैं। नाहर, होलक, साइ, मेकइ, चम, बैन्सम, बकुल, टीक, सिलिखा, अगर जैसे हजारों पौधे यहां पाए जाते हैं जबकि नीचे के क्षेत्र में सवाना प्रकार की वनस्पति पाई जाती है।

बराक घाटी

असम के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित बराक घाटी भारत-बर्मा सक्रिय क्षेत्र का हिस्सा है जो जलोढ़ मैदान है और बराक नदी द्वारा सिंचित है। इसका क्षेत्रफल 6962 वर्ग किमी है। इसके बीच में अधिकतम 100 मी तक ऊंचे बहुत से टीले हैं जबकि बीच में बहुत से दलदल, बील एवं झीलें हैं, जो एक आर्द्ध क्षेत्र की पहचान है। यह मुख्यतः उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त अर्द्धसदाबहार, नम पर्णपाती वन, झाड़ियां भी पाई जाती हैं। इन वनों एवं वन क्षेत्रों में बाघ, हाथी, मलय टोपी काला लंगूर, हुलॉक, गिब्बन इत्यादि स्तनधारी पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त शूकर पूँछ बंदर, ठूँठ पूँछ बंदर, फिनफुट इत्यादि भी यहां मिलते हैं। साथ ही सरीसृप, उभयचर एवं पक्षियों की भी कई प्रजातियां मिलती हैं। इन सबके संरक्षण के लिए 14 संरक्षित वन एवं एक बन्य जीव अभ्यारण्य है।

तालिका 2: पूर्वोत्तर के कुछ प्रमुख जैव मंडलीय क्षेत्र

नाम	क्षेत्रफल [#]	स्थिति
नाकरेक*	820	पूर्व, पश्चिम एवं दक्षिण गारो पहाड़ियां (मेघालय)
मानस*	2837	कोकराजार, बोगाईगांव, बारपेटा, नलबारी कामरूप एवं दरांग (असम)
डिब्रू-साइकोआ	4374	डिब्रूगढ़ एवं तिनसुकिया जिले (असम)
देहांग-दिबांग	5115.5	अपर सियांग, पश्चिमी सियांग एवं दिबांग घाटी (अ. प्रदेश)
खगचोंगांग	2931.12	उत्तरी एवं पूर्वी जिले (सिक्किम)

(* वर्ग किलोमीटर में * इनको यूनेस्को के जैव मंडलीय क्षेत्रों की सूची में स्थान मिला है)

यहां की जन्तु विविधता भी बेहद महत्वपूर्ण है। यहां एक सींग वाले गैंडे (विश्व में उनकी कुल आबादी का 80 प्रतिशत से ज्यादा), बाघ, बैना शूकर (पिंगी डॉग, जो केवल इसी क्षेत्र में पाया जाता है), हिरणों की कई प्रजातियां जंगली भैंसे, सुनहरा लंगूर, हुलॉक गिब्बन जैसे स्तनधारी पाए जाते हैं। यहां पक्षियों की भी अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं जिसमें प्रवासी पक्षी भी शामिल हैं। यहां पाए जाने वाले पक्षियों में फ्लोरिकेन्स की प्रजातियां, सारस, बगुला, हेरॉन, कामरैन्ट एवं मछली खाने वाले ईंगल की प्रजातियां मिलती हैं। इनके अतिरिक्त, सरीसृप, उभयचर इत्यादि की प्रजातियां बहुतायत में हैं।

इन सबके संरक्षण के लिए इस क्षेत्र में 5 राष्ट्रीय पार्क एवं कई बन्य अभ्यारण्य हैं। राष्ट्रीय पार्कों में से 'दो' मानस तथा काजीरंगा को विश्व विरासत स्थलों में स्थान दिया गया है।

माजुली

माजुली एक समय विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप था जिसका क्षेत्रफल 1250 वर्ग किमी था लेकिन नदी के द्वारा लगातार कटाव के कारण इसका क्षेत्रफल 425 वर्ग किमी रह गया है। इसमें लगभग 155 छोटे एवं बड़े आर्द्ध क्षेत्र हैं। माजुली पक्षी प्रेमियों के लिए स्वर्ग है। यहां स्टार्क, पेलिकन, सारस, टील जैसे पक्षी पाए जाते हैं। यह स्थानिक मछलियों के लिए भी जाना जाता है। जैसे बडिस, चाका, ओम्योक पाबो, चन्नाबारका, तोर-तोर, चिताला इत्यादि। इसके अतिरिक्त यहां 15 औषधीय मछली भी पाई जाती हैं जिनका इस्तेमाल अलग-अलग जनजातियां करती हैं। यहां लगभग 100 प्रजाति के चावल की खेती होती है जिसमें किसी भी रासायनिक उर्वरक का उपयोग नहीं किया जाता। यहां लगभग 250 प्रजाति के पक्षी पाए जाते हैं। जैसे: सारस, धनेष, साइबेरियन क्रेन, कलहंस एवं बत्तक इत्यादि। यह द्वीप लगभग

प्रदूषक मुक्त है। विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए यूनेस्को में इसका नाम भेजा गया है। साथ ही कटाव से बचाने के लिए 250 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

मेघों के देश में फूलों का संसार

मेघालय अपनी पुष्प विविधता के लिए अपनी समृद्धि के लिए पूरी दुनिया में विख्यात है। आदिम पुष्पों की बड़ी संख्या पाए जाने के कारण इसे फूल वाले पौधों का पालना भी कहा जाता है। मेघालय में 9331 फूल वाले पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं जो भारत में पाए जाने वाले फूल वाले पौधों की प्रजातियों का 18% है। इनमें भी 1237 प्रजातियां स्थानिक हैं। कृषि वाले पौधों के जंगली रिश्तेदार खाद्य फल, पत्तेदार सब्जियां तथा आर्किड की व्यापक विविधता मेघालय में पाई जाती हैं।

मेघालय जैव विविधता बोर्ड के अनुसार मेघालय में कुल 436 दुर्लभ लुप्तप्राय तथा संकटग्रस्त पादप्रजातियां हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं— गैस्ट्रोचिलस कैलसियोलरिस, जिम्नोकैलडस असयिकस इलिसियम ग्रिफिथी, टेरोसाइबियम टिंकटोरियम, टेक्सस इत्यादि। यहां आर्किड की लगभग 352 प्रजातियां पाई जाती हैं जो 98 जेनेरा का प्रतिनिधित्व करती हैं। यह भारत की कुल आर्किड प्रजातियों का 27.08% है। आर्किड अपनी सुंदरता एवं औषधीय गुणों के कारण जाने जाते हैं। यहां बांस की भी 37 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। इसके 834 ऐसे पौधे हैं जिनका औषधीय उपयोग होता है।

यहां निम्नलिखित प्रकार की वनस्पति एवं वन पाए जाते हैं: उष्णकटिबंधीय सदाबहार, उष्ण कटिबंधीय अर्ध सदाबहार, उष्ण कटिबंधीय पाइन वन। इतनी ज्यादा पादप्रजातियां जंतुओं की भी कारक होती है। यहां कशरेकी की 958 एवं अक्षरेकी जंतुओं की 4580 प्रजातियां कुल 5538 प्रजातियां पाई जाती हैं। स्तनधारी प्रजातियों में बंदरों की 7 (सात) प्रजातियां पाई जाती हैं। दुनिया की तीन सबसे बड़ी बिल्लियां: बाघ, तेंदुआ तथा मलिन (मेघमय) तेंदुआ पाए जाते हैं। छोटी बिल्लियों में जंगली बिल्ली, सुनहरी बिल्ली, तेंदुआ बिल्ली तथा संगमरमरी बिल्ली पाए जाते हैं। भालुओं में

काला भालू, सूर्य भालू तथा स्लॉय भालू पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त लाल पांडा भी पाया जाता है। इन सबके अतिरिक्त सियार, जंगली श्वान, मार्टेन व्हीजल, बैजर, सिवर इत्यादि भी पाए जाते हैं। यहां पैंगोलिन की एक प्रजाति चीनी पैंगोलिन भी यहां पाया जाता है। यहां हाथियों की भी अच्छी संख्या है। मेघालय में पक्षियों की लगभग 659 प्रजातियां पाई जाती हैं जिनमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 34 प्रजातियां संकटग्रस्त हैं। यहां कछुओं की 12 प्रजातियां, 26 छिपकलियां एवं 56 प्रकार के सर्प पाए जाते हैं। उभयचरों की 33 प्रजातियां एवं मछलियों की 152 प्रजातियां पाई जाती हैं।

इन सभी के संरक्षण के लिए यहां 2 राष्ट्रीय पार्क, 4 वन्य जीव अभयारण्य एवं एक जीव संरक्षित क्षेत्र (नॉकरेक) है। इसके अतिरिक्त यहां 79 पवित्र वन भी हैं।

मेघालय अपनी पुष्प विविधता के लिए अपनी समृद्धि के लिए पूरी दुनिया में विख्यात है। आदिम पुष्पों की बड़ी संख्या पाए जाने के कारण इसे फूल वाले पौधों का पालना भी कहा जाता है। मेघालय में 9331 फूल वाले पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं जो भारत में पाए जाने वाले फूल वाले पौधों की प्रजातियों का 18% है। इनमें भी 1237 प्रजातियां स्थानिक हैं। कृषि वाले पौधों के जंगली रिश्तेदार खाद्य फल, पत्तेदार सब्जियां तथा आर्किड की व्यापक विविधता मेघालय में पाई जाती हैं।

पहाड़ी बनों से घिरा मणिपुर

मणिपुर का 67 प्रतिशत क्षेत्र पहाड़ी बनों से आच्छादित है जिसमें पादपों एवं जंतुओं की अद्भुत विविधता पाई जाती है। मणिपुर में आदिम फूल वाले पौधों की भी एक अच्छी संख्या है। 41 आदिम फूल वाले पौधे जो 11 परिवारों से हैं तथा 75 स्थानिक पौधे यहां पाए जाते हैं। यहां खाद्य पौधों के जंगली रिश्तेदारों की भी अच्छी संख्या है। यहां बांस की 53 प्रजातियां पाई जाती हैं। आर्किड की 249 प्रजातियां तथा औषधीय पौधों की 1200 प्रजातियां (एससी सिन्हा, 1996) यहां पाई जाती हैं। यहां पेड़ों की 151 प्रजातियां, बैंत की पांच तथा अन्य बहुत-सी पादप्रजातियां पाई जाती हैं यहां उष्ण कटिबंधीय अर्ध

सदाबहार वन, उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन, उपोष्ण कटिबंधीय चौड़े पत्तों वाले पहाड़ी वन, उपोष्ण पाइन वन, पर्वतीय नम शीतोष्ण वन पाए जाते हैं।

इसके साथ ही मणिपुर में आर्द्र भूमि भी पाई जाती है। इस कारण पादप्रजातियां यहां प्रचुरता के साथ उपलब्ध हैं। इतनी पादप्रजातियां के कारण जंतु विविधता भी यहां पाई जाती है। जैसे यहां तीन बड़ी बिल्लियां पाई जाती हैं— बाघ, तेंदुआ तथा मलिन तेंदुआ। यहां छोटी बिल्लियों की भी कई प्रजातियां पाई जाती हैं। साथ ही यहां बंदर परिवार के भी बहुत से जीव पाए जाते हैं। यहां उड़ने वाली छिपकली, नेवले, जंगली बिल्ली तथा जंगली कुत्ते, भालू गोरल, सांभर हेज हॉग, साही, पैंगोलिन, स्लोलोरेस जैसी प्रजातियां भी पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त सरीसूपों, उभयचरों तथा अक्षरेकी जंतुओं की भी अनेक प्रजातियां यहां मिलती हैं। इन सबके संरक्षण के लिए यहां एक राष्ट्रीय पार्क (किबुल लामजाओ) तथा चार वन्य जीव अभयारण्य हैं। इनके अतिरिक्त 166 पवित्र वन भी यहां हैं। मणिपुर की जैव-विविधता की चर्चा लोकतक झील की चर्चा के बिना पूर्ण नहीं हो सकती।

लोकतक झील

लोकतक झील उत्तर-पूर्वी (पूर्वोत्तर) भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह अपने फूमडिस (वनस्पति, मिट्टी एवं अपघटन के विभिन्न चरणों के कार्बनिक पदार्थों के मिलन से बना तैरता हुए पिंड) के लिए प्रसिद्ध है। किबुल लामजाओ, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। यह राष्ट्रीय पार्क संगाई या थामिन मृगों की आखिरी शरण स्थली रहा है। इस झील के चारों ओर 55 ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र हैं जिनकी कुल जनसंख्या 1,00,000 है।

लोकतक शब्द लोक अर्थः धारा तथा तक अर्थः अंत से बना है। इसका शाब्दिक अर्थ हुआ धाराओं का अंत। इस झील में कई धाराएं आकर मिलती हैं। यहां की पादप्रजातियां की बात करें तो यहां 233 प्रजातियों के जलीय पौधे पाए जाते हैं। साथ ही फूमडिस पर बहुत से पौधों एवं पेड़ों की प्रजातियां भी पाई जाती हैं। यहां जलपक्षी की 57 प्रजाति, आर्द्र भूमि से संबंधित पक्षियों की 14 प्रजातियां और 28 प्रवासी जल पक्षी पाए गए हैं। यहां पर 425 जंतु प्रजातियां भी पाई गई हैं। 249 कशरेकी तथा

176 अक्षेत्रों की। इसमें भारतीय अजगर, साम्भर तथा बार्किंग हिरण प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त बंदरों की कई प्रजातियां, सिवेट सुनहरी बिल्ली तथा अन्य प्रजातियां भी पाई जाती हैं। यह क्षेत्र संगाई हिरणों के लिए विश्व प्रसिद्ध है जिनका संरक्षण कार्यक्रम देश के कुछ एक सबसे पहले संरक्षण कार्यक्रमों में से है। यह काफी सफल रहा है। इसके लिए मुख्य चुनौती लोकतक झील जल विद्युत परियोजना है।

दुर्लभ पंछियों का प्रदेश: मिजोरम

मिजोरम की वर्तमान जनसंख्या 97.95 प्रतिशत आदिवासी मूल की है। मिजोरम में अत्यधिक साक्षर कृषि अर्थव्यवस्था है लेकिन यह मूलतः झूम खेती आधारित रही है। भारत के 2011 के वन सर्वेक्षण के अनुसार मिजोरम के कुल 90.68 प्रतिशत भूभाग वन आच्छादित हैं। यहां पाए जाने वाली वनस्पतियों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार, उष्णकटिबंधीय नम, उपोष्ण कटिबंधीय चौड़े पत्ते वाले पहाड़ी तथा उपोष्णकटिबंधीय पाइन हैं। यहां के लगभग 44 प्रतिशत भूभाग पर बांस पाए जाते हैं। मिजोरम बहुत से पादप एवं जंतु प्रजातियों की शरणस्थली है। पादप प्रजातियों में फर्न, आर्किंड पान, ब्रायोफाइट्स एवं लाइकेन सामान्य तौर पर मिलती है। यहां मूसा की प्रजातियां भी मिलती हैं।

इसके अतिरिक्त पाइनस केसिया, एक्टिनो-डेफनी माइक्रोस्टेरा, बेतूला अलनॉयडस, इलोकारपर सेराट्स, डिलेनिया पेन्टाग्मा इत्यादि हैं। यह भी जंतु विविधता में भी काफी समृद्ध है। यहां पक्षियों की 640 प्रजातियां पाई जाती हैं जिनमें से बहुत-सी इस क्षेत्र के लिए स्थानिक हैं। इनमें से 27 वैश्विक स्तर पर संकटग्रस्त तथा 8 गंभीर रूप से लुप्तप्राय हैं। यहां बाघ, तेंदुआ, तेंदुआ बिल्ली, स्लोलोरिस, लाल सेरोअ, गोरल, काला भालू, दूठ पूँछ बंदर, हूलॉक गिब्बन, सामान्य लंगूर भी पाए जाते हैं। साथ ही यहां सरीसूपों, उभयचरों, मछलियों तथा अक्षेत्रों की प्राणियों की भी बहुत सी प्रजातियां पाई जाती हैं। यहां 2 राष्ट्रीय पार्क, 6 वन्यजीव अभयारण्य तथा 1 बाघ संरक्षित क्षेत्र हैं। इसके अतिरिक्त यहां लगभग हर गांव का अपना पवित्र वन है जिसे गावपुर्झ कहते हैं।

अनूठी वनस्पतियों से भरपूर नागालैंड

नागालैंड जैव विविधता में बेहद समृद्ध है। आज भी वहां कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनके

विशाल वृक्षों के कारण सूर्य की किरणें धरती तक नहीं पहुंच पाती हैं। भौगोलिक क्षेत्रफल कम होने के बाद भी यहां विभिन्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं जिनको हम निम्नलिखित प्रकारों में विभाजित कर सकते हैं—उष्ण कटिबंधीय नम सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय अर्द्ध सदाबहार वन, चौड़े पत्ते वाले वन, पाइन वन, नम शीतोष्ण वन तथा समशीतोष्ण वन।

यहां अजहर, आम, टीक, एल्डर, बोला, मेलू, बेतूल, धूना जैसी अनेक प्रजातियां भी पाई जाती हैं। साथ ही दुनिया में सबसे ऊंचे वृक्षों में से एक रोडोडेन्ड्रन की प्रजाति भी आफू पहाड़ पर पाई जाती है। यहां औषधीय पौधों की 266 प्रजातियां हैं। त्रिपुरा की पादप विविधता इन्डेक्स 5.23 हैं जो भारत में उच्चतम हैं। जंतु प्रजातियों में त्रिपुरा में भूमि-जंतुओं की 90 प्रजातियां पाई जाती हैं जिनमें से 21 संकटग्रस्त हैं। यहां पक्षियों की 341 प्रजातियां पाई जाती हैं जिनमें 58 प्रवासी हैं। यहां जलीय पौधों एवं जीवों की 289 प्रजातियां हैं जिनमें 78 मछली प्रजातियां हैं। प्राइमेट पाए जाते हैं

तालिका 3: प्रमुख संरक्षित क्षेत्र और संबद्ध प्रजातियां

संरक्षित क्षेत्र	राज्य	प्रमुख प्रजातियां
डंपा बाघ आरक्षित क्षेत्र	मिजोरम	बाघ, इत्यादि
मानस बाघ आरक्षित क्षेत्र*	असम	बाघ, पिग्मी डॉग, गैंडा, हाथी
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान*	असम	गैंडा, बाघ, हाथी इत्यादि
काइबुल लमजाओ अभयारण्य	मणिपुर	संगाम हिरण (लोकतक)
फाकिम अभयारण्य	नागालैंड	बाघ, घड़ियाल हाथी
इतांकी राष्ट्रीय उद्यान	नागालैंड	स्तनपायी
मुलैन राष्ट्रीय उद्यान	मिजोरम	स्तनपायी
नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान	अ. प्रदेश	स्तनपायी
नामेरी राष्ट्रीय उद्यान	असम	स्तनपायी
फांगपुर्झ ब्लू माउनटेन	मिजोरम	स्तनपायी एवं पक्षी
कर्बी राष्ट्रीय उद्यान	नागालैंड	हाथी
पटमजानायडू हिमालयी जंतु उद्यान	अ. प्रदेश	लाल पांडा
गुमरी वन्य जीव अभयारण्य	त्रिपुरा	हाथी, सरीसूप
हुलांगपार गिब्बन अभयारण्य	असम	हुलांग गिब्बन
सेशा आर्किंड उद्यान	अ. प्रदेश	आर्किंड

*विश्व विरासत सूची में शामिल

इत्यादि मिलते हैं। यहां सरीसूपों की कई प्रजातियां भी पाई जाती हैं जैसे— मॉनिटर छिपकली, अजगर, कौत, किंग कोबरा, बाइपर इत्यादि। यहां पक्षियों की असंख्य प्रजातियां भी मिलती हैं। इनके संरक्षण के लिए यहां एक राष्ट्रीय पार्क तथा तीन वन्य जीव अभयारण्य हैं। इनके अतिरिक्त यहां पवित्र वन भी हैं।

त्रिपुरा: भारत में सर्वोच्च पादप विविधता

त्रिपुरा का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का केवल 0.32 प्रतिशत है लेकिन यहां भारत का कुल पादप प्रजातियों का 12.78 प्रतिशत पाया जाता है। यहां पौधों की 1545 प्रजातियां

पाई जाती हैं जो 28 परिवारों के हैं, 379 प्रकार के पेड़, 320 झाड़ियां, 581 जड़ीबूटी, 165 क्लाइम्बर, 34 फर्न, 45 इपीफाइट, 4 परजीवी, 16 क्लाइम्बर झाड़ियां पाई जाती हैं जिनमें 18 दुर्लभ, 7 स्थानिक प्रजातियां भी शामिल हैं। यहां आर्किंड की 24 प्रजातियां तथा औषधीय पौधों की 266 प्रजातियां हैं। त्रिपुरा की पादप विविधता इन्डेक्स 5.23 हैं जो भारत में उच्चतम हैं। जंतु प्रजातियों में त्रिपुरा में भूमि-जंतुओं की 90 प्रजातियां पाई जाती हैं जिनमें से 21 संकटग्रस्त हैं। यहां पक्षियों की 341 प्रजातियां पाई जाती हैं जिनमें 58 प्रवासी हैं। यहां जलीय पौधों एवं जीवों की 289 प्रजातियां हैं जिनमें 78 मछली प्रजातियां हैं। प्राइमेट पाए जाते हैं

पाई जाती हैं जो 28 परिवारों के हैं, 379 प्रकार के पेड़, 320 झाड़ियां, 581 जड़ीबूटी, 165 क्लाइम्बर, 34 फर्न, 45 इपीफाइट, 4 परजीवी, 16 क्लाइम्बर झाड़ियां पाई जाती हैं जिनमें 18 दुर्लभ, 7 स्थानिक प्रजातियां भी शामिल हैं। यहां आर्किंड की 24 प्रजातियां तथा औषधीय पौधों की 266 प्रजातियां हैं। त्रिपुरा की पादप विविधता इन्डेक्स 5.23 हैं जो भारत में उच्चतम हैं। जंतु प्रजातियों में त्रिपुरा में भूमि-जंतुओं की 90 प्रजातियां पाई जाती हैं जिनमें से 21 संकटग्रस्त हैं। यहां पक्षियों की 341 प्रजातियां पाई जाती हैं जिनमें 58 प्रवासी हैं। यहां जलीय पौधों एवं जीवों की 289 प्रजातियां हैं जिनमें 78 मछली प्रजातियां हैं। प्राइमेट पाए जाते हैं

जिनमें दुर्लभ चश्मश बंदर भी शामिल हैं। यहां 4 वन्य जीव अभयारण्य स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 30 जैविक हॉट-स्पॉट स्थापित करने की अनुशंसा की गई है। □

संदर्भ

- www.pib.nic.in
- tripurabiadiversityboard.in
- mizoram.gov.in
- nagaforest.nic.in
- sikkim.gov.in
- ENVIS Councils.
- पर्यावरण अध्ययन-इराक भरुचा
- असम टूरिज्म हैंडबुक
- वार्षिक रपट-2014-15, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार
- moef.nic.in

पूर्वोत्तर भारतः विश्व पर्यटन का स्वर्ग

सौरभ कुमार दीक्षित



उत्तर-पूर्व भारत के लिए प्रकृति का वरदान है और यह विश्व के सर्वाधिक समृद्ध जैव-भौगोलिक क्षेत्रों में से एक है। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में पर्यटन आय और रोजगार के अवसर पैदा करने का एक बहुत बड़ा साधन है क्योंकि यह क्षेत्र न केवल वनस्पति और जीव जगत के मामले में अब्बल है बल्कि यहाँ जैव-विविधता भी भरपूर है।

इस क्षेत्र में विभिन्न आर्थिक संसाधनों का खजाना है। समृद्ध सांस्कृतिक और जातीय विरासत के कारण पूर्वोत्तर पर्यटकों के लिए हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। इस क्षेत्र के राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य विश्व भर के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इसके अतिरिक्त चाय पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन और गोल्फ पर्यटन भी पूर्वोत्तर में पर्यटन के आकर्षक रूपों में से कुछ हैं

भा

तीय और भाषाई विभाजनों सहित विभिन्न कारकों ने पूर्वोत्तर में आठ राज्यों- असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम का गठन किया। कई मायनों में पूर्वोत्तर देश के अन्य भागों से अलग है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां एक सौ जनजातियां अलग बोलियां और भाषाएं बोलती हैं। अकेले अरुणाचल प्रदेश में 50 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। यहां रहने वाली जनजातियां म्यामार, थाईलैंड और लाओस के निवासियों के बहुत कुछ समान हैं। पूर्वोत्तर की भौगोलिक सेटिंग, टोपोग्राफी, विभिन्न वनस्पतियां और जीव एवं पक्षी जगत, दुर्लभ ऑर्किड और तितलियां, मठ, नदियां, प्राचीन परंपराएं और जीवन शैली का इतिहास, त्योहार और शिल्प, इसे अद्भुत पर्यटन गंतव्य बनाते हैं।

पर्यटकों की बढ़ती संख्या

पर्यटन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों में विदेशी पर्यटकों का आगमन वर्ष 2011 से बढ़ा है और वर्ष 2013 की विकास दर वर्ष 2012 से लगभग दुगुनी रही है। वर्ष 2012 में विदेशी पर्यटन यात्राओं (एफटीवी) में वर्ष 2011 के मुकाबले जबरदस्त उछाल आया। आंकड़े कहते हैं कि वर्ष 2013 में यह दर वर्ष 2012 के मुकाबले सौ प्रतिशत बढ़कर 27.9 प्रतिशत हो गई। वर्ष 2011 में विदेशी पर्यटक यात्राओं की संख्या 58,920 थी जोकि वर्ष 2012 में 66,302 हो गई। इसके बाद वर्ष 2013 और 2014 में यह संख्या क्रमशः 84,820 और 1,18,552 पर पहुंच गई। असम में वर्ष 2011 में 16,400

और वर्ष 2012 में 17,543 एफटीवी दर्ज की गई। अगले वर्ष यानी वर्ष 2013 में यह आंकड़ा 17,638 पर पहुंच गया। आंकड़ों के मुताबिक सिक्कम में वर्ष 2012 में 26,489 के मुकाबले वर्ष 2013 में 31,698 एफटीवी पंजीकृत हुई। दो साल पहले यानी 2011 में इस राज्य में विदेशी पर्यटक यात्राओं की संख्या 23,602 थी।

भौगोलिक स्थिति, प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों और पूर्व के साथ निकटता के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र देश के लिए विकास का नया वाहक बन सकता है। इस क्षेत्र (एनईआर) में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता है जिसका समुचित दोहन अब तक नहीं किया गया है। साथ ही यह क्षेत्र देश की एक ईस्ट पॉलिसी के लिए पूर्वी प्रवेश द्वारा माना जाता है। क्षेत्र में सीमा पारीय व्यापारिक पहल का लाभ उठाने के लिए पर्यटन उद्योग को पड़ोसी देशों के साथ सहयोग प्राप्त करने की आवश्यकता है। यह क्षेत्र उत्तर में चीन, पूर्व में म्यामार, दक्षिण पश्चिम में बांग्लादेश और उत्तर पश्चिम में भूटान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमाएं साझा करता है। यद्यपि भारत के बाकी क्षेत्रों के साथ इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी उत्तीर्ण अच्छी नहीं, फिर भी यहाँ की 4,500 किलोमीटर से अधिक लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा का लाभ हम उठा सकते हैं और इस क्षेत्र की कायापलट कर सकते हैं।

यह आलेख पूर्वोत्तर भारत की पर्यटन क्षमता को उजागर करने का प्रयास करता है जहां आर्थिक विकास की उज्ज्वल संभावनाएं हैं। इस क्षेत्र की व्यापक क्षमता को समझने के लिए इस क्षेत्र में पर्यटन को मूल रूप से निम्नलिखित हिस्सों में बांटा जा सकता है:

लेखक शिलांग की नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर और पर्यटन विभाग एवं होटल प्रबंधन के प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुण गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल, बुदेलखंड विश्वविद्यालय, झांसी में भी अध्यापन का कार्य किया है। उन्होंने आतिथ्य और पर्यटन के विभिन्न आयामों पर पुस्तकें और पेपर भी लिखे हैं। ईमेल: saurabh5sk@yahoo.com, saurabh.dixit@nehu.ac.in, वेबसाइट: www.nehu.ac.in

खूबसूरत हिल स्टेशन

पूर्वोत्तर भारत में देश के कई प्रमुख हिल स्टेशन हैं। ये हिल स्टेशन अपनी संस्कृति और व्यंजनों के कारण अनूठे हैं जोकि एक दूसरे से भी काफी भिन्न हैं। गैंगटोक सिक्किम की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है जहां अनेक मठ हैं। यह पूर्वी सिक्किम जिले का मुख्यालय है। गैंगटोक पूर्वोत्तर भारत के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। ईटानगर 20 अप्रैल, 1974 से अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। यह शहर हिमालय की तलहटी में स्थित है और ऐसे पर्यटकों के लिए मुफीद है जोकि अनछुए प्राकृतिक स्थलों की तलाश करते हैं।



एक सुरम्य स्थल: चेरापुंजी

तवांग शहर अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमोत्तर भाग में लगभग 3,048 मीटर (10,000 फीट) की ऊंचाई पर स्थित है। तवांग की लगभग 2,085 वर्ग किलोमीटर सीमा उत्तर-पूर्व में तिक्कत और दक्षिण पश्चिम में भूटान से लगती है और सेला श्रृंखला पूर्वी भारत में पश्चिम कामेंग जिले को अलग करती है। मेघालय की राजधानी शिलांग विश्व के सबसे नम स्थान मौसिनराम से सिर्फ 55 किलोमीटर दूर है। स्कॉटिश हाइलैंड्स के समान होने के कारण इसे पूरब का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। यहां पर्यटकों के आकर्षण के अन्य सुंदर और ऐतिहासिक केंद्र हैं: डॉन बोस्को संग्रहालय, तितली संग्रहालय, बॉटनिकल गार्डन, शिलांग पीक, उमियम झील और वार्ड लेक।

वनस्पति और जीव जगत

भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र भारत, भारत-मलय और भारत-चीनी जैव भौगोलिक क्षेत्रों के बीच संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है और भारत की वनस्पतियों और जीव जगत के लिए भौगोलिक प्रवेश द्वारा है। इसीलिए यह क्षेत्र जैविक रूप से महत्वपूर्ण है, क्षेत्रीय विशेषताओं में उच्च है और अनेक दुर्लभ एवं संकटग्रस्त प्रजातियों का निवास स्थल है। पूर्वोत्तर भारत में उष्णकटिबंधीय वन हैं, विशेष रूप से दुर्लभ प्रजातियों से प्रचुर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। क्षेत्र की निम्न भूमि में उष्णकटिबंधीय अर्ध

सदाबहार और नम पर्णपाती वन उपमहाद्वीप के दक्षिण और पश्चिम तक और दक्षिण चीन एवं दक्षिण पूर्वी एशिया तक फैले हैं। क्षेत्र की समृद्ध प्राकृतिक सुंदरता, शांति और दुर्लभ वनस्पतियां और जीव-जंतु क्षेत्र में पारिस्थितिकी पर्यटन के विकास के लिए अमूल्य हैं। 13 प्रमुख राष्ट्रीय पार्क और 30 वन्यजीव अभयारण्य पूर्वोत्तर भारत का खजाना और विरासत कहे जा सकते हैं। कंचनजंगंगा बायोस्फीयर रिजर्व (सिक्किम), नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान (अरुणाचल प्रदेश), काजीरंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यान (असम), केइबुल लामजाओ नेशनल पार्क (मणिपुर), मुलैंन राष्ट्रीय उद्यान (मिजोरम), नागालैंड राष्ट्रीय उद्यान (नागालैंड) और नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान (मेघालय) आदि पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र हैं। राज्य सरकारें स्थानीय लोगों को जैविक खेती और जैविक उत्पादों के लाभों के संबंध में शिक्षित कर रही हैं और वे लोग जैविक खेती और क्षेत्र में ग्रामीण एवं जातीय पर्यटन की वृद्धि में यथेष्ट योगदान दे रहे हैं।

सांस्कृतिक आकर्षण

पूर्वोत्तर क्षेत्र अपनी अलग संस्कृति और पारंपरिक जीवन शैली के लिए भी प्रसिद्ध है। यहां हिंदू, ईसाई, मुस्लिम और बौद्ध धर्म के अनुयायियों का अनूठा संगम है जोकि एक मिश्रित सांस्कृतिक वरदान साबित हुआ है। बौद्ध संस्कृति का क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है और अन्य धर्मों की तुलना में इसके अनुयायी बड़ी संख्या में हैं। इन राज्यों के हर आदिवासी समूह की अपनी विशिष्ट संस्कृति, लोक नृत्य, मेले, त्योहार, भोजन और शिल्प हैं। मेले और त्योहार, पारंपरिक नृत्य और लोक संगीत जनजातीय

नागालैंड का हॉर्नबिल और सेकरेनयी, अरुणाचल प्रदेश का तोर्ग्या मठ महोत्सव, मेघालय का मोनोलिथ और बेहदिनख्लाम महोत्सव, मणिपुर का चाचपाचार कत, मणिपुर का निनगोल चाकौबा और त्रिपुरा का करची पूजा प्रमुख हैं।

हॉर्नबिल राष्ट्रीय रॉक प्रतियोगिता जैसे संगीत और नृत्य के समारोह तथा लोक संगीत एवं आदिवासी नृत्य समारोह क्षेत्र के अनेक राज्यों में आयोजित किए जाते हैं। पूर्वोत्तर भारत की जनजातियां बांस के बने वाद्यों जैसे तमक ड्रम, बांसुरी, खंभ और लम्बंग बजाती हैं। डॉन बोस्को स्वदेशी संस्कृति केंद्र (शिलांग), कामाल्या मंदिर (गुवाहाटी), त्रिपुरा सुंदरी मंदिर (दक्षिण त्रिपुरा जिला), सिक्किम के मठ, भगवान कृष्ण मंदिर (इंफाल), कैथोलिक कैथेड्रल (कोहिमा) क्षेत्र के प्रमुख सांस्कृतिक आकर्षण हैं।



शिलांग के डॉन बोस्को स्वदेशी संस्कृति केंद्र में प्रदर्शित भूटान की सांस्कृतिक वस्तुएं

व्यंजन

पूर्वोत्तर के व्यंजन क्षेत्र की संस्कृति और जीवन शैली को प्रतिबिंबित करते हैं। यहां की खाद्य संस्कृति देश के बाकी हिस्सों से अलग है क्योंकि यह जनजातीय लोगों की पारंपरिक खानपान की आदतों से समृद्ध है। यहां के व्यंजनों में तेल या मसालों का प्रयोग नहीं किया जाता फिर भी ये अत्यंत स्वादिष्ट होते हैं। स्थानीय खुशबूदार हब्स उन्हें और लज्जीज बनाती हैं। इस क्षेत्र के व्यंजन हल्के, बनाने में आसान और सादे होते हैं और यही इनकी पहचान है। असमिया, मणिपुरी, त्रिपुरी, नाग, अरुणाचली, सिक्किमी, मिजो और मेघालयी- पूर्वोत्तर के खाद्य पदार्थों की व्यापक श्रेणियां हैं। राज्यों के मुख्य खाद्य पदार्थों में चावल के अतिरिक्त सूखी मछली, मसालेदार मांस, स्थानीय हब्स और ढेर सारी हरी सब्जियां शुमार हैं। चिकन, मटन, बतख, कबूतर, कुत्ते कुछ अन्य लोकप्रिय और मांसाहारी व्यंजन हैं, साथ ही चावल की बीयर भी खुब पसंद की जाती है। पूर्वोत्तर के अनूठे खाद्य पदार्थों में जादोह, मोमो, की कपू, आकोल गा या बाय, सौचार, थुप्का तुंग रेमबाय और अचारी बैंबू शूट मुख्य हैं।



ग्रामीणों द्वारा उत्पादित स्थानीय फसलें

पूर्वोत्तर में पर्यटन विकास के लिए केंद्र सरकार की पहल

भारत सरकार पूर्वोत्तर को दुनिया के पर्यटन मानचित्र पर लाने के लिए अनेक प्रयास कर रही है। देश में पर्यटन के बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए पर्यटन मंत्रालय ने वर्ष 2014-15 में दो योजनाओं को प्रस्तावित किया: विशिष्ट विषयों पर सर्किटों के एकीकृत विकास के लिए स्वदेश दर्शन और तीर्थयात्राओं के कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन पर राष्ट्रीय मिशन के लिए प्रसाद। ग्रांथमें स्वदेश दर्शन के लिए तटीय सर्किट, बौद्ध सर्किट, पूर्वोत्तर भारत सर्किट, हिमालयन सर्किट और कृष्ण सर्किट निर्धारित किए गए। योजना के तहत हाल ही में सात अन्य सर्किट तय किए गए हैं: डेजर्ट सर्किट, आध्यात्मिक सर्किट, रामायण सर्किट, आदिवासी सर्किट, पारिस्थितिकी सर्किट, बन्य जीवन सर्किट और ग्रामीण सर्किट। प्रसाद योजना के तहत 12 शहरों को चिह्नित किया गया है। प्रसाद राष्ट्रीय मिशन में असम का कामाख्या शामिल है। पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के योजना आवंटन का 10 प्रतिशत हिस्सा पूर्वोत्तर राज्यों के लिए निर्धारित है। पिछले तीन वर्षों में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए आवंटित राशि और किए गए व्यय का ब्लॉग तालिका 1 में प्रस्तुत है।

तालिका 1: भारत के योजना आवंटन पर्वोत्तर के लिए आरक्षित अंश

वर्ष	2012-13	2013-14	2014-15
योजना आवंटन	1050	950	980
पूर्वोत्तर के लिए निर्धारित 10 प्रतिशत	105	95	98
जारी की गई राशि	145.93	113.72	149.16*
प्रतिशत :	13.89	11.97	15.22*

* अन्तिम

स्रोतः पञ्च सचिना कार्यालय पर्यटन संचालय भारत सरकार

इस प्रकार, पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन के विकास की क्षमता व्यापक है जोकि न केवल देश की सुदीर्घ आर्थिक इकाई के रूप में स्थापित की जा सकती है बल्कि यह देश के विकास में भी भरपूर योगदान दे सकती है। इस क्षेत्र पर प्रधानमंत्री के ध्यानाकरण से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है। हालांकि इस क्षेत्र में अब तक बुनियादी सुविधाओं तथा उचित मार्केटिंग एवं ब्रांडिंग की कमी है। यात्रा परमिट से संबंधित प्रक्रियाओं का अभाव है। कुशल श्रमशक्ति नहीं है और क्षेत्र में व्यापक पर्यटन नीति का भी अभाव है। इसीलिए क्षेत्र की पूरी क्षमता का दोहन नहीं किया जा सका है।

—(सभी फोटोग्राफ़: प्रस के हीक्षित)

61 ज्ये जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

म हिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 11 राज्यों के 61 नये जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का विस्तार किया है। इनमें 4 जिले गुजरात में, 8 हरियाणा में, 2 हिमाचल में, 10 जम्मू-कश्मीर में, 2 मध्य प्रदेश में, 6 महाराष्ट्र में, 2 दिल्ली में, 10 पंजाब में, 4 राजस्थान में, 11 उत्तर प्रदेश में और 3 उत्तराखण्ड में हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के संयुक्त प्रयास के अंतर्गत 22 जनवरी, 2015 को हरियाणा के पानीपत में आरंभ की गई थी। इसके बारे में जागरूकता तथा समर्थन हासिल करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का क्रियान्वयन हेतु पहले चरण में कम सीएसआर वाले 100 जिले चुने गए थे।



सामाज्य अध्ययन

यशवंत सिंह एवं विशेषज्ञ टीम



RAJENDER PENDA
RANK: 345

SHASHIKANT SHAH
RANK - 784

MA GHANSHYAM MEENA
PANKI 520

DEVI LAL
RANK - 622

NAGESH PANDEY
RANK 500



दर्शनशास्त्र
में हिन्दी माध्यम में
सर्वोच्च अंक

मेरी सफलता में दर्शनशाला का महती बोगदान है और दर्शनशाला जैसे यूट विप्रम का सहभता और सरलता के साथ अवध्ययन 'निम्नलिखित' में 'प्रश्नातं स्वर' के साथ इस मार्गदर्शन में ही सम्पन्न हो पाया। इसके अतिरिक्त भाषान्य अवध्ययन, निवाच एवं साक्षात्कार की तैयारी में भी प्रश्नातं स्वर का मार्गदर्शन काम पर साहित हुआ है।

अंक-३१

अरविन्द जैन

 Arvind K. Jain
AIB - 580

निश्चय I.A.S. Academy एक छात्रों के प्रति समर्पित संस्था है जहाँ 30-40 विद्यार्थी ही अध्ययन करते हैं उनमें से प्रत्येक वर्ष 8-10 विद्यार्थी सफल होते। जो सफलता के प्रतिशतता की दृष्टि से सबसे ऊच्च है। यह एक चमत्कार नहीं है बल्कि प्रत्येक विद्यार्थी के पीछे की गयी मेहनत को दर्शाता है।

- ◆ सापाहिक ही नहीं, बल्कि प्रतिदिन **written test** पर बल
 - ◆ त्रुटियों में सुधार (व्यक्तिगत तौर पर)
 - ◆ प्रत्येक प्रश्न की फ्रेमिंग पर बल

- क्या आप अपने तैयारी से संतुष्ट हैं? क्या आप जिस संस्थान में पढ़ रहे हैं। वहाँ की गुणवत्ता से संतुष्ट हैं ? तथा

- **UPSC** के प्रश्नों को हल करने में सक्षम हैं?

- क्या आप को लगता है कि आप के साथ न्याय हो रहा हैं?

- यदि नहीं तो एक बार सोच लो कि सफल होना है या असफल निश्चय संस्थान इस दिशा में प्रयत्नशील है। इसलिए इस साल निवंध के साथ-साथ सामान्य अध्ययन के अनेक प्रश्न क्लास नोट्स से आये हैं।

UPPCS में चयनित 2nd Rank निश्चय संस्थान से

दर्थनिशास्त्र द्वारा यशवंत सिंह

102, 103, 1st Floor, Jaina House, Mukherjee Nagar, Delhi-9

011-47074196, 9990158578

YH-331/2015

जैविक कृषि का अगुआ बनता पूर्वोत्तर

भूवन भास्कर



स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति बढ़ती जागरूकता के साथ ही दुनिया भर में ऑर्गेनिक खाद्य उत्पादों का बाजार भी तेजी से बढ़ रहा है। वर्ष 2012

में दुनिया भर में ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स की मांग 64 अरब डॉलर की थी। ऑर्गेनिक कृषि आंदोलन के अंतर्राष्ट्रीय महासंघ (आईएफओएएम) की हालिया सालाना रिपोर्ट (2014)

के मुताबिक जहां साल 2000 में केवल 86 देशों में ऑर्गेनिक खेती हो रही थी, वहीं 2014 के दौरान यह 170 देशों में शुरू हो चुकी है और करीब 20 लाख किसान इससे जुड़ चुके हैं। इसी तरह 2014 के दौरान दुनिया भर में करीब 7.8 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर ऑर्गेनिक खेती की जा रही थी, जबकि 2006 तक दुनिया भर में केवल 6.3 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर ऑर्गेनिक खेती हो रही थी। ये आंकड़े इस क्षेत्र में मौजूद संभावनाओं का भी अंदाजा देते हैं क्योंकि अब भी ऑर्गेनिक खेती के तहत आनी वाली दुनिया की जमीन खेती योग्य कुल जमीन का महज 2 फीसदी है।

आ

म तौर पर सेवन सिस्टर्स के नाम से मशहूर देश के सातों पूर्वोत्तर राज्यों को खूबसूरत नजारों और पर्यटन के लिए ही याद किया जाता है लेकिन 18 फरवरी को जब प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के सीहोर में किसानों के सामने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की औपचारिक शुरूआत की तो उन्होंने पूर्वोत्तर राज्यों का जिक्र एक खास संदर्भ में किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में सिक्किम, मिजोरम और नगालैंड जैसे राज्यों के साथ पूरा पूर्वोत्तर जैविक खेती की वैशिक राजधानी बनने की राह पर है। यह बयान हो सकता है देश की बहुसंख्य जनता के लिए एक सुखद आश्चर्य का कारण बना हो लेकिन कृषि क्षेत्र पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों के लिए प्रधानमंत्री का यह बयान एक समृद्ध पृष्ठभूमि है।

ऑर्गेनिक खेती: राष्ट्रीय परिदृश्य

भारत में ऑर्गेनिक खेती का प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, हालांकि विशेषज्ञों में इसके विस्तार को लेकर काफी शंकाएं हैं। कई लोगों का मानना है कि भारत जैसे तेजी से बढ़ती जनसंख्या वाले देश के लिए मुख्य प्रश्न हर पेट को पर्याप्त मात्रा में भोजन मुहैया करा पाना है और इस लिहाज से ऑर्गेनिक खेती इस प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता। ऑर्गेनिक खेती से प्राप्त खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में कहीं कोई बहस नहीं है लेकिन इसकी उत्पादकता यानी प्रति हेक्टेयर उपज को लेकर मुश्किलें जरूर हैं। आईएफओएएम की सालाना रिपोर्ट 2014 के मुताबिक भारत में वर्ष 2013-14 तक 52 लाख हेक्टेयर जमीन ऐसी थी, जहां

कम से कम तीन साल से किसी भी तरह के रासायनिक खाद्य या कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं हुआ। इनमें करीब 15 प्रतिशत जमीन खेत हैं, जबकि बाकी जंगल के ऐसे क्षेत्र हैं जहां से वनोपज का संग्रह किया जाता है। किसानों की संख्या के मामले में 6.5 लाख के साथ भारत दुनिया में पहले नंबर पर है लेकिन यह मुख्य रूप से जोतों के छोटे आकार के कारण है न कि मूल्य या मात्रा के रिकॉर्ड के लिहाज से।

सिक्किम: एक उत्कृष्ट उदाहरण

दरअसल 18 जनवरी को प्रधानमंत्री ने सिक्किम की राजधानी गंगटोक में राज्य के 100 प्रतिशत ऑर्गेनिक राज्य बनने की घोषणा की। यह पहला मौका था जब देश के किसी एक पूरे राज्य ने रासायनिक खाद्यों और कीटनाशकों के इस्तेमाल को पूरी तरह छोड़कर ऑर्गेनिक तरीकों से खेती करने की आधिकारिक घोषणा की। सिक्किम के अलावा दूसरे पूर्वोत्तर राज्य भी इस लक्ष्य को पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए उन्हें केंद्र से भी भरपूर सहायता मिल रही है। केंद्र ने जहां 2014-15 के आम बजट में पूर्वोत्तर में जैविक खेती के लिए 100 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया था, वहीं 2015-16 में इसे 30 प्रतिशत बढ़ाकर 130 करोड़ रुपये कर दिया गया। वैसे तो खेती के क्षेत्र में पूर्वोत्तर को कभी भी उल्लेखनीय स्थिति में नहीं माना गया क्योंकि देश के खाद्य उत्पादन में इसका योगदान बमुश्किल 1.5 प्रतिशत है और इसे स्वयं अपने इस्तेमाल के खाद्य पदार्थों का भी दूसरे राज्यों से आयात करना पड़ता है। पूरे देश में जहां

लेखक अर्थिक विषय के पत्रकार हैं और सीएनबीसी आवाज़, जी बिजनेस, इकानौमिक टाइम्स के साथ काम कर चुके हैं। संप्रति कमोडिटी एक्सचेंज एनसीडीईएक्स के साथ कार्यरत हैं और शेयर बाजार, भारतीय अर्थव्यवस्था, कृषि और एग्री कमोडिटी से जुड़े विषयों पर लिखते रहते हैं। ईमेल: bhaskarbhawan@gmail.com

सिक्किम की सफलता के राज

खेती के लिहाज से सिक्किम की तुलना देश के बाकी राज्यों, खासकर उन राज्यों से नहीं की जा सकती, जो मुख्य तौर पर अनाज, दलहन या तिलहन फसलों का उत्पादन करते हैं। एक तो ये राज्य देश की खाद्य जरूरतों को बहुत हद तक पूरा करते हैं, इसलिए यहां ऑर्गेनिक तरीकों पर जाकर उत्पादन में कमी का जोखिम लेना मुश्किल है। ऑर्गेनिक तौर-तरीकों का इस्तेमाल करने से शुरुआत में उपज और खेतों की उत्पादकता में कुछ कमी आना लाजिमी है। इसलिए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और ऐसे दूसरे राज्यों में सिक्किम का प्रयोग दुहराने से पहले बहुत सी दूसरी तैयारियां करने की जरूरत होगी। दूसरा प्रमुख मसला सिक्किम और दूसरे राज्यों की खेती संस्कृति में पहले से मौजूद अंतर है। सिक्किम में खेती ऐतिहासिक तौर पर कभी भी

रासायनिक खाद्यों और कीटनाशकों पर निर्भर नहीं रही है। यहां प्रति हेक्टेयर खाद्यों और कीटनाशकों का इस्तेमाल कभी भी 12 किग्रा से ज्यादा नहीं होता था, जिसके कारण ऑर्गेनिक पर जाने के बावजूद यहां यील्ड में कोई खास कमी नहीं आई है। इसकी तुलना में देश की औसत प्रति हेक्टेयर खाद्य और कीटनाशक खपत विश्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक 2013 में 157.5 किग्रा थी। दूसरा अहम अंतर व्यावहारिकता का है। सिक्किम को देश से जोड़ने वाली केवल एक हाईवे है, जिससे खाद्यों और कीटनाशकों की आवक रोक कर सरकार ने राज्य में इस प्रतिबंध को आसानी से अमल में ला दिया लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर दूसरे किसी भी राज्य में इस तरह का प्रतिबंध लागू कर पाना सरकार के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द साबित हो सकता है।

54.47 प्रतिशत जमीन पर खेती होती है, वहीं पूर्वोत्तर में यह प्रतिशत केवल 22.20 प्रतिशत है। हालांकि अच्छी बात यह है कि पूर्वोत्तर में लगभग हर परिवार के पास अपनी खेती लायक जमीन है, भले ही इनमें 80 प्रतिशत किसान छोटे या सीमांत किसान हैं। पूर्वोत्तर की खेती की सबसे खास बात इसकी जलवायु है, जिसमें फलों और सब्जियों की शानदार खेती होती है। भले ही खेती योग्य कुल जमीन का केवल 11 प्रतिशत सिचित है लेकिन बारिश इतनी पर्याप्त होती है, फसलों को कोई दिक्कत नहीं होती। असम, त्रिपुरा और मणिपुर के कुछ इलाकों को छोड़ दें तो खेतों की उत्पादकता अपनी क्षमता के लिहाज से कम है।

इस पृष्ठभूमि में केंद्र और राज्य सरकारों की रणनीति क्षेत्र के किसानों को जैविक खेती

के जरिए प्रीमियम भाव दिलाने की है, ताकि यहां करीब 84 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या वाले इस क्षेत्र की प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतारी कर क्षेत्र का आर्थिक विकास किया जा सके। और इसी संदर्भ में सिक्किम का पूर्ण ऑर्गेनिक राज्य बनना एक खास उपलब्धि है। सिक्किम में इस कहानी की शुरुआत हुई थी 2003 में, जब पवन चामलिंग की सरकार ने विधानसभा में एक घोषणा के जरिए सिक्किम को एक ऑर्गेनिक फार्मिंग राज्य बनाने का फैसला किया था। बाद में इसे अमली जामा देने के लिए राज्य में रासायनिक खाद्यों और कीटनाशकों को लाने और इसे बेचने पर रोक लगा दी गई। इसके बाद किसानों के पास ऑर्गेनिक तौर-तरीकों के इस्तेमाल के अलावा और कोई चारा भी नहीं रहा। सरकार ने जैविक उत्पादों

के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम में तय किए गए तौर-तरीकों का इस्तेमाल कर धीरे-धीरे राज्य को पूर्ण जैविक उत्पादन की राह पर बढ़ाना शुरू किया। किसानों को जैविक खाद्यों और कीटनाशकों की कमी न हो, इसके लिए सरकार ने किसानों को बाकायदा इन्हें बनाने का प्रशिक्षण दिया। यहां तक कि सिक्किम में सरकार ने एक बायो-फर्टिलाइजर उत्पादन संयंत्र की स्थापना भी की।

ऑर्गेनिक आन्दोलन

सिक्किम ने अपने ऑर्गेनिक आन्दोलन को केवल खेती तक सीमित न रखते हुए इसका विस्तार पर्यटन के क्षेत्र तक किया है। ‘ऑर्गेनिक पर्यटन’ के तहत राज्य भर में ऐसे रिसॉर्ट खड़े हो गए हैं, जहां पर्यटकों को खेत से तोड़ी गई ताजी ऑर्गेनिक सब्जियां तैयार कर खिलाई जाती हैं। कई ऑर्गेनिक फार्म भी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं लेकिन सिक्किम को यह उपलब्धि रातोंरात हासिल नहीं हुई। पहली बार 2003 में इसकी घोषणा होने के बाद बाकायदा चरणबद्ध तरीके से इसके लिए बनाई गई योजना को लागू किया गया। सबसे पहले सिक्किम के कृषि विभाग ने उसी वर्ष एक कार्य योजना और एक अवधारणा पत्र तैयार किया जिसका शीर्षक था- ‘गोईंग फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग इन सिक्किम - ए कंसेप्ट पेपर एंड एक्शन प्लान, मई 2003’। इस पत्र में योजना के मुख्य लक्ष्य जो निर्धारित किए गए वे इस प्रकार थे-

- सिक्किम को एक ऑर्गेनिक राज्य के तौर पर बढ़ावा देना

जैविक खेती के फायदे

जैविक खेती या रासायनिक खाद्यों और कीटनाशकों से मुक्त खेती के कई फायदे हैं:

- रासायनिक खाद्यों और कीटनाशकों की जगह खेतों से निकले कचरे और पालतु पशुओं के उत्सर्जन का इस्तेमाल होने से खर्च में 25-30 प्रतिशत की कमी कर खेतों का लंबी अवधि के लिए संरक्षण
- मुख्य फसल के अलावा खर-पतवार और घास भी कायम रहने से पशुधन का चारा आसानी से मिल जाता है
- फसलों के लिए लाभदायक कीटों की सुरक्षा होने से पारिस्थितक चक्र की सुरक्षा

जैविक खेती के सिद्धांत

जैविक खेती के लिए पूरी दुनिया में बाकायदा कुछ तय नियम बन चुके हैं, जिनका ठीक पालन करने पर ही उत्पन्न उत्पादों को सर्टिफिकेशन मिलता है। वैसे, हर देश अपनी पारिस्थितिकी और परिस्थितियों के लिहाज से नियम बना सकता है लेकिन ज्यादातर देशों में 1972 में गठित ऑर्गेनिक कृषि आंदोलन के अंतर्राष्ट्रीय महासंघ (आईएफओएएम) के मानकों के आधार पर कानूनी नियंत्रण लागू है। जैविक खेती के चार मुख्य सिद्धांत हैं:

स्वास्थ्य: जैविक खेती मिट्टी, पौधों, पशु, इंसान और पृथ्वी के संरक्षण और उसमें वृद्धि होनी चाहिए

पर्यावरण: जैविक खेती जीवित पारिस्थितिकी तंत्र और चक्रों पर आधारित होनी चाहिए, उनके साथ सामंजस्य में काम करनी चाहिए और उन्हें संरक्षण देने वाली होनी चाहिए

ईमानदारी: जैविक खेती सामान्य पर्यावरण और जीवन के अवसरों के बीच स्वस्थ संबंध बनाने और उनमें ईमानदारी सुनिश्चित करने वाली होनी चाहिए

देखभाल: खेती सतर्कता और जिम्मेदारी के साथ ऐसे व्यवस्थित की जानी चाहिए कि वर्तमान और भावी पर्दियों एवं पर्यावरण का स्वास्थ्य व हित सुरक्षित रख सके।

- कृत्रिम खाद एवं कीटनाशक के इस्तेमाल को हतोत्साहित करने के लिए योजना बनाना और धीरे-धीरे जैविक खाद से पौधों के पोषक तत्वों की आपूर्ति करना, साथ ही जैविक तरीकों से पौधों में बीमारियां और कीड़ों की रोकथाम करना
- सिक्किम में वास्तविक ऑर्गेनिक खेती की पूर्व शर्त के रूप में मूलभूत बुनियादी ढांचा खड़ा करना और वैधानिक ढांचा तैयार करना
- ऑर्गेनिक खाद्य उत्पादों के लिए बाजार विकसित करना और साथ ही संबद्ध रणनीतियां तैयार करना
- सिक्किम में जैविक खेती के लिए एक नीति तैयार करना

इसके बाद सरकार ने आगे बढ़ने के लिए एक रोडमैप तैयार किया। जैविक खेती के फायदों और नुकसान को ध्यान में रखते हुए और खाद एवं कीटनाशकों के मौजूदा इस्तेमाल के लिहाज से दो बातें तय की गईः

- पहला, कृत्रिम खादों और कीटनाशकों को जैविक खादों से बदला जाए और पौधों की सुरक्षा के लिए जैविक तरीके अपनाए जाएं
- दूसरा, क्योंकि वर्तमान में जैविक खेती को लेकर कोई राष्ट्रीय नीति, मानक, मान्यता देने की व्यवस्था या विपणन का तंत्र नहीं है, इसलिए राज्य का अपना एक मूलभूत ढांचा तैयार किया जाए, जिसे विधि द्वारा समर्थन प्राप्त हो

इसके बाद 17 सितंबर 2003 को राज्य सरकार की गैजेट अधिसूचना के जरिए

सिक्किम राज्य जैविक बोर्ड का गठन किया गया। हालांकि उसके पहले ही मई 2003 में सरकार ने राज्य में खादों पर सब्सिडी हटाने की घोषणा कर दी थी और 2006-07 के बाद से खुदरा कारोबारियों के लिए परिवहन और हैंडलिंग की सब्सिडी को भी खत्म कर दिया गया। इसके साथ ही सरकार ने रासायनिक खादों का इस्तेमाल पूरी तरह बंद करने और उनकी जगह जैविक स्रोतों का इस्तेमाल करने के लिए एक सप्त-वर्षीय योजना बनाई और उसी लिहाज से उपलब्ध संसाधनों का आवंटन शुरू किया गया। इस दिशा में पहला कदम उठाते हुए सरकार ने पूर्वी सिक्किम में स्थित नाजीताम और दक्षिणी सिक्किम में स्थित मेलीदारा के दो सरकारी फार्म्स को जैविक खेती नियुणता केंद्र के तौर पर विकसित किया और वहां जैविक खेती के लिए जरूरी शोध और अनुकूलन कार्य शुरू किए गए।

जैविक खाद उत्पादन

सिक्किम सरकार ने किसानों को पर्याप्त मात्रा में जैविक खाद उपलब्ध कराने के लिए राज्य में इनके उत्पादन की कई इकाइयां शुरू की। वर्ष 2005 से खेतों पर पैदा होने वाले कचरे (फार्म वेस्ट) का प्रभावी इस्तेमाल कर सिक्किम को कृषि में आत्मनिर्भर बनाने का काम शुरू हुआ। खेतों पर ही केंचुए की खाद (वर्मीकम्पोस्ट) और द्रव खाद (लिकिवड मैन्योर) तैयार करने और दूसरे खादों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने की रणनीति बनाई गई। केवल 3 वर्षों में 2008-09 तक किसानों के खेतों में ही 24536 ग्रामीण कम्पोस्ट-कम-यूरिन गड्ढे और 14487 वर्मीकम्पोस्ट इकाइयां तैयार हो गई। इसके अलावा 8 ऐसे केंद्र भी तैयार किए गए, जहां लगातार केंचुओं का उत्पादन किया जाता है, ताकि वर्मीकम्पोस्टिंग के लिए कभी इनकी कमी न हो।

वर्ष 2009 में माजितर में एक जैविक-खाद उत्पादन इकाई तैयार की गई, जहां से विभिन्न फसलों के लिए जरूरी जैविक खाद की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा राज्य ने एजोला का महत्व समझते हुए इसके उत्पादन पर भी काफी काम किया है। निचले इलाकों में धान की खेती के लिए एजोला का खास महत्व है और खेतों की प्रकृति के लिहाज से यह कम से कम 30 किग्रा नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर से लेकर अधिकतम 60 किग्रा नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर तक की आपूर्ति करता है। इसलिए बुवाई से पहले मिट्टी तैयार करने के दौरान उसमें एजोला मिलाने से एक ओर तो मिट्टी में जैविक तत्वों की मात्रा बढ़ती है और दूसरी ओर

फसल	तालिका 1: सिक्किम में विभिन्न वर्षों में जैविक खेती के आंकड़े					
	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
अनाज						
क्षेत्रफल	71.28	71.37	74.67	70.12	71.78	74.26
उत्पादन	101.17	105.76	109.11	101.74	106.61	106.57
उत्पादकता	1419.33	1481.80	1461.23	1450.94	1485.80	1435.09
तिलहन						
क्षेत्रफल	9.95	9.95	8.97	8.60	8.90	10.00
उत्पादन	7.56	7.95	7.29	7.47	7.61	8.20
उत्पादकता	770.00	798.99	812.71	868.60	855.05	820.00

(क्षेत्रफल '000 हेक्टेयर, उत्पादन '000 टन और उत्पादकता किग्रा/हेक्टेयर में) (स्रोत: सिक्किम सरकार)

क्या आप जानते हैं?

'डेस्टिनेशन नॉर्थ-ईस्ट-2016'

डे

स्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में पहली बार 12 से 14 फरवरी तक पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय तथा संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया गया। इसका उद्घाटन केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, जन शिकायत, पेशन, परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह एवं गृह राज्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने किया।

तीन दिन के इस भव्य कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में निहित आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक शक्ति का प्रदर्शन राष्ट्रीय मंच पर करना था। आने वाले महीनों में महोत्सव का आयोजन मुंबई तथा बैंगलूरु में किया जाएगा क्योंकि युवा उद्यमियों तथा स्टार्टअप परियोजनाओं के लिए यह प्रमुख ठिकाना बनेगा। विभिन्न केंद्रीय मंत्रालय भी पूर्वोत्तर भारत में अपने कार्यक्रमों का प्रदर्शन कर पाएंगे।

उद्घाटन के पश्चात् पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास, पूर्वोत्तर में पर्यटन के संपूर्ण विकास के लिए आरंभ किए गए कार्यक्रमों पर सत्रः अनदेखे को देखिए तथा आईटी एवं आईटीईएस के लिए पूर्वोत्तर में अवसर; भी आयोजित किए गए। दूसरे दिन पूर्वोत्तर में आजीविका की संभावनाएं बढ़ाने, समावेशी वृद्धि हेतु सूक्ष्म वित्त, पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्टार्टअप के लिए अवसर तथा चुनौतियों, हथकरघे से लेकर

कपड़े और उससे परिधानों तक मूल्य श्रृंखला का विकास करने एवं पूर्वोत्तर में आवश्यकता के आधार पर कौशल विकास तथा उद्यमिता संबद्धन के विषय में और पूर्वोत्तर के हथकरघे को घेरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रीमियम ब्रांड के रूप में स्थापित करने के संबंध में विभिन्न पैनलों ने चर्चा की।

तीसरे दिन पूर्वोत्तर भारत की समृद्ध संस्कृति तथा लोक नृत्यों का प्रदर्शन करने के लिए विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की कलाएं प्रस्तुति की गईं, जैसे पूर्वोत्तर के लोक संगीत एवं लोक नृत्य, बिहू नृत्य, लोक नृत्य, पूर्वोत्तर का लोकप्रिय रॅक संगीत: रिवर्स ट्रैजेडी बैंड द्वारा प्रस्तुति, फोक यूजन तथा क्रॉसओवर संगीत और एनआईएफटी द्वारा फैशन शो, स्कूली बच्चों के लिए प्रश्नोत्तरी, नृत्य (एकल एवं सामूहिक) तथा गायन (हिंदुस्तानी, भारतीय पॉप, पाश्चात्य पॉप, शास्त्रीय)। महोत्सव में पर्यटन, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, कौशल विकास एवं उद्यमिता, सूचना प्रौद्योगिकी, हथकरघे तथा हस्तशिल्प, आजीविका, सूक्ष्म वित्त एवं स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों के लिए व्यापारिक सम्मेलन भी थे।

इन कार्यक्रमों के अलावा महोत्सव में पूर्वोत्तर के प्रत्येक राज्य की दीधाएं/स्टॉल भी थे, जहां आगंतुक उनके स्थानीय वस्त्र, पारंपरिक परिधान, कलाकृतियों, फर्नीचर, बास की चित्रकारी एवं घर के बने व्यंजन तथा पकवानों का आनंद भी उपलब्ध रहा।

संकलन: वाटिका चंद्रा, उपसंपादक (योजना, अंग्रेजी) **ईमेल:** vchandra.iis2014@gmail.com

नाइट्रोजन की प्रचुरता में भी वृद्धि होती है। सिक्किम में 2008-09 के दौरान किसानों के खेतों पर करीब 200 एकड़ा तालाब विकसित किए गए।

जैविक खेती की उपलब्धियां

सिक्किम में करीब 75,000 हेक्टेयर पर खेती होती है, जहां बड़ी इलायची, अदरक, हल्दी, धान, मक्का, कुटू (बकहीट), किवी, फूल, सब्जियां इत्यादि पैदा होती हैं। 2003 में रासायनिक खाद्यों और कीटनाशकों पर प्रतिबंध लगने के बाद के 6 वर्षों में सिक्किम का कुल अनाज उत्पादन 1.01 लाख टन से लेकर 1.066 टन के बीच स्थिर रहा है। इस दौरान खेतों की उत्पादकता में 1419 किग्रा प्रति हेक्टेयर से लेकर 1485 किग्रा प्रति हेक्टेयर के दायरे में थीमी लेकिन लगातार बढ़त दर्ज की गई है। यह बहुत रोचक तथ्य है क्योंकि जैविक खेती के विरोधियों का एक बड़ा तर्क यही है कि इससे ज्यादा लोगों के लिए

भोजन पैदा करने का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। तिलहन का उत्पादन भी इस दौरान औसत 850 किग्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 7500 टन पर स्थिर रहा है।

सिक्किम की सफलता को देखते हुए कुछ दूसरे राज्य भी आर्गेनिक खेती के तरफ झुकाव दिखा रहे हैं। इनके अलावा उत्तराखण्ड और केरल जैसे कुछ राज्य भी पूर्ण आर्गेनिक बनने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं लेकिन जैविक खेती की राह में एक बड़ी चुनौती बाजार की है। देश भर में कई किसान अपनी रुचि और प्रयास के लिहाज से जैविक खेती से जुड़ चुके हैं लेकिन इनमें से बहुत कम को ही उनके उत्पादों के लिए कोई प्रीमियम मिल रहा है। तो सरकार को खेती में प्रसार की अनुकूल नीतियां बनाने के साथ ही जैविक उत्पादों के लिए बेहतर बाजार तैयार करने पर भी पर्याप्त ध्यान देने की जरूरत है। □

लिंगो-इंडिया वृहत् विज्ञान प्रस्ताव मंजूर

केंद्रीय मौत्रिमंडल ने गुरुत्वीय तरंगों पर अनुसंधान के लिए लिंगो-इंडिया वृहत् विज्ञान प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। लिंगो-इंडिया परियोजना (लेसर इंटरफरोमीटर ग्रैविटेशनल-वेव ऑब्जरवेटरी इन इंडिया) के नाम से विष्वात प्रस्ताव को आणविक ऊर्जा विभाग एवं विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग ने आरंभ किया है। मंजूरी उस समय मिली है, जब हाल ही में गुरुत्वीय तरंगों की एतिहासिक खोज हुई, जिसने ब्रह्मांड के कुछ सबसे बड़े रहस्यों का उद्घाटन करने का नया अवसर प्रदान किया है। यह परियोजना वैज्ञानिकों तथा इंजीनियरों को गुरुत्वीय तरंगों के संसार में गहराई तक उत्तरने और इस नए खगोलीय मोर्चे पर वैश्विक अगुआ बनने का अभूतपूर्व अवसर प्रदान करेगी। परियोजना से भारतीय छात्रों तथा युवा वैज्ञानिकों को ज्ञान के नए मोर्चे तलाशने के लिए प्रेरणा मिलने की आशा है और देश में वैज्ञानिक अनुसंधान को और भी गति प्रदान करेगी।

पूर्वोत्तर का बांस उद्योग: छोटी सी पहल से बदल सकती है तस्वीर

अविनाश चंद्र



पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों ने प्रकृति
और संस्कृति, कला और जीवन,

सामरिक ललक, भावनात्मक
एवं आध्यात्मिक शांति, जैव एवं
सांस्कृतिक विविधता के बीच एक
बेमिसाल तालमेल स्थापित किया
है और इसे संरक्षित भी किया
है। इन लोगों ने इस संतुलन की
खूबी को संगीत, कला, स्थापत्य,
अपनी सोच और ज्ञान प्रणाली,
जीवन के आधारभूत रीति रिवाज
से लेकर अपने कार्यों, मौसम और
प्रकृति में संजोए रखा है। इससे
स्थानीय वनस्पति न केवल उनके
दैनिक जीवन बल्कि जीविका
से भी जुड़ गयी है। किंतु, कुछ
कानूनी व तकनीकी अड़चनें उनकी
इस प्रकृति-अनुकूल जीवन शैली
व जीविका प्रणाली को कठिन
बनाने लगती हैं। प्रशासकीय स्तर
पर एक छोटी सी पहल अर्थात्
कानूनी बदलाव इस समुदाय के
लिए छोटे-छोटे बहुत ही क्रांतिकारी
बदलाव ला सकते हैं।

पू

र्वोत्तर अपनी भौगोलीय और पर्यावरणीय विविधता के कारण अलौकिक सुंदरता वाला क्षेत्र है। चारों तरफ हरे भरे जंगल, उत्कृष्ट जड़ी बूटी का खजाना, तेज प्रवाह में बहते नदी नाले, शानदार पहाड़ और बर्फ से ढकी हुई अद्भुत चोटियां इस क्षेत्र को अलौकिक बनाते हैं। प्रकृति ने पूर्वोत्तर को खुले दिल से विलक्षण खूबसूरती और वानिकी जीवन का कीमती खजाना दिया है जो इस क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैव विविधता के कारण मशहूर करता है। हालांकि आठ राज्यों वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र जो कि 262179 वर्ग किमी में फैला हुआ है को प्रकृति ने एक और खास चीज बड़े ही आम तरीके से प्रदान की है। आम तौर पर मिलने वाली इस खास चीज को हम ‘ग्रीन गोल्ड’ अथवा बांस के नाम से जानते हैं। देश में बांस के कुल उत्पादन का दो तिहाई हिस्सा इन आठ राज्यों से ही आता है। थिंकटैक सेंटर फॉर सिविल सोसायटी के शोधार्थियों के मुताबिक देश में पाई जाने वाली बांस की लगभग 58 प्रजाति की 125 उपजातियों में 89 उपजातियां अकेले इन्हीं राज्यों में पाई जाती हैं। बांस की सर्वसुलभता और इसकी महत्ता का अंदाजा यहां के लोगों के जीवन, कला एवं संस्कृति में रचे बसे होने को देखकर लगाई जा सकती है। बांस का प्रयोग दैनिक उपयोग की सभी चीजों भोजन, दवाईयों, गृह निर्माण, कागज, गृह एवं कुटीर उद्योग में किया जाता है।

क्या है समस्या?

दरअसल बांस का उत्पादन अब तक भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत

विनियमित होता रहा था। वर्ष 2006 में भारतीय वनाधिकार अधिनियम बनाकर बांस उत्पादन को सहज बनाने का प्रयास किया गया लेकिन पुराने कानून को पूरी तरह खत्म नहीं किया गया। इन दोनों कानूनों के बारे में विस्तृत विवरण आलेख में आगे दिया जा रहा है। फिलहाल, दोनों कानूनों के एक साथ अस्तित्व में होने के कारण इनके बीच के विवादों का दुरुपयोग बांस उत्पादकों की राह मुश्किल कर रहा है।

पूर्वोत्तर के राज्यों सहित तमाम प्रदेशों में नौकरशाही आज भी अपनी मनमानी कर रही है और आजादी के पूर्व के कानून अब भी लागू किए जा रहे हैं। नए कानून की अनदेखी की जा रही है जिससे वनों में मौजूद बांस को काटने पर प्रतिबंध तो है ही अपनी निजी जमीन पर भी बांस उगाने और काटने पर तमाम नियम लागू हैं। यदि कोई व्यक्ति अपनी जमीन पर बांस उगाता है तो उसे काटकर बाजार में बेचने से पूर्व उसे अधिकारियों से ट्रांजिट पास लेने की जरूरत पड़ती है। ट्रांजिट पास प्राप्त करने की प्रक्रिया काफी समय बर्बाद करती है और नौकरशाही को गैर जरूरी अधिकार भी प्रदान करती है।

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक याचिका में पर्यावरण संरक्षण, बांस उद्योग को बढ़ावा देने और देश में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए कई सुझाव दिए गए हैं। इनमें जनजातीय मामलों के मंत्रालय के 12 जुलाई 2012 में लिखे गए पत्र के सुझावों के अनुसार राज्य सरकारों को ट्रांजिट पास जैसी बाध्यता को पूर्णतया समाप्त कर देना मुख्य रूप से शामिल है। इसके अतिरिक्त भारतीय वन अधिनियम

1927 में बदलाव कर बांस को पेड़ की बजाए घास के तौर पर वर्णित किया जाना चाहिए और इसके कटाव पर से रोक हटा लेने, लैंड सीलिंग एक्ट में बदलाव कर बांस के पौधे रोपण को चाय, कॉफी व इलाईची के पौधारोपण के समतुल्य बनाए जाने जैसे सुझाव शामिल हैं।

वैज्ञानिक अध्ययनों से यह साबित हो चुका है कि बांस पेड़ नहीं घास की एक प्रजाति है। दुनिया के तमाम देशों ने बांस को घास के तौर पर वर्गीकृत करते हुए इसकी कटाई और व्यावसायिक उत्पादन पर से रोक हटा ली है। तमाम देशों ने बांस के व्यापक प्रयोग के मद्देनजर अनेकानेक तकनीकी भी विकसित कर ली है और अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने व रोजगार पैदा करने में सफलता भी प्राप्त कर ली है।

बांस व सह-उत्पादों की बढ़ती मांग

समय के साथ-साथ देश व पूर्वोत्तर राज्यों से लगे अन्य देशों में लकड़ी की बढ़ती मांग और अवैध कटाई के कारण यहां के जंगल सिमटते जा रहे हैं। सरकार जंगलों के संरक्षण के लिए भारतीय वन अधिनियम 1927 का कड़ाई से अनुपालन करती है जिसके कारण वनों से लकड़ी (टिंबर) और गैर लकड़ी (नॉन टिंबर) जैसे बांस इत्यादि को पाना अत्यंत मुश्किल हो गया। इसका असर, यहां रोजगार पहले से ही कम उपलब्धता के और घट जाने व बांस व बेंत हस्तशिल्प के विलुप्ति की कगार पर पहुंचने की आशंका गहराने लगी है। पूर्व में बांस व बांस से निर्मित वस्तुएं जहां लोगों के जीवन का अभिन्न अंग थी अब वह केवल पर्यटकों को लुभाने और हस्तशिल्प प्रदर्शनियों की शोभा बढ़ाने तक ही सीमित होती जा रही हैं। परिणाम स्वरूप आर्थिक तौर पर देश के अन्य राज्यों की तुलना में पहले से ही पिछड़े पूर्वोत्तर राज्यों में आजीविका के लिए विस्थापन तेजी से बढ़ा है।

पारिस्थितिकी के अनुकूल होंगे रोजगार अवसर

इस विस्थापन को रोकने, रोजगार के अवसर पैदा करने और पूर्वोत्तर सहित पूरे देश की अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए आवश्यक है कि ऐसे उपाय अपनाए जाएं जो

उपरोक्त सभी आवश्यकताओं की पूर्ति तो करें ही साथ ही साथ यहां की पारिस्थितिकी का भी ध्यान रखें। ऐसे में बांस उम्मीद की किरण बनकर उभरता है। जानकारी के मुताबिक बांस की 1200 से ज्यादा प्रजातियां होती हैं और यह गर्म व सर्द सभी प्रकार के वातावरण में व पहाड़ व मैदान सभी प्रकार के भू-क्षेत्र में पाया जाता है। चूंकि बांस कटाई के बाद स्वतः उत्पन्न हो जाता है और यह अन्य पेड़ों की तुलना में वातावरण से 25% ज्यादा कार्बन डाइ ऑक्साइड सोखता है और यह मिट्टी को पकड़े रख कर मिट्टी की कटाई को भी कारगर तरीके से रोकता है। इसलिए बांस का व्यावसायिक उत्पादन पूरी तरह पर्यावरण के हित में है। यही कारण है कि दुनिया के तमाम देश बांस उत्पादन और इसके व्यावसायिक प्रयोग को बढ़ावा देने में जुटे हैं। दुनिया में लगभग 600 मिलियन लोगों की आजीविका बांस और इससे संबंधित उद्योगों पर निर्भर है। और आगामी कुछ वर्षों में इस पर आश्रित रोजगार के दुगने से ज्यादा होने की आशा है।

लगभग 100 साल पुराने कानून से उपजा असमंजस

किंतु इस राह में एक बड़ी अड़चन है आजादी पूर्व का भारत का भारतीय वन अधिनियम 1927। इस एक ट में बांस को पेड़ के तौर पर वर्गीकृत किया गया है और इसकी कटाई पर सर्वथा रोक है। बन्य उत्पाद होने के नाते जंगलों में इसकी कटाई तो प्रतिबंधित है ही आसपास की निजी जमीन पर भी इसे उगाने, काटने और बाजार में बेचने पर प्रतिबंध है। हालांकि वैज्ञानिक अध्ययनों से यह साबित हो चुका है कि बांस पेड़ नहीं घास की एक प्रजाति है। दुनिया के तमाम देशों ने बांस को घास के तौर पर वर्गीकृत करते हुए इसकी कटाई और व्यावसायिक उत्पादन पर से रोक हटा ली है। तमाम देशों ने बांस के व्यापक प्रयोग के मद्देनजर अनेकानेक तकनीकी भी विकसित कर ली है और अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने व रोजगार पैदा करने में सफलता भी प्राप्त कर ली है।

बांस के महत्व, उपयोगिता, पर्यावरण हित आदि को देखते हुए हमारे देश में भी वर्ष 2006 में बनाधिकार अधिनियम पास किया गया। इस कानून में बांस को नॉन टिंबर के तौर पर वर्गीकृत करते हुए इसकी कटाई से रोक हटा ली गई। किंतु नया कानून लागू

होने के बावजूद पुराने कानून को समाप्त नहीं किया गया। फलस्वरूप तमाम राज्य व वहां के नौकरशाह अपनी सुविधा के अनुसार पुराने कानून को लागू करते हुए बांस के उत्पादन, कटाई आदि पर अपना नियंत्रण रखे हुए हैं। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि लकड़ी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अब भी हम पेड़ों की कटाई पर ही निर्भर हैं।

ऐसा तब है जबकि बांस की उपयोगिता को देखते हुए पर्यावरणविद् इसे 'हरा सोना' भी कहते हैं। बांस उच्च मात्रा में जीवनदायी ऑक्सीजन गैस का उत्सर्जन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है। बांस में उच्च तीव्रता के विकिरण (रेडिएशन) को सोखने की अद्भुत क्षमता है, इसलिए यह मोबाइल टॉवरों के दुष्प्रभाव को रोकने में काफी मददगार साबित हो सकता है। बांस प्रदूषण रहित ईंधन भी है क्योंकि यह जलने पर बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन करता है।

सेंटर फॉर सिविल सोसायटी द्वारा प्रस्तुत पेपर के मुताबिक अकेले भारत में बांस 90 लाख हेक्टेयर क्षेत्र (विश्व में सबसे बड़ा भूभाग) में पैदा होता है और विश्व बाजार में इसकी हिस्सेदारी महज 4.5% है। जबकि चीन में बांस भारत के मुकाबले आधे से भी कम अर्थात् 40 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में पैदा होता है किंतु विश्व बाजार में इसकी हिस्सेदारी 50% से अधिक है। इसके बावजूद कागज निर्माण सहित विभिन्न उद्योगों यहां तक कि कुटीर

बांस में उच्च तीव्रता के विकिरण (रेडिएशन) को सोखने की अद्भुत क्षमता है, इसलिए यह मोबाइल टॉवरों के दुष्प्रभाव को रोकने में काफी मददगार साबित हो सकता है। बांस प्रदूषण रहित ईंधन भी है क्योंकि यह जलने पर बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन करता है।

उद्योग के तहत बनाए जाने वाली अगरबत्तियों में प्रयुक्त होने वाली तीलियों आदि तक के लिए आवश्यक बांस का अधिकांश हिस्सा चीन द्वारा आयातित बांस पर आश्रित है। चीन द्वारा बांस आयात की प्रक्रिया काफी खर्चिली और समय लेती है जिससे उत्पादन की लागत और समय दोनों काफी बढ़ जाता है।

हाल की प्रगति

साउथ एशियन बैंक फाउंडेशन (एसएबीएफ) के संस्थापक व कार्यकारी निदेशक कामेश सलाम के मुताबिक पिछले कुछ वर्षों से तमाम गैरसरकारी संगठनों ने बांस को घास का दर्जा दिलाने के लिए कई कदम उठाए हैं। बांस के इतने फायदों को देखते हुए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा एक कानून (2006) पारित किया गया। इस कानून में बांस का वर्गीकरण नॉन टिंबर माइनर फॉरेस्ट उत्पाद (एमएफपी) के तौर पर किया गया है। अर्थात् नए कानून के हिसाब से वनों में बांस की कटाई अब प्रतिबंधित नहीं रह गई है। कामेश के मुताबिक कानून में महज एक बदलाव से देश में कम से कम 5 करोड़ रोजगार के अवसर पैदा हो सकेंगे। इससे मामूली निवेश से अर्थव्यवस्था को शुरुआती चरण में 5 हजार करोड़ रुपये प्राप्त होंगे और कुछ वर्षों में ही इसके 10 हजार करोड़ होने की उम्मीद है।

सेंटर फॉर सिविल सोसायटी के एसोसिएट डाइरेक्टर अमित चंद्र के अनुसार बांस के उपयोग और इसकी महत्ता को देखते हुए भारत सरकार ने बांस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज-बैंगलोर, कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, नेशनल मिशन ऑन बाम्बू एप्लिकेशन की स्थापना की है। योजना आयोग ने इसे विशेष दर्जा प्रदान करते हुए नेशनल मिशन ऑन बाम्बू टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड डेवलपमेंट लांच की है। बांस उद्योग के विकास के लिए द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (नाबार्ड) ने भी बाम्बू डेवलपमेंट पॉलिसी के तहत प्राथमिक स्तर पर इसके वर्णनीयकरण पर जोर दिया है। यदि उपरोक्त सारे कदम बांस व इससे जुड़े उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए हैं तो क्या कारण है कि यह क्षेत्र अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहा है? वह भी तब जबकि इसके स्त्रोत उपलब्ध हैं, विश्व बाजार में इसकी मांग भी है, तकनीकी भी है और इसे सरकारी मान्यता भी प्राप्त है।

सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता एडवोकेट निधि भल्ला के मुताबिक मुख्यतः इसके निम्नलिखित कारण हैं:

1. भारतीय वन अधिनियम, 1927 के सेक्षण 2 के अनुसार बांस अब भी लकड़ी है।
2. राज्यों ने अपने कानूनों को वनाधिकार अधिनियम 2006 में समाप्ति नहीं किया

है अतः लकड़ी (पेड़ों) पर लागू होने वाले सभी नियम कानून बांस पर भी लागू होते हैं।

3. बांस काटने और परिवर्तन पर प्रतिबंध (भारतीय वन अधिनियम के सेक्षण 26, सेक्षण 32 व सेक्षण 41 पढ़ें)
4. परमित प्राप्त करने की थकाऊ, समय बर्बाद करने व प्रताड़ित करने वाली प्रक्रिया आदि हालांकि बांस के क्षेत्र में हममें कुछ प्रगतिशील परिवर्तन भी देखने को मिले हैं:

- द पंचायत (एक्सटेंशन टू रूरल एरिया) एक्ट, 1996 - माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का स्वामित्व ग्राम पंचायत को प्रदान किया गया है।
- माननीय सर्वोच्च अदालत ने वर्ष 1996 में बांस को माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर मान्यता देते हुए जंगलों में इसकी कटाई पर से रोक हटा दिया।

बांस गांवों में लकड़ी और लोहे के विकल्प को बखूबी पूरा करता है। आज मनुष्य लकड़ी को अपनी आवश्यकता एवं उपभोग की पहली पसंद बनाकर जंगलों एवं वृक्षों की अंधाधुंध कटाई कर रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो लकड़ी के विकल्प के रूप में बांस पर्यावरण संतुलन में अपनी महत्ती भूमिका निभा सकता है। अभी तक लकड़ी के विकल्प के न होने का रोना रोया जा रहा था लेकिन वस्तुतः यह विकल्प की अनदेखी करना है।

- वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से 14 मई 2013 में राज्य सरकारों से निजी भूमि पर उगाए गए बांस के लिए ट्रॉजिट पास की अनिवार्यता समाप्त करने का आग्रह किया गया।
- भारतीय वन अधिनियम के सेक्षण 41 के अनुसार, राज्य सरकारों को भी लकड़ी व अन्य जंगली उत्पाद के परिवर्तन (ट्रॉजिट) से संबंधित अपने नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। यहां तक कि सेक्षण 41 (ई) बांस व अन्य वन्य उत्पादों को ट्रॉजिट रेग्युलेशन से छूट भी प्रदान की गई है। इसके बावजूद बाम्बू सेक्टर में कुछ खास नहीं बदला है। कोटा राज/लाइसेंस राज प्रणाली ने देश को दशकों तक जकड़े रखा। बड़े उद्योगों को 1991 में आर्थिक व व्यापार करने

की आजादी प्राप्त हो गई किंतु छोटे उद्योग अब भी सदियों पुराने नियमों में जकड़े हुए हैं और आर्थिक आजादी व विकास से दूर हैं। चूंकि राज्य अब बांस उद्योग को उदार और व्यावसायीकरण कर विकसित करना चाहते हैं इसलिए यह जरूरी हो गया है कि इस मामले में दखल दिया जाए। उदाहरण के लिए नागालैंड ट्रॉजिट पास की समस्या के कारण सबसे प्रभावित राज्य है।

पूर्वोत्तर के लोगों, उनकी संस्कृति और पर्यावरण के बारे में सतही समझ के चलते हम उस क्षेत्र की भावना को अच्छी तरह से समझ नहीं पाए हैं। इसलिए पूर्वोत्तर का प्रतिनिधित्व करते वक्त हमारा ध्यान उग्रवाद, आतंकवाद, ड्रग्स के कारोबार, अवैध प्रवास, पर्यावरणीय नुकसान और सीमा पार की मुश्किलों पर ही जाता है। जबकि प्राचीन रीति-रिवाज, तौर-तरीके, मान्यताओं, परिधान और पर्यावरण के साथ-साथ औपचारिक शिक्षा की स्वीकार्यता और विकास के दूसरे फायदों की तरफ हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं जाता है। परंपरा और आधुनिकता के बीच साम्य स्थापित करने के प्रति लोगों की मेहनत जीवन के प्रति पूर्वोत्तर के लोगों की जिंदादिली को दर्शाता है। हम पूर्वोत्तर में व्याप्त समस्याओं को नजरअंदाज करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। उस क्षेत्र की व्यापक समझ के लिए हमें वहां के लोगों की जिंदगी जीने की रणनीति को समझना होगा, तभी हम पूर्वोत्तर की तह तक पहुंच पाएंगे। इसकी शुरुआत बांस से करनी होगी जो हमारे यहां जंगलों में बहुतायत में उपलब्ध है और प्रायः विभिन्न तरह के कार्यों के लिए उपयोग में लाया जाता है। बांस गांवों में लकड़ी और लोहे के विकल्प को बखूबी पूरा करता है। आज मनुष्य लकड़ी को अपनी आवश्यकता एवं उपभोग की पहली पसंद बनाकर जंगलों एवं वृक्षों की अंधाधुंध कटाई कर रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो लकड़ी के विकल्प के रूप में बांस पर्यावरण संतुलन में अपनी महत्ती भूमिका निभा सकता है। अभी तक लकड़ी के विकल्प के न होने का रोना रोया जा रहा था लेकिन वस्तुतः यह विकल्प की अनदेखी करना है। आज हमारे पास बांस की बहुलता है। आवश्यकता है लकड़ी के विकल्प के रूप में इसके उपयोग के संबंध में लोगों को जानकारी देने तथा दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ मानव को इसे अपनाने के लिए प्रेरित करने की। □

दक्षिण खेलों की सफलता से जगी नई उम्मीद

राजेश राय



पूर्वोत्तर क्षेत्र हाल में 12वें दक्षिण एशियाई खेलों के सफल आयोजन के कारण बेहद चर्चा में रहा। इन खेलों का आयोजन गुवाहाटी और शिलांग में किया गया था और भारतीय खिलाड़ियों ने इन खेलों में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12वें दक्षिण एशियाई खेलों का उद्घाटन किया। इन खेलों का उद्घाटन और समापन समारोह हर लिहाज से भव्य था और दोनों प्रदेशों की सरकारों ने इसे सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन खेलों के आयोजन से यह साबित हुआ कि पूर्वोत्तर क्षेत्र भी बड़े खेलों का सफल आयोजन कर सकते हैं।

भा

रतीय खेलों में देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों की पहचान पूर्व फुटबॉल कपान और स्टार स्ट्राइकर बाइचुंग भूटिया और पांच बार की विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियन और ओलंपिक कांस्य पदक विजेता एम सी मैरीकॉम जैसे दिग्गज खिलाड़ियों से होती है लेकिन इस क्षेत्र को अपनी फुटबाल और मुक्केबाजी प्रतिभाओं के कारण जितना प्रोत्साहन मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाया। केंद्रीय खेल मंत्री सर्वानन्द सोनोवाल पूर्वोत्तर के ही गुवाहाटी क्षेत्र से हैं और उन्होंने इस क्षेत्र में खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है।

मुक्केबाजों, भारोत्तोलकों और फुटबॉलरों का क्षेत्र

पूर्वोत्तर को आमतौर पर मुक्केबाजों, भारोत्तोलकों, फुटबॉलरों, टेनिस, तीरंदाजी के लिए जाना जाता है लेकिन अब भी माना जाता है कि इन क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे की सख्त जरूरत है ताकि खिलाड़ियों को दूर दराज के क्षेत्रों में न जाना पड़े। सरकार और खासतौर पर खेल मंत्री ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए काफी कोशिश की है।

जयंत तालुकदार ने भी भारतीय खेलों में अपनी अलग छाप छोड़ी है।

गुवाहाटी के मुक्केबाज शिवा थापा इस समय भारत के जाने माने मुक्केबाज हैं। महिला भारोत्तोलक एन सोनिया चानू नागालैंड से हैं जिन्होंने 2012 लंदन ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व किया था। भारतीय हॉकी खिलाड़ी कोठाजीत सिंह मणिपुर से हैं और वह भी लंदन ओलंपिक में खेले थे। अरूणाचल प्रदेश की अंशु जामसेनपा ने दो बार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को 2014 में फतह किया था।

इन खिलाड़ियों की सफलताओं ने इन क्षेत्रों के युवाओं को खेलों में आगे आने के लिए प्रेरित किया है लेकिन अब भी माना जाता है कि इन क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे की सख्त जरूरत है ताकि खिलाड़ियों को दूर दराज के क्षेत्रों में न जाना पड़े। सरकार और खासतौर पर खेल मंत्री ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए काफी कोशिश की है।

हिमालय क्षेत्र खेल महोत्सव

केंद्रीय खेल विभाग ने हिमालय क्षेत्र की अद्वितीय खेल परंपराओं को प्रोत्साहन देने के लिए हिमालय क्षेत्र के खेल महोत्सव (एचआरएसएफ) शुरू किया है जिसमें नेपाल और भूटान समेत भारतीय राज्य जैसे: जम्मू-कश्मीर, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्य शामिल होंगे। एचआरएसएफ के तहत आयोजित की जाने वाली खेल स्पर्धाओं में सभी पूर्वोत्तर राज्य, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखण्ड और पड़ोसी देश नेपाल और भूटान हिस्सा लेंगे।

लेखक वरिष्ठ खेल पत्रकार हैं। इस क्षेत्र में उन्हें लगभग दो दशक का अनुभव हासिल है। फिलहाल संवाद समिति यूएनआई-वार्ता में वरिष्ठ सम्बाददाता हैं। आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि माध्यमों में खेल समीक्षाओं/वार्ताओं में सहभागिता रही है। ईमेल: rajeshraivarta@gmail.com

इन स्पर्धाओं से विविध स्थानीय खेलों साथ ही साथ देश के पर्वतीय राज्यों के बीच टीम भावना को प्रोत्साहन मिलेगा तथा पड़ोसी देशों के साथ खेलों को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही क्षेत्र में पड़ोसी देशों के साथ खेलों के क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग कायम होगा।

मणिपुर में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय

मणिपुर में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय बनाने के प्रस्ताव की औपचारिक घोषणा वर्ष 2014-15 के बजट में की गई थी। इस विश्वविद्यालय के लिए मणिपुर सरकार ने राज्य के थोउबल जनपद में 336.93 एकड़ भूमि युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय को हस्तांतरित की है। प्रस्तावित विश्वविद्यालय के निर्माण हेतु केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड का चयन परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता के तौर पर हुआ है। कानून मंत्रालय में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय विधेयक, 2015 को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

मणिपुर में राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना से देश एवं उत्तर पूर्वी राज्यों के युवाओं को कोचिंग, फिजियोथेरैपी, फिटनेस, खेल प्रबंधन, खेल पत्रकारिता आदि क्षेत्रों में बीपीएड, एमपीएड, डिप्लोमा प्रमाणपत्र आदि पाठ्यक्रमों में प्रवेश के अवसर मिलेंगे। इससे स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर खिलाड़ियों की योग्यताएं निखरेंगी एवं खेल उद्योगों वाले उत्पादों मसलन खेलों से जुड़े सामान और दवा आदि को प्रोत्साहन भी मिलेगा।

12वें दक्षिण एशियाई खेलों का सफल आयोजन

गुवाहाटी और शिलांग में छह से 16 फरवरी तक दक्षिण एशियाई खेल के आठ सदस्य-अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मॉलदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका ने हिस्सा लिया। इन खेलों का उद्देश्य दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (दक्षेस) देशों के लोगों के मध्य मैत्री एवं सद्भाव को प्रोत्साहन देना था। वर्ष 2010 में ढाका (बांग्लादेश) में ग्यारहवें दक्षिण एशियाई खेलों के पश्चात अगली बार खेलों के आयोजन में भूटान का नंबर था। भूटान द्वारा खेलों के आयोजन में अक्षम होने की बात कहने के बाद, दक्षिण एशियाई ओलम्पिक परिषद की

कार्यकारी समिति ने खेलों के बारहवें संस्करण का जिम्मा वर्णानुक्रम में अगला होने के कारण भारत को देने का फैसला किया और गुवाहाटी तथा शिलांग ने इस फैसले को सही साबित किया।

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, भारतीय ओलम्पिक समिति और असम एवं मेघालय की सरकारों के साथ चले विमर्श एवं मंत्रणा के बाद यह निर्धारित किया गया कि 12वें दक्षिण एशियाई खेल गुवाहाटी एवं शिलांग में आयोजित किए जाएं। सैंग खेलों में तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, मुक्केबाजी, साइकिलिंग, फुटबॉल, हैंडबॉल, हॉकी, जूडो, कबड्डी, खो-खो, निशानेबाजी, तैराकी, स्कॉर्श, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, ट्राइथलॉन, वॉलीबॉल, भोरोत्तोलन, कुश्ती एवं वूशू समेत 23 खेलों का आयोजन हुआ जिनमें लगभग 3000 खिलाड़ियों ने

पूर्वोत्तर में साहसिक खेलों के लिए असीम संभावनाएं मौजूद हैं और यदि इन्हें सही ढंग से प्रोत्साहन दिया जाए तो पूर्वोत्तर साहसिक खेलों के लिए स्वर्ग बन सकता है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में ट्रैकिंग के लिए ढेरों संभावनाएं हैं। यहां की खूबसूरत वादियां और पहाड़ी क्षेत्र ट्रैकिंग के शौकीनों को आकर्षित कर सकते हैं। नागालैंड को तो ट्रैकर्स के लिए स्वर्ग माना जाता है।

हिस्सा लिया। भारत ने इन खेलों में 188 स्वर्ण, 90 रजत और 30 कांस्य सहित कुल 308 पदक जीते थे जो एक नया रिकॉर्ड है। इन खेलों के इतिहास में भारत के कुल पदकों की संख्या 1088 स्वर्ण, 632 रजत और 326 कांस्य सहित कुल 2046 पदक पहुंच गई है।

पूर्वोत्तर खिलाड़ियों के लिए यात्रा सुविधा नियमों में परिवर्तन

इस बीच सरकार ने पूर्वोत्तर खिलाड़ियों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अपने यात्रा सुविधा नियमों में परिवर्तन किया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में आयोजित होने वाले प्रशिक्षण शिविरों और प्रतियोगिताओं के लिए भी अब हवाई यात्रा की सुविधा दी गई है। इसी प्रकार पूर्वोत्तर क्षेत्र के खिलाड़ियों को भी अपने निवास स्थान/

प्रशिक्षण शिविर से कोलकाता आने जाने के लिए हवाई यात्रा करने की अनुमति होगी।

अरुणाचल के रोड़िंग में छात्रावास

खेल मंत्रालय ने युवा छात्रावास योजना के अंतर्गत देश के विभिन्न हिस्सों में राज्यों के सहयोग से 83 युवा छात्रावास बनाए हैं ताकि युवा यात्राओं व आदान-प्रदान कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जा सके। रोड़िंग (अरुणाचल प्रदेश) में एक अन्य छात्रावास के निर्माण का काम पूरा होने की अवस्था में है। विभाग युवा छात्रावासों के लिए आईएसओ प्रमाणपत्र (9001:2008) हासिल करने का प्रयास कर रहा है। परिणामस्वरूप डलहौजी, मैसुरु, जोधपुर, पुदुचेरी, आगरा और पणजी युवा छात्रावासों को यह प्रमाणपत्र मिल चुका है।

एडवेंचर स्पोर्ट्स की असीम संभावनाएं

पूर्वोत्तर में साहसिक खेलों के लिए असीम संभावनाएं मौजूद हैं और यदि इन्हें सही ढंग से प्रोत्साहन दिया जाए तो पूर्वोत्तर साहसिक खेलों के लिए स्वर्ग बन सकता है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में ट्रैकिंग के लिए ढेरों संभावनाएं हैं। यहां की खूबसूरत वादियां और पहाड़ी क्षेत्र ट्रैकिंग के शौकीनों को आकर्षित कर सकते हैं। नागालैंड को तो ट्रैकर्स के लिए स्वर्ग माना जाता है।

इसके अलावा असम की ब्रह्मपुत्र नदी में रिवर राफिटिंग का मजा उठाया जा सकता है। ब्रह्मपुत्र नदी पूर्वोत्तर के अरुणाचल प्रदेश और असम राज्यों से होकर गुजरती है। इसके अलावा तीस्ता और रंगित नदियों में भी राफिटिंग का लुक्त लिया जा सकता है। तीस्ता को अंतरराष्ट्रीय स्तर का ग्रेड चार दर्जा हासिल है।

भूटिया और जॉन अब्राहम के फुटबाल क्लब

फुटबाल स्टार बाइचुंग भूटिया और फिल्म स्टार जॉन अब्राहम के फुटबाल क्लबों ने भी पूर्वोत्तर को अंतरराष्ट्रीय फुटबाल के नक्शे पर ला दिया है। भूटिया का शिलांग लाजोंग क्लब भारत की आईलीग का एक अहम हिस्सा है। जॉन अब्राहम में इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) में अपना क्लब नॉर्थईस्ट यूनाइटेड उत्तरा जिसके पीछे उनका एकमात्र लक्ष्य पूर्वोत्तर की फुटबाल प्रतिभाओं को सामने लाना है।

(जारी ... पृष्ठ 58 पर)

खबरों में कहां है पूर्वोत्तर

आशीष कुमार अंशु



**आज का युग सूचना का है,
इसलिए युग मीडिया का है।
छवि निर्माण से लेकर विचार
स्थापना तक मीडिया की भूमिका
जगजाहिर है। ऐसे में ही तो
मीडिया से बंचितों व पिछड़ों की
उम्मीदें बंधती हैं। परंतु मीडिया
कर क्या रहा है? तथ्यों को इस
नजरिए से भी देखा जाना चाहिए।
अगर पूर्वोत्तर की हालत कमजोर
है या मुख्यधारा से उसका कोई
अलगाव है तो इस स्थिति को
सुधारने के लिए मीडिया ने क्या
किया? यह एक बेहतर गंभीर
प्रश्न है। पूर्वोत्तर की स्थानीय
मीडिया हो या दिल्ली-मुंबई
केंद्रित तथाकथित राष्ट्रीय
मीडिया। इस मोर्चे पर सबकी
भूमिका सवालों के धेरे में है**

देश के प्रधानमंत्री 2022 को लक्ष्य करके कई योजनाओं के क्रियान्वयन पर बात कर रहे हैं। 2022 का साल देश के लिए महत्वपूर्ण है, देश की स्वतंत्रता को 75 वर्ष पूरे होंगे। भारत का पूर्वोत्तर हिस्सा भी भारत की हर खुशी में बराबर की भागीदारी के साथ खड़ा होना चाहता है। हर बार अनचाहे हम उस हिस्से को यह एहसास करा देते हैं कि वह हाशिए पर खड़ा भारत है। केंद्र सरकार की तरफ से भी पूर्वोत्तर राज्यों को मुख्य धारा में लाने के लिए जो रचनात्मक प्रयास होना चाहिए था, वह अब तक अपर्याप्त नजर आया है। निससंदेह पूर्वोत्तर भारत भी भारत-पाकिस्तान के क्रिकेट मैच में भारत की जीत के जश्न में शामिल होना चाहता है। इसे संभव बनाने के लिए सरकारी और गैर सरकारी प्रयासों की कमियों को रेखांकित करते हुए यदि इस मोर्चे पर कहा जाए कि भारतीय मीडिया विफल रहा है तो गलत नहीं होगा।

पूर्वोत्तर की छवि व मुख्य धारा की मीडिया

मुख्य धारा के मीडिया के तौर पर जिस मीडिया की पहचान की जाती है, वहां पूर्वोत्तर भारत के राज्य उग्रवाद, बम ब्लास्ट, जैसी किसी गलत वजह से ही खबर बन पाते हैं। यही वजह रही कि देश की बड़ी आबादी पूर्वोत्तर राज्यों के संबंध जानती नहीं अथवा उनके सामने एक गलत छवि है। आज जरूरत है पूर्वोत्तर भारत की सकारात्मक खबरों को मुख्य धारा के मीडिया में कवरेज मिले। इससे देश पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और सिक्किम से परिचित हो पाए।

मीडिया प्रोफेशनल और मीडिया विशेषज्ञता के विकास के लिए देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालय और निजी संस्थानों द्वारा मीडिया की पढ़ाई कराई जाती है। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में मीडिया प्रोफेशनल तैयार करने के लिए पर्याप्त संस्थान मौजूद नहीं हैं। कुछ संस्थाओं में जहां मीडिया की पढ़ाई होती है, वहां दाखिले के लिए ली जाने वाली राशि इतनी अधिक है कि आम छात्र वहां दाखिला ले नहीं पाता। सरकार को चाहिए कि पूर्वोत्तर भारत के योग्य छात्र जो मीडिया में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन्हें फैलोशिप दे। मीडिया पूर्वोत्तर भारत को पूरे देश से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भी पूर्वोत्तर राज्यों की सरकारों के साथ संवाद स्थापित करके अलग-अलग राज्यों की जरूरत को समझते हुए संयुक्त प्रयास से राज्यों में मीडिया प्रोफेशनल तैयार करने के लिए मीडिया पाठ्यक्रम तैयार कराएं। मीडिया की पढ़ाई से तैयार हुए पत्रकार अथवा संचारक पूर्वोत्तर भारत को पूरे देश से जोड़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

यदि मुख्य धारा के मीडिया की पूर्वोत्तर राज्यों में उपस्थिति की बात की जाए तो द एसियन एज, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, द स्टेट्समैन का नाम प्रिंट मीडिया के लिए लिया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में टाइम्स नाउ, हेडलाइन्स टूडे, एनडीटीवी, एबीपी, सहारा समय, सीएनएन आईबीएन जैसे खबरिया चैनलों की पहुंच पूर्वोत्तर भारत तक है लेकिन इन सभी अखबारों और चैनलों को पूर्वोत्तर राज्यों में बैठकर देखने पर निराशा ही होगी। पिछले पंद्रह सालों में पूर्वोत्तर राज्यों से आने वाली जिन

लेखक पत्रकार हैं। ग्रामीण विकास पर केंद्रित मासिक सोमान में संवाददाता हैं। मीडिया व विकास संबंधी विषयों में रुचि रखते हैं। मीडिया एक्टिविस्ट व आलोचक के रूप में भी इनकी पहचान है। सोशल मीडिया पर अपनी टिप्पणियों के लिए खासतौर पर जाने जाते हैं। ईमेल: ashishkumaranshu@gmail.com

खबरों ने प्रिंट मीडिया में सबसे अधिक स्थान घेरा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सबसे अधिक फुटेज लिया, उनमें अधिकांश मामले हिंसा से जुड़े थे। इससे एक गलत संदेश पूर्वोत्तर राज्यों में गया कि दिल्ली की सरकार हो या दिल्ली की मीडिया हिंसा के बाद ही जागती है।

मणिपुर से आने वाली सामाजिक कार्यकर्ता वीणा ने दिल्ली में आवेजित एक कार्यक्रम में पूर्वोत्तर भारत की इस पीड़ा को सधे हुए शब्दों में व्यक्त किया। बकौल वीणा-मणिपुर में मीडिया हाउस के मालिक राजनेता हैं और दिल्ली में व्यावसायी मीडिया घरानों के मालिक हैं। दोनों पर यकीन नहीं किया जा सकता है। मणिपुर लंबे समय तक बंद रहता है। वहां स्थितियां बिगड़ती जा रही थीं लेकिन किसी मुख्य धारा मीडिया के लिए उस दिन तक वह खबर नहीं थी, जब तक एक मंत्री का घर नहीं जल जाता। मणिपुर में देश और दुनिया के मीडिया उस घटना के बाद ही आए।

आप भी गौर कीजिए पिछले बीस वर्षों में पूर्वोत्तर भारत से जुड़ी किन खबरों में भारतीय मीडिया ने रूचि ली। उल्फा-यूनाइटेड लिबरेशन फ्रन्ट ऑफ असम, असम की बाढ़, नागालैंड की खबर-द नेशनलिस्ट सोशलिस्ट कार्डिसिल ऑफ नागालैंड-एनएससीएन-के दो हिस्से एनएससीएन आइजैक मुइवा और एनएससीएन खापलांग अधिक जगह ले ले रहे हैं। केएलओ -कामतापुर लिबरेशन आर्गनाइजेशन द्वारा हमारे सुरक्षा बलों पर किया जाने वाला हमला। केएलओ द्वारा सड़क पर बिछाए गए एम्बुश की चेपेट में आए सुरक्षाकर्मियों की खबर आती है, आम्स फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट चर्चा में बना रहता है या फिर मणिपुर बंद की खबर आती है। मणिपुर बंद मुख्यधारा की मीडिया का ध्यान उस वक्त खिंचने में सफल होता है, जब यह बंद हिंसक हो जाता है।

एक संवाददाता के भरोसे पूरा पूर्वोत्तर

यह बात आपको चौंका सकती है कि पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की खबर देने के लिए अधिकांश दैनिक पत्रों और खबरिया चैनलों ने अपना केवल एक संवाददाता रखा हुआ है। वैसे चौंकाने से अधिक-अखबार और खबरिया चैनलों की पूर्वोत्तर के राज्यों की पत्रकारिता के प्रति ऐसा रवैया-निराश करने वाला है। क्या अखबार या खबरिया चैनल यह सोच रखते हैं कि उनका रिपोर्टर ड्रोन से रिपोर्टिंग करेगा?

कि उनका रिपोर्टर ड्रोन से रिपोर्टिंग करेगा? यह सोचने वाली बात है कि सिक्किम को मिलाकर पूर्वोत्तर के आठ राज्यों की खबर एक पत्रकार कैसे रख सकता है? पूर्वोत्तर के सभी राज्यों को लंबे समय से कवर कर रहे पत्रकार रविशंकर रवि के अनुसार-पत्रकारों के सभी राज्यों में अपने सूत्र हैं। आपात स्थिति में सूत्र ने जो जानकारी दे दी, उसे पत्रकार आगे बढ़ाने को विश्वास होते हैं। खबर लिखने वाले सूत्र का भी अपना कोई हित हो सकता है। इस तरह कई बार पत्रकार विकल्प के अभाव में जो जानकारी मिलती है, उसी के आधार पर खबर लिखता है।

एनडीटीवी, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स ने अपने दो रिपोर्टर पूर्वोत्तर राज्यों की खबरों के लिए नियुक्त किए हैं जबकि टाइम्स ऑफ इंडिया का गुवाहाटी से अपना एक संस्करण भी प्रकाशित होता है। द टेलीग्राफ का

यह बात आपको चौंका सकती है कि पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की खबर देने के लिए अधिकांश दैनिक पत्रों और खबरिया चैनलों ने अपना केवल एक संवाददाता रखा हुआ है। वैसे चौंकाने से अधिक-अखबार और खबरिया चैनलों की पूर्वोत्तर के राज्यों की पत्रकारिता के प्रति ऐसा रवैया-निराश करने वाला है। क्या अखबार या खबरिया चैनल यह सोच रखते हैं कि उनका रिपोर्टर ड्रोन से रिपोर्टिंग करेगा?

भी अपना संस्करण गुवाहाटी से प्रकाशित होता है। द हिंदुस्तान टाइम्स ने भी अपना गुवाहाटी संस्करण चलाया, जिसे बाद में बंद कर दिया। द स्टेट्समैन एक अखबार है, जिसने पूर्वोत्तर भारत के लिए विशेष पृष्ठ की व्यवस्था की है। वर्ना इसकी जरूरत ना मुख्य धारा के अखबार समझते हैं और ना चौबीस घंटे, सात दिन चलने वाले खबरिया चैनल का अपना पूर्वोत्तर भारत को समर्पित कोई चैनल नहीं है।

गुवाहाटी प्रेस क्लब से लंबे समय तक जुड़े रहे नवा ठकुरिया के अनुसार पूर्वोत्तर भारत की दर्जनों कहानियां देश को प्रेरणा दे सकती हैं। सफल कहानियों की पूरी श्रृंखला है पूर्वोत्तर के राज्यों में लेकिन उस तरफ मुख्य धारा की मीडिया का ध्यान नहीं जाता। यदि पूर्वोत्तर भारत के राज्यों की एक स्टीरियो टाइप छवि दिल्ली

मुंबई के लोगों के बीच बनी है तो उसमें मीडिया की भूमिका से इंकार नहीं किया जा सकता।

जनमीडिया की आवाज

असम के युवा सामाजिक कार्यकर्ता भास्कर विक्रम चेतिया ने पूर्वोत्तर के राज्यों की लोक कला और लोक गीत को गैर पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों तक पहुंचाने का एक प्रयास किया था। उस समय लोक गीत और लोक कला के इस प्रयास को बहुत सराहा गया। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय पूर्वोत्तर राज्यों की नाट्य मंडलियों को दिल्ली और दिल्ली के कलाकारों को पूर्वोत्तर ले जाने का सराहनीय काम कर रहा है। भारतीय रंग महोत्सव में पूर्वोत्तर भारत से कई नाट्य मंडलियां दिल्ली में होती हैं। मीडिया को आवाजाही की इन खबरों को भी पर्याप्त स्थान महैया करना चाहिए। वैसे पूर्वोत्तर के राज्यों ने मान लिया है कि दिल्ली की मीडिया उन तक आसानी से पहुंचने वाली नहीं। इसलिए अब अपनी आवाज वे खुद बन रहे हैं। ब्लॉग लिख रहे हैं। वेबसाइट पर अपनी बात कह रहे हैं।

ऐसा ही एक ब्लॉग है, <http://paritosh-chakma.blogspot.in/> मिजोरम के युवा सामाजिक कार्यकर्ता पारितोष चकमा का। पारितोष प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उसके साथ-साथ मिजोरम के चकमा बौद्ध समाज के लोग किन चुनौतियों के साथ वहां जीने को मजबूर हैं, इसे वे अपने ब्लॉग में लिखते हैं। पारितोष की तरह कई युवा हैं, जो अपने ब्लॉग पूर्वोत्तर राज्यों की चुनौतियों पर लिख रहे हैं। यदि मुख्य धारा का मीडिया उनके ब्लॉग से साभार लेकर भी पूर्वोत्तर की बात को दिल्ली तक पहुंचाने में उनकी मदद करता है तो दिल्ली और मिजोरम, मणिपुर, असम के बीच की दूरी कम होगी। पूर्वोत्तर भारत में भी एक अच्छा संदेश जाएगा कि उनकी बात दिल्ली में सुनी जा रही है। बहरहाल सोशल मीडिया पर टैग और हैश टैग की मिलने वाली सुविधा ने पूर्वोत्तर राज्यों और दिल्ली-मुंबई के फासले को पाटने का एक बड़ा काम किया है लेकिन हमें अभी इस दिशा में चार कदम और आगे बढ़ना है।

पूर्वोत्तर के मीडिया घराने

पूर्वोत्तर राज्यों की पत्रकारिता और मुख्य धारा की पत्रकारिता की जब बात की जाती है, एक

सवाल बार-बार उठता है कि पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के अपने अखबार क्या कर रहे हैं? वे अपनी बात इतनी मजबूती से क्यों नहीं कहते कि उनकी बात सुनने को दिल्ली मजबूर हो जाए? वैसे इस सवाल की पूरी तरह उपेक्षा भी नहीं की जा सकती, असम में तीन असमी अखबारों का दावा है कि वे एक लाख बिक रहे हैं। पुराने पत्रकार बताते हैं कि 80 के दशक तक असमी अखबारों को स्थानीय पाठक बदलाव की मसाल की तरह ही देखते थे क्योंकि उन दिनों अखबार को निकलने वाले कर्मचारी से लेकर संपादक तक इसे सामाजिक बदलाव के यंत्र के रूप में देख रहे थे।

1845 में निकला अरूणोदय, 1979 तक चला। आरजी बरूआ और देवेश्वर शर्मा ने सत्तर के दशक तक दैनिक असम ट्रिब्यून, दैनिक असम और दैनिक जन्मभूमि का प्रकाशन किया। इन अखबारों को असम के पत्रकार नवा ठकुरिया समाजसेवा के पर्यायवाची के तौर पर ही याद करते हैं। उसके बाद अचानक नब्बे के दशक से पूर्वोत्तर भारत की पत्रकारिता में आई गिरावट की वजह क्या रही? यह वास्तव में पत्रकारिता में रुचि रखने वाले छात्रों के लिए अध्ययन का विषय हो सकता है। आप जानकर आश्चर्य कर सकते हैं कि आज पूर्वोत्तर भारत में दो हजार रुपये की मामूली रकम पर काम करने वाले पत्रकार हैं। एक अनुमान के अनुसार पूर्वोत्तर भारत में नब्बे फीसदी पत्रकारों का जीवन एवं स्वास्थ्य बीमा नहीं है, उनका अखबार में पीएफ का पैसा नहीं कटता जबकि बीते चौदह सालों में पूर्वोत्तर राज्यों में दो दर्जन से अधिक संपादक-पत्रकारों की हत्या हुई है। ऐसी स्थिति में जब पत्रकारिता खुद आर्थिक सामाजिक संकट के ऐसे दौर से गुजर रही है, वह समाज को दिशा कैसे दिखा सकती है?

(पृष्ठ 55 से जारी ...)

लंदन ओलंपिक में पूर्वोत्तर के खिलाड़ि

वर्ष 2012 में लंदन में हुए ओलंपिक खेलों में पूर्वोत्तर क्षेत्रों से कई खिलाड़ियों ने देश का प्रतिनिधित्व किया है और इनमें से मणिपुर की मैरीकाम ने मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता। मैरीकाम के अलावा नागालैंड की चेकरावोलू स्वूरो ने तीरंदाजी, असम के जयंत तालुकदार ने तीरंदाजी, मणिपुर की लेशराम बोब्यायला देवी ने तीरंदाजी, मणिपुर के एल देवेंद्रो सिंह ने मुक्केबाजी, भारोत्तोलन में मणिपुर

स्थानीय पत्रों में भी अंग्रेजी का बोलबाला

भारतीय समाचार पत्रों के पंजीयक (आरएनआई) की वेबसाइट पर पूर्वोत्तर राज्यों में समाचार पत्रों के पंजीयन की जो सूचना दर्ज है, वह दिलचस्प है। शुरुआत सिक्किम से करते हैं। सिक्किम से 115 समाचार पत्र पंजीकृत हैं। अधिकांश पत्र साप्ताहिक हैं। नेपाली और हिंदी अखबारों की बहुलता है। हिंदी दैनिक अनुगमिनी और बांग्ला मोर्चा, नेपाली दैनिक में आवाज, दैनिक मिरमेराय, हमरो पहाड़, हमरो राजशक्ति जैसे अखबार शामिल हैं।

असम के अलावा पूर्वोत्तर राज्यों के सभी अखबारों की संख्या मिला दी जाए, उसके बाद भी असम से निकलने वाले अखबार संख्या में

पूर्वोत्तर राज्यों की पत्रकारिता और मुख्य धारा की पत्रकारिता की जब बात की जाती है, एक सवाल बार-बार उठता है कि पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के अपने अखबार क्या कर रहे हैं? वे अपनी बात इतनी मजबूती से क्यों नहीं कहते कि उनकी बात सुनने को दिल्ली मजबूर हो जाए?

उनसे आगे हैं। आरएनआई के अनुसार असम से निकलने वाले अखबारों की संख्या 837 है। मेघालय से कुल 110 अखबार निकल रहे हैं। स्थानीय भाषा खासी में दैनिक पत्र भी यहां से निकलता है। यू नांग साइहिया और यू पीटनगर के नाम से। नागालैंड से निकलने वाले अखबारों की संख्या सिर्फ कुल 25 है। ये सभी अखबार दिमापुर या कोहिमा से निकल रहे हैं। 25 अखबारों में 09 दैनिक हैं। सिटीजन वॉइस, नागालैंड पेज अंग्रेजी दैनिक हैं। नगामेसे खबर स्थानीय नगा भाषा में निकलता है। नागालैंड से एक भी हिंदी अखबार नहीं निकलता। सभी अखबारों की भाषा अंग्रेजी

की एन सोनिया चानू, मुक्केबाजी में असम के शिवा थापा, टेनिस में त्रिपुरा के सोमदेव देववर्मन, तीरंदाजी में सिक्किम के तरुणदीप राय और हॉकी में मणिपुर के कोठाजीत सिंह ने हिस्सा लिया।

लंदन ओलंपिक की मशाल रिले में असम की 10वीं कक्षा की छात्रा पिंकी करमाकर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। पिंकी की मां एक चाय बागान में काम करती हैं और उनके पिता डिब्रुगढ़ में पेंटर हैं। पिंकी को नाटिंघमशायर में 20 देशों के मशाल धावकों

हैं अथवा वह स्थानीय भाषा में निकलते हैं।

अरूणाचल प्रदेश से निकलने वाले अखबारों की संख्या 25 है। अरूणाचल प्रदेश के शहर पपुमपारे से साप्ताहिक हिंदी पत्र अरूण आवाज निकलता है। ईटानगर से हिंदी दैनिक खबर मोर्चा निकलता है। ईटानगर से स्थानीय भाषा में साप्ताहिक अरूणाचल आंग प्रकाशित होता है। पूरे अरूणाचल प्रदेश में आरएनआई की जानकारी के अनुसार चार पत्रों को छोड़कर सभी पत्र अंग्रेजी में प्रकाशित हो रहे हैं। अंग्रेजी साप्ताहिक ईटानगर टाइम्स, अंग्रेजी दैनिक द सेंटिनल, अंग्रेजी दैनिक द अरूणाचल एज उनमें कुछ अखबारों के नाम हैं। मणिपुर से निकलने वाले अखबारों की संख्या 258 है। मणिपुरी दैनिक द मणिपुर प्री प्रेस और इंफाल टूडे हैं। अंग्रेजी में दैनिक सायक्लोन प्रकाशित होता है। मणिपुर में स्थानीय भाषा का प्रभाव पत्रों पर अधिक दिखता है, इसलिए यहां हिंदी और अंग्रेजी का वर्चस्व कम है।

त्रिपुरा में बांग्ला में निकलने वाला दैनिक पत्र देशर कथा और दैनिक संवाद हैं। अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ त्रिपुरा और ट्रांस बंगाल न्यूज हैं। त्रिपुरा से निकलने वाले कुल पत्रों की संख्या 162 है। त्रिपुरा से निकलने वाले अधिकांश पत्रों की भाषा बांग्ला है। इससे त्रिपुरा पर बांग्ला भाषियों के वर्चस्व का अनुमान होता है।

दशकों से पूर्वोत्तर के राज्यों की आवाज दिल्ली में अनसुनी रही। अब समय है कि हम पूर्वोत्तर राज्यों की आवाज सुनें। दिल्ली दूरदर्शन पर पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए प्रतिदिन कुछ समय तय किया जाना चाहिए जिसमें सिर्फ पूर्वोत्तर की खबरे ही प्रसारित हों। इस तरह पूर्वोत्तर को संबल भी मिलेगा और दूसरे राज्यों के लोग पूर्वोत्तर को जान समझ भी पाएंगे। □

में शामिल किया गया था। आईआईटी गुवाहाटी में डिजाइन विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर उत्पल बरूआ को ओलंपिक फाइन आर्ट्स में हिस्सा लेने का निमंत्रण मिला था।

पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पिछले कुछ वर्षों में खेलों को खासतौर पर तकज्जो दी गई है। यहां कुछ विशेष खेलों में यदि खिलाड़ियों को तमाम सुविधाएं मिलें तो वे राष्ट्रमंडल, एशियाई और ओलंपिक स्तर के खेलों में देश को गौरव प्रदान कर सकते हैं और देश को कई भूटिया तथा मैरीकॉम मिल सकते हैं। □



प्रकाशन विभाग

वेबसाइट: publicationsdivision.nic.in

हमारी कुछ प्रतिष्ठित पुस्तकें अब ऑनलाइन उपलब्ध

- India 2016 (also available as eBook)
- Bharat 2016 (also available as eBook)
- Legends of Indian Silver Screen (also available as eBook)
- Abode Under The Dome
- Winged Wonders of Rashtrapati Bhavan
- Right of the Line : The President's Bodyguard
- Indra Dhanush
- The Presidential Retreats of India
- Rashtrapati Bhawan
- Belief In The Ballot (also available as eBook)
- 1857 The Uprising
- Sardar Patel - A Pictorial Biography (also available as eBook)
- Basohli Painting
- Kangra Painting
- Indian Women : Contemporary Essays
- Gazetteer of India Vol.2
- The Geet Govinda of Shri Jaydev
- Who's Who of Indian Martyrs (Vol-I)
- Who's Who of Indian Martyrs (Vol-II)
- Saga of Valour
- Some Aspects of Indian Culture
- Art & Science of Playing Tabla (also available as eBook)
- Indian Classical Dance
- Celebration of Life : Indian Folk Dance
- Nataraja
- Bengali Theatre : 200 Years (also available as eBook)
- Bihari Satsai - A Commentary
- Eye In Art
- Looking Again At Indian Art
- The Life of Krishna In Indian Art
- Pahari Painting of Nala Damayanti Theme

- South Indian Paintings
- A Moment In Time
- Indian Cinema Through The Century
- A History of Socialism
- Lamps of India
- Wood Carving of Gujarat
- Lawns And Gardens
- गांधी : जीवन और दर्शन
- सरदार पटेल-सचिव जीवनी (ई-पुस्तक भी उपलब्ध)
- भारत की एकता का निर्माण (ई-पुस्तक भी उपलब्ध)
- युवा संन्यासी
- विहारी सतसई
- अजंता का वैभव
- भारतीय कला-उद्भव और विकास
- भारतीय चित्रकला में संगीत तत्व
- गढ़वाल चित्रकला
- समय सिनेमा और इतिहास
- भारतीय सिनेमा का सफरनामा
- भारत के दुर्ग
- पर्यावरण संरक्षण : चुनौतियाँ और समाधान

- ई-पुस्तकें
- The Gospel of Buddha
- Introduction To Indian Music
- Sardar Vallabhbhai Patel
- Mahatama Gandhi -A Pictorial Biography
- Gandhi in Champaran
- Mahatma Gandhi and One World
- लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक
- सरदार बल्लभभाई पटेल (आयुष्मान भारत के निर्माता सीरिज)
- लौह पुरुष सरदार पटेलरत की
- ऐसे थे वापु

मुद्रित पुस्तकें flipkart.com पर उपलब्ध
ई-पुस्तकें kobo.com पर उपलब्ध

**Just
Released**

पिछले वर्षों
के हल
प्रश्न-पत्रों
सहित



Code 589

₹ 510/-



Code 590

₹ 440/-

एस.एस.सी. संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा


(प्रथम एवं द्वितीय स्तर के लिए)

❖ **3 प का र की पुस्तकें ❖**




Code 597

₹ 215/-




Code 1885

₹ 220/-



Code 489

₹ 375/-



Code 1505

₹ 220/-

उपकार प्रकाशन

2/11 ए, स्वदेशी बीमा नगर, आगरा-282 002 फोन : (0562) 4053333, 2530966; फैक्स : (0562) 4053330

• E-mail : care@upkar.in • Website : www.upkar.in

• नई दिल्ली 23251844/66 • हैदराबाद 66753330 • पटना 2673340 • कोलकाता 25551510 • लखनऊ 4109080 • हल्द्वानी मो. 7060421008